लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए

Price : Four Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 33, मंगलवार, 19 जुलाई, 1977/28 अषाढ़, 1899 (शक)

No. 33, *Tuesday, July* 19, 1977/ *Asadha* 28, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 525, 527 और 531	Starred Questions Nos. 525, 527 and 531	1—17
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 21	Short Notice Question No. 21	17—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 526, 528 से 530 और 532 से 544	Starred Questions Nos. 526, 528 to 530 and 532 to 544	23—33
अतारांकित प्रश्न संख्या 3929 से 4037 और 4039 से 4053	Unstarred Questions Nos. 3929 to 4037 and 4039 to 4053	33—107
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	107—110
जर्मनी की डेमाग नामक फर्म से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्रेनों की खरीद के बारे में अप्रैल, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correction of Answer to Starred Question No. 2 dated 5-4-77 Re. Purchase of Cranes by Oil and Natural Gas Commission from Denag of Germany	110-111
अपने मकान होते हुए भी सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले निर्माण और आवास मंत्रालय के अधिकारियों के बारे में 4 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 314 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correction of Answer to Supplementary on Starred Question No. 314 dated 4-7-77 *Re.* Officers in Ministry of Works and Housing having own houses and living in Government quarters	111-112
दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित किये जाने के बारे में 27 जून, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 209 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correction of Answer to Supplementary on Starred Question No. 209 dated 27-6-77 *Re* Regularising on Unauthorised Colonies in Delhi	112-113

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actaually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege	113—118
राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक	National Highways (Amendment) Bill .	118
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	118
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai . .	119-120
डा० वी० ए० सईद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	120-121
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu.	121
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand .	121
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan . .	121-122
श्री बी० पी० कदम	Shri B. P. Kadam .	122
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh .	122
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan.	122-123
श्री पी० राजागोपाल नायडु	Shri P. Rajgopal Naidu	123
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narayan Nayak	123
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai. .	123-124
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar .	124
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	124
खंड 2 से 4 तथा 1	Clauses 2 to 4 and 1 .	125
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass .	126
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai .	127
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	127
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	127
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	127
श्री रामजीवन सिंह	Shri Ramjiwan Singh	127
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	119
नाशीकीटमार (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Insecticides (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha	
इलायची (संशोधन) विधेयक	Cardamom (Amendment) Bill .	127—135
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	127-128
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . .	128
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Sinde .	128-129

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा	Shri D. B. Chandra Gowda .	129-130
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	131
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav. .	131-132
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand .	132
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George . .	132-133
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	133
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	133
श्री एस० ननजेश गौडा	Shri S. Nanjesha Gowda .	133-135
खंड 2, 3 तथा 1	Clause 2, 3 and 1	136
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	136
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia . . .	136
आध घंटे की चर्चा	Half - an- Hour Discussion .	136—138
देश में मलेरिया रोग का फैलना	Malaria Incidence in the Country . .	136
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi .	136-137
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	137-138

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 19 जुलाई, 1977/28 आषाढ़, 1899 (शक)

Tuesday, July 19, 1977/Asadha 28, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुए ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[**Mr. Deputy Speaker in the Chair**]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का कार्यकरण

***525. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में वृद्धि को रोकने के लिये एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का कार्यकरण संतोषजनक नहीं पाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख). एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग का एकाधिकारिक और निर्बंधनकारी व्यापार प्रथाओं की वृद्धि को समाप्त करने के कार्य का एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के लागू करने के सम्बन्ध में पांच सांविधिक वार्षिक रिपोर्टों में विस्तीर्ण रूप से उल्लेख किया गया है, जो समय-समय पर सदन के पटल पर पहिले ही रखी जा चुकी हैं। तथापि, सरकार द्वारा हाल ही में एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के कार्यकरण को सम्मिलित करते हुए, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों की संवीक्षा करने के लिए कि क्या कोई और किस मात्रा में, क्या परिवर्तन आवश्यक है, पर विचार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

2045—LS—1

श्री जी० वाई० कृष्णन : यह कहा गया है कि इस बात पर विचार करने के लिए कि अधिनियम में क्या कोई और किस मात्रा तक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति का सभापति कौन है तथा उसके सदस्य कौन-कौन हैं? दूसरे जनता सरकार के परस्पर विरोध को अर्थात् इस बात को देखते हुए कि वित्त मंत्री पूंजीवादियों के हिमायती हैं और उद्योग मंत्री श्रमिकों के हिमायती हैं, क्या इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित किया जा सकेगा और एकाधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति को कार्यरूप दिया जा सकेगा?

श्री शांति भूषण : मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य का कहने का आशय क्या है? क्या वह यह कहना चाहते हैं कि विगत में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यरूप नहीं दिया गया है अथवा क्या वह भविष्य के बारे में कुछ कह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जनता सरकार संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिए कृतसंकल्प है, ताकि जन साधारण के हितों के विरुद्ध कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति के जमाव को रोका जा सके। इसलिए सरकार ऐसी नीतियां अपनायेगी जिन से एकाधिकार को रोका जा सके।

श्री जी० वाई० कृष्णन : यह कहने की बातें हैं। मैं ने वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री की परस्पर विरोधी नीतियों के बारे में प्रश्न पूछा है।

एक माननीय सदस्य : कोई परस्पर विरोध नहीं है।

श्री जी० वाई० कृष्णन : परस्पर विरोध है।

श्री शांति भूषण : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी बात देखें, जो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं।

श्री जी० वाई० कृष्णन : कल और परसों के कार्यवाही वृतान्तों से इसका पता चलता है।

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : मंत्री महोदय ने कहा है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह समिति प्रमुख उद्योग एवं एकाधिकारी उद्योग आदि की परिभाषाओं पर भी पुनर्विचार करेगी, क्योंकि उनकी वर्तमान परिभाषा बहुत सीमित है और क्या समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि इस अधिनियम में अन्य देशों में समान अधिनियमों की तुलना में बहुत कम दण्ड की व्यवस्था है तथा ऐसे उपाय सुझायेगी जिन से एकाधिकार पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके?

श्री शान्ति भूषण : जैसा कि मैं ने पहले कहा है, माननीय सदस्य को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह सरकार संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना चाहती है अर्थात् वह चाहती है कि जनसाधारण के हितों के विरुद्ध कुछ हा हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रण न हो। इसलिए सरकार की नीतियां ऐसी होंगी जिनसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और इसीलिए समिति का गठन किया गया है कि जहां कहीं खामियां हों, उन्हें दूर किया जाये।

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : समिति के निदेश पद क्या हैं ?

श्री शान्ति भूषण : निदेश पद प्रकाशित कर दिये गये हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta: I want to know from the hon. Minister whether it is a fact that the wealth of the monopoly houses particularly that of Tatas, Birlas and Mafatlal has grown manifold during the last thirty years, Congress rule, despite the fact that Congress has been advocating that they believe in socialism and it is also provided in the Directive Principles of the Constitution that there should be no monopoly? If it is so, will he be pleased to furnish the figures about the ten leading monopoly houses?

Secondly, I want to know whether certain amendments are being contemplated to be made in the Act?

Shri Shanti Bhushan: The hon. Member has asked about the increase in the assets of the large monopoly houses during the last 25 years. But I do not have the figures about the last 25 years. At present I have the figures pertaining to 1969 to 1974. The assets of Tatas were worth Rs. 505.58 crores in 1969 and worth Rs. 739.45 crores in 1974. The total assets of Birlas were worth Rs. 418.49 crores in 1969 and Rs. 729.36 crores in 1974. I may also make it clear that there are certain concerns about which there is a doubt whether those belong to Birla group or not. Some people claim that those belong to Birla group, whereas Birla group denies this statement. An enquiry is being conducted in this regard to find out the truth.

The total assets of Mafat Lal were worth Rs. 163.01 crores in 1969 and 232.98 crores in 1974. The assets of J. K. Singhania were worth Rs. 81.94 crores in 1969 and Rs. 186.36 crores in 1974. The assets of Thapar were worth Rs. 94.52 crores in 1969 and Rs. 167.56 crores in 1974. The assets of Bangur were Rs. 102.59 in 1969 and Rs. 164.24 crores in 1974. The assets of I.C.I. were Rs. 124.59 crores in 1969 and Rs. 160.92 crores in 1974. The assets of Singhania were Rs. 70.11 crores in 1969 and Rs. 151.33 crores in 1974. The assets of Shriram were Rs. 109.56 crores in 1969 and Rs. 149.09 crores in 1974. Likewise the assets of A.C.C. were worth Rs. 121.97 crores in 1969 and Rs. 140.96 crores in 1974.

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप अधिनियम के उपबन्धों में परिवर्तन करना चाहते हैं

श्री शान्ति भूषण : इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री के० एस० हेगड़े की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो न केवल इस अधिनियम अपितु कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों पर भी विचार करेगी, ताकि समूचे प्रश्न की जांच की जा सके।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

श्री आर० के० महालगी : यह समिति कब नियुक्त की गई थी तथा इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री शान्ति भूषण : यह समिति 23 जून, 1977 को नियुक्त की गई थी। सदस्यों के नाम हैं :—श्री के० एस० हेगड़े, संसद् सदस्य, सभापति, श्री एस० रंगानाथन, संसद् सदस्य, श्री आर० डी० गट्टानी, संसद् सदस्य, श्री वेद व्रत बरुआ, संसद् सदस्य, श्री नारिमन्, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, भूतपूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल आफ इण्डिया, श्री

शान्तनु देसाई, प्रेजिडैंट आफ मरचेंटस चैम्बर्स आफ कामर्स और भूतपूर्व प्रेजिडैंट आफ दी इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकान्टैन्टस आफ इण्डिया, श्री एस० श्री निवास राव, प्रोफेशनल अकाउन्टेट भूतपूर्व प्रेजिडैट आफ दी इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टैंट्स आफ इंडिया तथा इंस्टिट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेट्रिस के सदस्य, श्री डी० से० कोठारी, मद्रास के उद्योगपति भूतपूर्व अध्यक्ष एफ० आई० सी० सी० आई०, तथा अध्यक्ष, एशियन चैम्बर आफ कामर्स, श्री केशव महिन्द्र, उद्योगपति बम्बई, श्री के० पी० त्रिपाठी, श्रमिक नेता और श्री के० के0 राय, सचिव कम्पनी कम्पनी, कार्य विभाग।

श्री एस० आर० दामाणी : अधिनियम के कुछ उपबन्ध इतने अस्पष्ट हैं कि बहुत सी कम्पनियों को, जिनका बड़े गृहों से कोई सम्बन्ध नहीं है, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के अन्तर्गत लाया जा रहा है ताकि उनका एक ही निदेशक हो सके। क्या मंत्री महोदय इस स्थिति में सुधार करेंगे ?

श्री शान्ति भूषण : यदि एक ही निदेशक दो कम्पनियों के बीच की कड़ी है तो इस पर विचार करना होगा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन कम्पनियों को अधिनियम की परिधि में नहीं लाया जा सकता। समिति इन सब बातों पर विचार करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नवम्बर, 1970 में प्रकाशित वांचू समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में बताया गया है कि देश में 9,000 करोड़ रुपये का काला धन है। मंत्री महोदय बतायेंगे कि काले धन से क्या अभिप्राय है ?

श्री शान्ति भूषण : काले धन से अभिप्राय उस धन से है जो छिपा हुआ है और जिसका सरकार को और जनता को पता नहीं है और जो आंकड़े मैंने दिये हैं. उनमें काला धन शामिल नहीं है। यदि किसी के पास उसकी प्रकट सप्पत्ति के अलावा काला धन है तो वह उस वितरण में शामिल नहीं किया गया है जो मैंने सम्पत्ति के बारे में दिया है।

श्री एस० कुन्डु : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि आर्थिक शक्ति की वृद्धि को रोकना जरूरी है क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति की वृद्धि से सम्बन्धित है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि कुछ बड़े गृहों की सम्पत्ति में पांच वर्ष की अवधि में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। क्या उन्हें पता है कि आपात स्थिति के दौरान, 10 बड़े गृहों की सप्पत्ति में भी वृद्धि हो गई है। क्या वह बता सकते हैं कि उनकी सम्पत्ति में कितनी वृद्धि हुई ?

श्री शांति भूषण : ये आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री के० लकप्पा : मैं पिछली लोक सभा में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का सदस्य था। मुझे पता है कि उस समय कतिपय अस्पष्ट प्रक्रियाओं के कारण एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की उपेक्षा की गई थी। क्या वर्तमान सरकार इस अधिनियम की त्रुटियों को दूर करेगी ? इस उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति से लगता है कि आप इन एकाधिकार गृहों को छोड़ना चाहते हैं जो फिर अपने संसाधनों को बढ़ा लेंगे। इसलिये इन एकाधिकार गृहों को इस समिति के निदेश-पदों में शामिल करने के लिये आप कौन से अल्पकालिक उपाय अपनायेंगे ?

श्री शान्ति भूषण : जनता पार्टी आर्थिक-शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने के लिये वचनवद्ध है और इसीलिए यह समिति बनाई गई है। समिति के प्रधान जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण संसद सदस्य होंगे। समिति ऐसे तथ्यों और सामग्री पर विचार करेगी जो इसे अपने निष्कर्षों तक पहुंचने और सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में सहायता करेंगे।

श्री सोनू सिंह पाटिल : यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेंगे ?

श्री शान्ति भूषण : अधिसूचना के अनुसार समिति का प्रतिवेदन 31 दिसम्बर, 1977 तक भारत सरकार को पेश कर दिया जायेगा।

तेल आयात घोटाले में अन्तर्गस्त फर्में

***527. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदरेज सोप मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और एपी जे (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता सहित उन 13 फर्मों के निदेशकों और प्रबन्धकों के नाम क्या हैं जो तेल आयात घोटाले में अन्तर्गस्त हैं ; और

(ख) एपीजे प्राइवेट लिमिटेड और अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनी जो कुछ वर्ष पूर्व स्टेनलैस स्टील आयात घोटाले में अन्तर्ग्रस्त थी, के बीच क्या सम्बन्ध है और उपरोक्त फर्मों के सम्बन्ध में अन्य सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) पूर्वोक्त संदर्भित 13 फर्मों में से, यह पाया गया है कि केवल 5, कम्पनी-अधिनियम के अन्तर्गत, विनिगमित कम्पनियां हैं। शेष भागीदार और/या स्वत्वदारी साथ हैं और कम्पनी कार्य विभाग के पास उनके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। 5 विनिगमित कम्पनियों के निदेशकों के नामों को दर्शाता विवरण-पत्र संलग्न किया जाता है।

(ख) जांचों से प्रगट होता है कि मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल नाम की भागीदार फर्म अपीजे प्राइवेट लिमिटेड के साथ बाद की नियंत्रणधीन डेकोर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सम्बन्धित है, जो कथित फर्म की मुख्य भागीदार है। इस फर्म के सम्बन्ध में कोई अन्य ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मैसर्स अपीजें प्राइवेट लिमिटेड का ब्यौरा दर्शाता विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण (क)

कम्पनी का नाम	निदेशकों का नाम
1. मैसर्स गोदरेज सोप्स प्राइसवेट लिमिटेड, बम्बई	1. श्री सोहराबजी फीरोजशा गोदरेज 2. डा० बरजरजी फीरोजशा गोदरेज (प्रबन्ध निदेशक) 3. श्री नौरोजी फीरोजशा गोदरेज 4. श्री आदी बुरजोरजी गोदरेज 5. श्री नादिर बुरजोरजी गोदरेज
2. मैसर्स वैजीटेबल विटामिन फूड्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	1. श्री गोदरेज पालनजी जोशी 2. श्री फराज गोदरेज जोशी 3. श्री रुस्तम गोदरेज जोशी
3. मैसर्स दी जयहिन्द आइल मिल्स कम्पनी (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	1. श्री देवनदास कोडूमल बिशनानी 2. श्री नानिकराम कोडूमल बिशनानी 3. श्री रेलूमल होलाराम हेमराजानी
4. मैसर्स प्रभात सोलवेन्ट एक्ट्राक्शन इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० गुजरात	1. श्री दयालाल धनजी वदालिया 2. श्री भाणजी धानजी पटेल
5. मैसर्स अपीजै प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	1. श्री यू० वी० रमणमूर्ति (पूर्ण कालिक निदेशक) 2. श्री बैजनाथ सिंह (पूर्ण कालिक निदेशक)

विवरण (ख)

मैसर्स अपीजै प्राइवेट लिमिटेड का ब्यौरा

1. विनिगमन :	कम्पनी 4 मई, 1959 को विनिगमित की गई थी।
2. वर्तमान व्यापार	कम्पनी मुख्य इस्पात पाइपों, वस्त्रोद्योग सामग्री और फर्निशिंग फैब्रिक्स और फर्निशिंग फैब्रिक्स का विनिर्माण के व्यापार में लगी है।
3. निदेशक :	श्री यू० वी० रमणमूर्ति श्री बैजनाथ सिंह
4. पूंजी :	कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 15.00 लाख रु० है जिसमें प्रत्येक 100 रु० के पूर्ण प्रदत्त के 15,000 साम्य शेयर हैं।
5. शेयरधारी	1. काथुआ स्टील वर्क्स (प्रा०) लि० 14,970 शेयर 2. यू० वी० रमणमूर्ति 10 ,, 3. रामसिंह गोयल 10 ,, 4. बैजनाथ सिंह 10 ,, 15,000

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अमीनचन्द प्यारेलाल, एपीये, जीत पाल, सूरज पाल और भूतालिंगम के मिल अभी भी मंत्रालय में सक्रिय हैं। इस मामले पर लोक लेखा समिति के 50 वें और 56 वें प्रतिवेदनों में प्रकाश डाला गया है और इस सभा में भी कई वक्तव्य दिये गये हैं जिनमें जिम्मेदारी भूतालिंगम बाम आदि जैसे लोगों पर डाली गई है। इन लोगों के भक्त मंत्रालय में हैं।

गैर-सरकारी लोगों को 526 करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये गये। आयात 45 करोड़ रुपये से अधिक नहीं था। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे स्टेनलैस स्टील के आयात सम्बन्धी घोटाले पर भी प्रकाश डालें जिस पर, 19 दिसम्बर, 1968 को चर्चा हुई थी।

मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री किस प्रकार 13 फर्मों को लाइसेंस जारी करने के मामले से जुड़े हुए थे, उनमें से प्रत्येक फर्म को कितने मूल्य का आयात करने के लाइसेंस दिये गये और विदेशी मुद्रा में कितनी राशि उन्हें आवंटित की गई?

इसके अलावा क्या श्री गोदरेज आयात निर्यात सलाहाकार समिति के प्रधान हैं और क्या वह फेयर ट्रेड प्रेक्टिसिज ऐसोसियशन आफ इंडिया के संस्थापक हैं और इसके प्रेसिडेन्ट भी रह चुके हैं?

श्री शान्ति भूषण : जनवरी, मार्च, 1977 के महीनों में खाद्य तेल के लिये दिये गये आयात लाइसेंसों की संख्या 3,675 थी और वे 526 करोड़ रुपये के मूल्य के थे। मई, 1977 के मध्य तक 45 करोड़ रुपये का आयात किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया फर्म-वार आंकड़े दीजिये।

श्री शान्ति भूषण : वह अभी मेरे पास नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह जानकारी माननीय सदस्य को दे सकते हैं।

श्री शान्ति भूषण : जी हां।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह यह जानकारी मुझे तीन दिन में दे दें।

मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल, सूरज पाल और जीत पाल के कुकृत्यों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री इस तेल के घोटाले के सम्बन्ध में कोई जांच आयोग नियुक्त करेंगे; और यदि नहीं तो क्यों? 1975–77 (आपात स्थिति की अवधि) में ऐसे कितने आयात लाइसेंस दिये गये और मई में जो जांच शुरू की गई उसमें क्या प्रगति हुई?

श्री शान्ति भूषण : इन आयात लाइसेंस के बारे में जांच चल रही है। सम्बन्धित फर्मों के नाम इस प्रकार हैं:—

1. मैसर्स गोदरेज सोप लिमिटेड बम्बई,
2. मैसर्स जमनादास माधवजी एण्ड कम्पनी, जामनगर, गुजरात
3. मैसर्स जय हिन्द आयल मिल्स कम्पनी, बम्बई
4. मैसर्स कमानी आयल मिल्स कम्पनी, बम्बई

5. मैसर्स श्री कृष्ण आयल मिल्स, बम्बई

6. मैसर्स कराचीखोपाडा मिल्स, बम्बई

7. मैसर्स आ.ेजय (पी) लिमिटेड, कलकत्ता-16

8. मैसर्स प्रभात सोलवेंत एक्सट्रेकान इन्डस्ट्रीज़ (पी) मन्यादर

9. मैसर्स ओशियनिक सोलवेंत इन्डस्ट्रीज, बादेश्वर, जामनगर,

10. मैसर्स कृष्ण आयल केक इन्डस्ट्रीज, पोरबन्दर रोड, अ.लेटा

11. मैसर्स बजरंग लाल अमृतकुमार, कलकत्ता-27

12. मैसर्स दी बेजीटेबल विटामिन फूड्स कम्पनी (पी) लिमिटेड, प्लाट, न० 108-109–बी, सोयन, बम्बई, —22.

13. मैसर्स मूलजी देवशी कम्पनी, नं० 116 मूलजी देवशी बिल्डिग, 116-केशवजी नायक रोड, बम्बई—9

निम्नलिखित 6 फर्मों के बारे में मामला विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जांच के लिये प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया गया है :—

1. मैसर्स गोदरेज सोप लिमिटेड, बम्बई

2. मैसर्स जमनादास माधवजी एण्ड कम्पनी, जामनगर

3. मैसर्स जय हिन्द आयल मिल्स, बम्बई

4. मैसर्स प्रभात सोलवेंट ऐक्सट्रेक्शन इन्डस्ट्रीज (पी) लिमिटेड, मन्याडर

5. मैसर्स दी वेजीटेबल्स विटामिन फूड्स कम्पनी, (पी, लिमिटेड, प्लाट नं0 108–109-बी, सोयन, बम्बई–22.

6. मैसर्स मूलजी, देवशी एण्ड कम्पनी, म-नं० 116 मूलजी देवशी बिल्डिग, 116–केशवजी नायक रोड, बम्बई, 9–

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने यह नहीं बताया है कि क्या वह इस फर्म के खिलाफ जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच करायेंगे और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शान्ति भूषण : जैसा मैंने कहा, जांच की जा रही है और कार्यवाही जांच परिणामों के आधार पर की जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon'ble Minister stated that 3675 licences of the value of about Rs. 500 crores were issued. Is it a fact that the licences purchased goods in the foreign countries and sold the same there at some profit? If so, may I know the quantity of goods so sold and that brought in India as also the names of those licencees?

Shri Shanti Bhushan: Free licensing procedure became applicable in January. Under this procedure, the persons who applied for licences were issued licences and foreign exchange released for them. We are ascertaining the names of the persons who sold goods at a profit after purchasing it in the foreign countries. Under Foreign Exchange Act, such profits have to be repatriated. As I said, we have referred the cases of 6 firms for enquiry to the Directorate of Enforcement. I don't have figures of the goods disposed off in the foreign countries. But we had issued licences of the value of Rs. 526 crores from January to March and the goods worth Rs. 45 crores had been imported.

डा० सुब्रह्मनियम स्वामी : गोदरेज के विरुद्ध क्या आरोप है ? क्या उसनें कोई अभ्यावेदन सरकार के पास भेजा है और यदि हां, तो सरकार उस पर कब तक निर्णय लेगी ?

श्री शान्ति भूषण : मामले की जांच हो रही है । यदि किसी ने विदेश में माल खरीद कर बेच दिया है और लाभ भारत में नहीं भेजा है तो यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय मंत्री ने बताया कि 7675 लाइसेंस जारी किये गये । 45 करोड़ रुपये के लाइसेंसों से कितनी पार्टियां सम्बन्धित हैं क्योंकि 526 करोड़ रुपयों में से केवल 45 करोड़ रुपये के लाइसेंसों का प्रयोग किया गया है ।

मैं जानना चाहता हूं कि 45 करोड़ रुपये के मूल्य के लाइसेंसों से कौन-कौन से पक्ष सम्बद्ध थे और दूसरे कितनी पार्टियों के लाइसेंस रद्द किए गए और 526 करोड़ रुपये के लाइसेंस देने के पीछे क्या इरादा था । क्या मंत्री महोदय हमें इस बारे में जानकारी दे सकते हैं ? क्या इसके पीछे यह इरादा था कि 526 करोड़ रुपये के मूल्य के तेल का आयात किया जाये ? इतने मूल्य का लाइसेंस देने का क्या उद्देश्य था ।

श्री शान्ति भूषण : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई इस जानकारी का सम्बन्ध है कि 45 करोड़ रुपये के लाइसेंस किन-किन पार्टियों को दिए गए, इस समय इस बार में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । जहां तक जनवरी–मार्च के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा है इस अवधि के दौरान 526 करोड़ रुपये के मूल्य के कुल 3,675 लाइसेंस जारी किए गए । यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जानकारी प्राप्त करके उससे उनको अवगत कराऊंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह हम कैसे जानें कि दोषी पार्टियां कितनी हैं, जिनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही कर रही है । जिन पार्टियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही कर रही है क्या वे इतनी कम नहीं हैं जितनी कि वे नहीं होनी चाहिए थी ?

श्री शान्ति भूषण : यदि उन पार्टियों ने जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करके उतने मूल्य का आयात कर लिया है तो उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करके ही उतने मूल्य का आयात किया है, इसलिए इसमें गैर-कानूनी बात कोई नहीं है। किन्तु जिन लोगों ने लाइसेंस प्राप्त किए और उसके बाद जिनके बारे में पता चला कि ....

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम पार्टियों की संख्या जानना चाहते हैं।

श्री शान्ति भूषण : यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना देंगे तो हम उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी देंगे।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि वर्तमान नीति क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि पहला निर्णय यह लिया गया है कि जो लाइसेंस पहले ही दिये जा चुके हैं और जिन पर ऐसे लाइसेंसों को जारी करने की तारीख से तीन महीनों के अन्दर अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों को खोलकर पक्का वचन नहीं दिया गया है या वस्तुओं के आयात के लिए कोई दूसरा अपरिवर्तनीय वचन नहीं दिया गया है, उन्हें आयात के लिए रद्द समझा जायगा। दूसरे अभ्यर्थी द्वारा विदेशी सप्लायरों के साथ दिए गए पक्के करार के आधार पर ही अब खाद्य तेलों तथा तिलहनों के लिए लाइसेंस प्रदान किए जायेंगे। तीसरे लाइसेंसों का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुएं तथा लाइसेंस की वैध अवधि अभ्यर्थी द्वारा विदेशी सप्लायरों के साथ किए गए पक्के करार की शर्तों के अनुसार होगी। चौथे आयात करने के तुरन्त पश्चात् लाइसेंस धारियों को सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकार के पास एक रिपोर्ट पेश करनी होगी। अंत में यदि लाइसेंस जारी करने के पश्चात् कोई लाइसेंसधारी किन्ही अपरिहार्य कारणों से आयात करने में समर्थ न हो तो मूल करार के अनुसार, उस लाइसेंस के द्वारा आयात न करने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर इस बारे में सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकार को सूचित किया जाना चाहिए।

Shri Balbir Singh: The Enforcement Department is conducting an enquiry into the bungling of Rs. 525 crores. I want to know whether the Government would constitute a parliamentary Committee to go into these affairs so that a proper enquiry might be conducted. Those very persons are conducting this enquiry with whose connivance this bungling took place. They will not properly enquire into these affairs. Therefore, I want to know whether the Minister is prepared to appoint a Parliamentary Committee to go into this bungling so that factual position may come out before the public and action could be taken against the persons found guilty?

Shri Shanti Bhushan: I have already stated that 3675 licences worth rupees 526 crores were issued and import worth only rupees 45 crores was made. Some of the licencees could not import. Under Foreign Exchange Regulation Act such licencees who have sold items after their importation, have to report to the Reserve Bank of India. Now we have to find out those licencees who have not reported to the Reserve Bank of India. Thereafter proper action will be taken against them.

Shri Balbir Singh: I want to know whether you will set up a Parliamentary Committee?

Shri Shanti Bhushan: There is no need to set up a Parliamentary Committee. We have proper machinery to deal with it.

Smt. Mrinal Gore: Action is being taken against 6 firms under Foreign Exchange Regulation Act. I want to know how much money is involved in this case?

Shri Shanti Bhushan: I have no information in this regard.

Smt. Mrinal Gore: How much money has been given to the Congress Election Fund by those persons who have been given licences?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है और उन्होंने उत्तर दे दिया है। आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते।

Shri Ram Murti: I want to know whether the Government have any agency to keep a watch on the activities of the licencees, if not, whether any such agency will be set up.

Shri Shanti Bhushan: When an import licence is issued, the foreign exchange worth the value of the licence is released. The foreign exchange is released only after the items have been imported. Besides this, one can purchase and sell the items provided he brings that money here in the country under the Foreign Exchange Regulation Act. There is no contravention of law in doing so.

हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

*531. **श्री समर गुह :**

श्री दिनेश जोरदार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अप्रैल, 1977 के कलकत्ता के दैनिक आनन्द बाजार पत्रिका में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने के बजाय सरकार अपना विचार बदलकर बम्बई पत्तन क्षेत्र में ऐसे उद्योग समूह का निर्माण करने की सोच रही है ;

(ख) क्या एक विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम का उक्त प्रयोजन के लिये 900 करोड़ रुपयें का पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां, ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना से सम्बन्धित स्थिति इस प्रकार है कि नेफ्था को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने हेतु, पश्चिम बंगाल सरकार से समय-समय पर हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना करने और हल्दिया शोधनशाला की क्षमता का विस्तार करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हल्दिया शोधनशाला का विस्तार और वहां पर एक पेट्रो-रसायन समूह

की स्थापना से सम्बन्धित दोनों प्रश्न अन्त: सम्बन्धित हैं क्योंकि भारतीय उर्वरक निगम के उर्वरक एकक द्वारा हल्दिया शोधनशाला की वर्तमान क्षमता से उपलब्ध नेफ्था के प्रयोग में पहल से ही गतिरोध उत्पन्न हो गया है और जब तक शोधनशाला की क्षमता में वृद्धि नहीं होती तब तक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के लिए नेफ्था उपलब्ध नहीं होगा। इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय (मंत्री जी के स्तर, के प्रतिनिधियों के बीच भी कई बार विचार विमर्श किया गया है। इस विषय पर सरकार का दृष्टि-कोण यह रहा है कि शोधनशाला की क्षमता का विस्तार पट्रो-रसायन उदयोग के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के लिए अनेक बातों पर विचार किया जायेगा तथा किसी नये पेट्रो-रसायन एकक की स्थापना अन्य बातों के साथ साथ संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अभी हाल ही में पश्चिमोबंगाल औ योगिक विकास निगम ने हल्दिया में नेफथा क्रैकर और डाउन स्ट्रीट एककों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था। एक अन्त: विभागीय समिति और लाइसेंस समिति ने इन प्रस्तावों का अध्ययन किया और यह निर्णय किया कि इन प्रस्तावों पर किसी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को इस से सम्बन्धित और आंकड़े प्रस्तुत करने होगें और योजनो आयोग द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल्यकान किया जायेगा कि ये प्रस्ताव किफायती तौर से उचित हैं।

कुछ समय पूर्व मेसर्स टेक्नीकल वर्कस एण्ड इंडस्ट्रीयल लिंक लिमिटेड नाम और स्टाइल वाले कुछ नये उदयोगियों ने पश्चिमी प्रदेश में 700करोड़ रुपये का लागत पर पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में एक विशेषज्ञ-मुखी पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना को परिकल्पना है। इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव में एक ऐसे पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना सम्मिलित है जिसके उत्पाद वास्तविक रूप से और मुख्य रूप से निर्यात करने वाले हों और यह समूह ऐसे किसी भी अन्य पेट्रो-रसायन का विक्रय नहीं होगा जो हल्दिया में स्थापित किया जायेगा।

श्री समर गुह : यद्यपि मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने अपने विवरण में "नहीं" कहा है, तथापि उन्होने यह प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि मैसर्स टेक्नीकल वर्क्स एंड इंडस्ट्रियल लिंक लिमिटेड ने पहले ही बम्बई में 700 करोड़ रुपये की लागत से एक पट्रो-रसायन समूह स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। गत 5–6 वर्षों से बातचीत चल रही है और इस सभा में कई बार आश्वासन दिए गए हैं कि हल्दिया के नए पत्तन पर जलयान निर्माण तथा पट्रो-रसायन सहित विभिन्न समूहों का विकास किया जायेगा। प्राय: प्रत्येक सत्र में यहां प्रश्न उठाये जाते हैं और आश्वासन दिए जाते हैं। किन्तु अब माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि इसका सम्बन्ध नेफ्था के उत्पादन तथा उपलबधता से जोड़ दिया गया है। और चुंकि नेफ्था उपलब्ध नहीं है अत: पेट्रो-रसायन समूह का विकास नहीं किया जा सकता। ऐसा ही प्रतीत होता है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के लिए जिस बहु-राष्ट्रीय कम्पनी ने प्रस्ताव रखा है, उसे हल्दिया में इसकी स्थापना करने की अनुमति क्यों न दी जायें चाहे वह निर्यात प्रधान ही क्यों न हो। क्योंकि हल्दिया में औद्योगिक तथा इंजीनियरी सभी आधार हैं जैसे कि कलकत्ता, हावड़ा, जमशदपुर खड़गपुर आदि। यहां से उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। चूंकि इसका सम्बन्ध पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्यक्रम से है अत: इसके निर्यात प्रधान होते हुए भी इसे लाइसेंस दिया जाना चाहिए ताकि हल्दिया में पट्रो-रसायन समूह की स्थापना हो सके।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बरोनी की उपेक्षा क्यों की जाये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम हल्दिया के लिए यथासंभव सब कुछ करने का प्रयास करेंगे । मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से वादा किया है कि हम नैप्था का पता लगा रहे हैं और यदि हमें नैप्था मिल गया है तो हम इस समस्या को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे । इसमें स्थान आदि के बारे में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायेगा ।

जहां तक इस विशेष कम्पनी का सम्बन्ध है, 1975 में उन्होंने आवेदन किया था किन्तु वे संयंत्र की स्थापना नहीं कर सके । अब इस समूचे समूह पर लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत आयेगी । इस विशेष फर्म ने अपनी 8 वर्ष की अवधि में 30 लाख रुपए से अधिक का काम नहीं किया । इसलिए, उनकी क्षमता पर संदेह है ।

मैं माननीय सदस्य, श्री समर गुह को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं । मैंने "न" नहीं कहा है । किन्तु मैं इतना बता दूं कि हम इसकी स्थापना बरौनी, या मथुरा या किसी अन्य संयंत्र की बलि देकर नहीं करेंगे । हल्दिया के अपने क्षेत्रीय लाभ भी हैं । अन्य दृष्टिकोणों से भी हल्दिया को कई सुविधायें प्राप्त हैं । पश्चिम बंगाल की आवश्यकता भी अवश्य पूरी करनी है , किन्तु पहले नेप्था का पता लगाया जाना चाहिए और जैसे ही नेप्था का पता लग जायेगा, हम वहां तुरन्त पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना कर देंगे ।

श्री समर गुह : हल्दिया पेट्रो-रसायन समूह के लिए मंत्री जी ने जो सहानुभूति-पूर्ण रवैया दिखाया है, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं । क्योंकि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है और इससे यह समस्या कुछ हद तक कम हो जायेगी । पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना के बारे में दो बातें हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं कोई परियोजना आरम्भ करेगी । हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र के अनुमोदन के लिए एक ठोस प्रस्ताव रखा है । किन्तु उत्तर में दो त्रुटियां हैं । (1) उन्होंने अग्रेतर आंकड़ों के लिए पूछा है । वे कैसे आंकड़े चाहते हैं, मुझे पता नहीं है ।

(2) योजना आयोग द्वारा अनुमोदन । भगवान ही जानता है । छोटी सी बात के लिए भी योजना आयोग अनुमोदन देने में महीनों लगा देता है ।

मैं जानना चाहता हुं कि क्या केन्द्रीय सरकार पैट्रो-रसायन समूह स्थापित करने के लिए पहल करेगी । दूसरे, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव है कि, इस पर शीघ्रता से कार्य किया जाना चाहिए इसलिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए । क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव के बारे में शीघ्रता से कोई निर्णय लिया जायगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस मामले में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार पृथक होकर कार्य नहीं कर सकती । दोनों को मिलकर काम करना होगा । अतः अलग होकर काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है, यदि हम इसे गैर-सरकारी क्षेत्र को भी तो भी योजना आयोग का बीच में आना आवश्यक है। इसमें विदेशी मुद्रा तथा अन्य कई बातें भी सम्मिलित हैं। चाहे संयुक्त निधि अनुमति दे या नहीं, योजना आयोग बीच में जरूर आयेगा। हम उसे रोक नहीं सकते। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यह योजना आयोग या पश्चिम बंगाल सरकार का दोष नहीं है। मेरा ख्याल है कि 1971 से पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा ही भारत सरकार को कुछ न कुछ लिखती रही है और भारत सरकार हमेशा न कहती रही है। अब चूंकि जनता पार्टी सत्ता में है, अतः हम इस मामले को हल करने में मदद करेंगे। पहले वे कहा करते थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते और फिर पश्चिम बंगाल सरकार कहती थी ठीक है। हल्दिया में अपने संयंत्र की क्षमता बढ़ाइये। भारत सरकार ने कहा है कि हमारे पास केवल 15 लाख टन की क्षमता है। वे कहते थे इसे 35 लाख टन करो। फिर उत्तर नकारात्मक होता था। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें हल्दिया में जितना नैप्था मिलता है वह हमें दुर्गापुर कारखाने को भेजना पड़ता है। हम दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र को बन्द नहीं कर सकते। इससे पश्चिम बंगाल को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान नहीं हो सकेंगे। फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि इस परिशोधन शाला की क्षमता 70 लाख टन करो। हम कच्चा तेल कहाँ से लें? यदि हमारे पास नैप्था क्रैकर नही भी होता तो भी हमें कुछ पदार्थों से नैप्था बनाना होगा। हल्दिया के लिए सब कुछ किया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : एक समाचार से ज्ञात हुआ है कि पेट्रो-रसायन समूह से बम्बई में प्रदूषण के कारण फेफड़े की बीमारी हो रही है। क्या प्रदूषण विरोधी कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय सदस्य से सहयोग और सहायता चाहता हूं। मैं उस सहयोग का अवश्य प्रयोग करूंगा।

वहां प्रदूषण बहुत पहले हो रहा है। इस बारे में कुछ कदम भी उठाये हैं। मैंने माननीय सदस्यों से वादा किया है कि हम महाराष्ट्र सरकार, उनके प्रदूषण-विरोधी बोर्ड बम्बई के माननीय सदस्यों विशेषकर डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी के साथ एक संयुक्त बैठक बिठायेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए हल्दिया में एक पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना करना आवश्यक है। मंत्री जी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहानुभूति प्रगट कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह हल्दिया परिशोधनशाला के विस्तार के लिए आदेश जारी करेंगे ताकि हल्दिया पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के बारे में यथासंभव शीघ्र विचार किया जा सके?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने शुरू में ही कहा था कि हल्दिया के बारे में हमारी यह कठिनाई है कि परिशोधन के लिए वहां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल नहीं है। इसकी क्षमता बढ़ाने तथा इसके विस्तार के लिए कार्यक्रम 1983–84 तक आरम्भ किया जायेगा। अतः फिलहाल हल्दिया के विस्तार के बारे में कोई विचार नहीं है।

मैं कह रहा हूं कि वह हल्दिया का ही प्रश्न नहीं है। यदि आप केवल हल्दिया के विस्तार की बात करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमें देश के सभी भागों का ध्यान रखना

है । हमारा यह कर्तव्य है कि देश के सभी भागों की ओर ध्यान दिया जाये और सरकार ऐसा ही करना चाहती है । ऐसा करने के लिए हम अन्य तरीके खोज रहे हैं । यह क्षेत्रीय विषमता या सहानुभूति की बात नहीं है ।

डा० कर्ण सिंह : श्रीमान् प्रदूषण और अल्प प्रदूषण प्रौद्योगिकी का प्रश्न उठाया गया है । क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि जब इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी या इनका विस्तार किया जायेगा तो क्या पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति तथा इससे सम्बद्ध विशेषज्ञों से परामर्श किया जायेगा । इस समिति की स्थापना इसलिए की गई थी कि हम विकासशील देश में प्रदूषण रोकने की प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, हमने यह निर्णय लिया है कि अब हम जो भी परियोजना तैयार करेंगे या जिस संयंत्र की स्थापना की अनुमति देंगे उसमें प्रदूषण विरोधी उपाय अपनाये जायेंगे ताकि किसी प्रकार से प्रदूषण न हो । आज अतीत में की गई उपेक्षा के कारण हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

डा० सुशीला नायर : मैं मंत्री जी से जान सकती हूं कि क्या यह सही है कि राज्य सरकारें बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने और उनमें सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा वहां प्रदूषण रोकने के लिए उत्सुक हैं और क्या यह सही नहीं है कि उनके अपने ही अधिकारी विशेषज्ञों की सलाह की परवाह नहीं करते । उदाहरण के लिए मथुरा परिशोधनशाला के बारे में विशेषज्ञों की राय हैं कि यदि मथुरा में परिशोधनशाला स्थापित की जाती है तो आगरा और उससे आगे बसने वाले लोगों के लिए, जो यमुना का पानी पीयेंगे खतरा उत्पन्न हो जायेगा । मुझे खुशी है कि इस प्रस्ताव को नया रूप दिया जा रहा है । किन्तु श्रीमान मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहती हूं कि विशेषज्ञों की सलाह की उपेक्षा नहीं की जायेगी । मैं उनसे यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार चेम्बूर में 55 से 75 प्रतिशत बच्चे प्रदूषित वातावरण के कारण फेफड़े की बीमारी का सामना कर रहे हैं । वातावरण प्रदूषित होने के प्रति सावधानी न बरतने तथा अन्धाधुन्ध रूप से उद्योगों की स्थापना से हुई हानि को दूर करने के लिए उनका क्या विचार है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमान् डा० नायर ने तीन प्रश्न उठाये हैं । उनके प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या सरकारी अधिकारी विशेषज्ञों की राय पर ध्यान नहीं देते । मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब के बाद विशेषज्ञों की राय अंतिम होगी तथा उसे माना जायेगा ताकि अब किसी भी परियोजना से प्रदूषण न हो । उनके प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या चेम्बूर में इसके कारण प्रदूषण नहीं हुआ । मैं मानता हूं कि प्रदूषण हो रहा है । किन्तु जो आंकड़े दिए गए हैं, मैं उनकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि ये आंकड़े मेरे पास नहीं पहुंचे हैं । किन्तु मैंने उनसे इस सभा में इसके बारे में पहले ही वादा कर लिया है । वास्तव में आपने पहले ही तिथि निर्धारित कर ली थी । किन्तु फिर हमने वह तिथि बढ़ा दी क्योंकि हमने सोचा था कि यह तिथि कुछ लोगों के लिए ठीक रहेगी किन्तु महाराष्ट्र सरकार के लिए यह ठीक नहीं रही और इसीलिए हम तिथि में परिवर्तन

कर रहे हैं । अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम जनता तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इन बातों का अध्ययन करेंगे और इस मामले में अंतिम निर्णय लेकर कदम उठायेंगे ।

कुछ कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं । इस बात का भी अध्ययन किया गया है कि अभी और कितना कुछ किया जाना है । इस तरह का अध्ययन करने में धन को अधिक महत्व नहीं दिया जायेगा । किन्तु ऐसा एक साल के अन्दर नहीं किया जा सकता । इसमें कई वर्ष लगेंगे । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं प्रदूषण विरोधी उपाय करने में कसर नहीं छोड़ूंगा ।

उनके प्रश्न का अंतिम भाग यह है कि क्या मथुरा परिशोधन शाला से उन लोगों को भी प्रभाव पड़ेगा जो कि मथुरा से आगे रहते हैं और जिन्हें यमुना का पानी पीना पड़ता है । इस बारे में पूरी सावधानी बरती जा रही हैं । मैं उन्हें प्रदूषण विरोधी कार्यों के बारे में केवल तभी संतुष्ट कर सकता हूं जबकि मैं उन्हें यह आश्वासन दूं कि प्रदूषण रोकने के लिए हमने उपाय किए हैं किन्तु चूंकि लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने निर्णय किया है कि परिशोधनशाला से जो पानी निकले उसमें प्रदूषण का प्रभाव न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दीनेन भट्टाचार्य ।

श्री समर गुह : श्रीमान् मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मुझे केवल आधा मिनट चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही श्री भट्टाचार्य को बुला लिया है ।

श्री समर गुह : श्रीमान् मैं केवल इतना कहना चहता हूं कि पूंजीपतियों के दबाब के कारण कांग्रेसी सरकार ने प्रदूषण विरोधी विधेयक पेश नहीं किया ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रीमान इस सभा में इस परियोजना पर कई बार बहस हुई है और हमें कई बार इस बारे में आश्वासन भी प्राप्त हुए हैं । आज मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हे पूर्ण सहानुभूति है और वह हल्दिया परियोजना स्थापित करने में भरसक प्रयास करेंगे । किन्तु विवरण से पता चलता है कि उन्होने पश्चिम बंगाल सरकार से और आंकड़े मांगे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कौन से आंकड़े चाहिए और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य ने अतीत में किए गए वादों का उल्लेख किया है । मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हम नेप्था का पता कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या हम हल्दिया में नेप्था क्रेकर और डाउनस्ट्रीम एकक स्थापित कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में हम विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है ? मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को लिख दिया है कि मैं स्वयं हल्दिया जाने का विचार कर रहा हूं और मैंने उन्हें भी वहां बुलाया है ताकि उसी स्थल पर विचार कर सकें ।

श्री वसन्त साठे : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि धन मुख्य विचारणीय पहलू नहीं होगा । मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक लोगों के जीवन तथा संस्कृति का सम्बन्ध है, क्या उन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें कहा गया है कि मथुरा परिशोधनशाला से यमुना का पानी दूषित हो जाएगा और इसका लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा और फिर ऐसी स्थिति आएगी कि भरसक प्रयास करने पर भी

प्रदूषण को रोकना असंभव सा हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि मथुरा परिशोधनशाला से यमुना में जो सल्फर डाइक्साइड बहेगा उससे ताजमहल 50 वर्षों में पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और आप इससे रोक नहीं सकते। क्या आप 50 वर्षों के बाद ताज को हटाने की बात करेंगे और वित्तीय दृष्टि से इस परिशोधनशाला को नहीं हटायेंगे? आपका क्या विचार है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमान् मथुरा परिशोधनशाला का शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री ने किया था और उस पर 60 से 80 करोड़ रुपए तक पहले ही व्यय हो चुका है। मैं श्री साठे को विश्वास दे सकता हूं कि प्रदूषित पानी की एक भी बूंद यमुना में नहीं जाएगी। और वातावरण को स्वच्छ रखने सम्बन्धी सभी निकायों को संतुष्ट रखने के लिए हम कार्यवाही करेंगे।

जहां तक ताजमहल का सम्बन्ध है, मैंने पहले भी इस सभा में उत्तर दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि विशेषज्ञों की यह राय है कि ताजमहल पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु एक दो विशेषज्ञों ने कुछ और प्रश्न उठाए हैं। हमने समिति में पुनः विचार किया है कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। सल्फर डाइक्साइड को सोलामी तथा अन्य वस्तुओं से निष्प्रभावी बनाया जा सकता है और इसकी एक औंस भाप बाहर नहीं निकलने दी जाएगी। इसके लिए थोड़ा बहुत निवेश करना होगा। अतः हम ताज को सुरक्षित रखने के लिए हर प्रकार से सावधानी बरतेंगे। जब मैं और श्री साठे एक ही दल में थे तो भी आज की तरह ताजमहल के प्रति सचेत रहते थे।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र में हड़तालें और श्रमिक आन्दोलन

21. **श्री समर गुह :**
श्री वसन्त साठे :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र को हड़तालों और अन्य श्रमिक आन्दोलनों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र की क्षमता 100 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उक्त अशांति के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्थिति से निबटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

2045—LS—2

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हाल ही में घटनाएं हुई हैं, जब कि विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों के एक वर्ग ने आदोन्लनों का सहारा लिया, जिसमें हड़ताल और घेराव भी शामिल हैं। जब कर्मचारीवृन्द इस प्रकार के आन्दोलनों का सहारा लेते हैं, तो केन्द्र का सामान्य कार्य अपरिहार्य रूप से अस्तव्यस्त हो जाता है, लेकिन इससे यह जाहिर नहीं होता है कि केन्द्र की क्षमता 100 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह गई है।

(ख) हाल ही में जो दो घटनाएं हुई हैं, वे इस प्रकार हैं :

(i) 27 जून, 1977 को कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग द्वारा विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र से इसरो केन्द्र, श्री हरिकोटा को एक होरिजान्टल बोरिंग मशीन जिसकी वहां अत्यन्त आवश्यकता थी, के 25 जून, 1977 को स्थानान्तरण करने के विरोध में औजार-बन्द हड़ताल की थी। केन्द्र का सामान्य कार्यकरण अस्तव्यस्त हो गया था। हड़ताल 27 जून, 1977 के सायंकाल तक जारी रही थी। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

(ii) 8 जुलाई, 1977 को लगभग 200 कर्मचारियों ने विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में एक प्रभाग के प्रधान तथा एक अनुभाग के प्रधान का घेराव किया तथा एक चेतावनी के ज्ञापन, जो कि एक हेल्पर को बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय में देर से आने के कारण और प्रश्न करने पर तथाकथित अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने पर तथा अपने पर्यवेक्षक को धमकी देने के कारण दिया गया था, के वापस लेने का आग्रह किया। यह घेराव अपराह्न बाद उस समय तक जारी रहा था जब तक कि पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की और उन 13 कर्मचारियों को हिरासत में लिया, जिन्होंने अधिकारियों को सीधे रोक रखा था। ये कर्मचारीवृन्द अपनी व्यक्तिगत जमानत पर उसीं शाम रिहा कर दिए गए थे।

(ग) कर्मचारियों को जो कि सरकारी सेवक हैं, चेतावनी दी गई है कि ऐसे आन्दोलन सरकारी सेवकों के आचरण नियमों का उल्लंघन है और इससे उन पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। केन्द्र के कार्य को सुचारु रूप में आगे बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में कर्मचारी संबंधों, वास्तविक शिकायतों को दूर करने, स्टाफ कल्याण इत्यादि जसे मामलों के प्रबन्ध के लिए उपयुक्त तन्त्र विद्यमान है।

श्री समर गुह : विज्ञान का एक छात्र रहने के कारण मुझे परमाणु अनुसंधान संस्थान विशेषकर, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में विशेष रुचि है। मैंने यह प्रश्न केवल इसलिए पूछा है क्योंकि इस तरह के विशेषीकृत, संस्थाओं तथा केन्द्रों में कर्मचारियों की ओर से कोई आन्दोलन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह विशेषीकृत अनुसंधान केन्द्र है, अतः सरकार को किसी ऐसे तंत्र की स्थापना करनी चाहिए जिससे कि जब कभी यहां प्राधिकारियों तथा श्रमिकों के बीच कोई विवाद उठ खड़ा हो उसे तुरन्त हल किया जा सके। कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए तुरन्त उपाय किए जा सकें। यहां उल्लेख किया गया हैं कि इसके लिए समुचित तंत्र की व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के तंत्र का क्या स्वरूप है और उसका क्या उद्देश है ?

श्री मोरारजी देसाई : पहली बात तो यह है कि इन कार्मिक संघों को समाप्त कर दिया जाए। अनुसंधान संस्थाओं में कार्मिक संघ गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे उद्योग नहीं है और इसलिए वे इस नियम के अन्तर्गत आते है। वे एसोसियेशन बना सकते हैं। जैसे कि सरकारी कर्मचारी "सरकारी कर्मचारी आचारण नियमों" के अन्तर्गत एसोसियेशन बनाते हैं। इनमें कोई बाहर का व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। सभी सरकारी विभागों की तरह वहां भी तन्त्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों की शिकायतों पर तत्काल सुनवाई हो।

श्री समर गुह : हमें जनता सरकार से उम्मीद है कि इस तरह के तंत्र में परिवर्तन किया जाना चाहिए। रवैये में परिवर्तन किया जाना चाहिए। 13 व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया है और उत्तर में बताया गया है कि उन्हें व्यक्तिगत जमानत पर रिहा किया गया है। यदि उन्हें बर्खास्त किया गया है तो फिर उन्हें व्यक्तिगत जमानत पर रिहा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब तो यह हुआ कि उन्हें गिरफ्तर किया गया है। ऐसे में "गिरफ्तार" शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि अभी भी पुराने विचार या पुराना रवैया ही चल रहा है। यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार, शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि "बर्खास्त" शब्द का। मैं माननीय मंत्री जी से बात कहना चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुसंधान संस्थाओं में आम श्रमिक आन्दोलन या श्रमिक सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। किन्तु फिर भी सरकार को कोई रवैया या उपाय अपनाने चाहिए ताकि कर्मचारियों को आश्वासन मिल सके कि अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों पर तुरन्त तथा न्यायपूर्ण ढ़ंग से ध्यान दिया जाएगा। मेरा यही प्रश्न है। किन्तु दुर्भाग्य से उत्तर उसी तरह सामान्य रूप में है, जैसा कि कांग्रेस सरकार के शासन काल में होता था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनता सरकार इस रवैये में परिवर्तन करेगी।

श्री मोरारजी देसाई : यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि सरकार बदलने पर सब कुछ बदल जाता है तो यह उनकी गलती है। कुछ ऐसी बातें होती है जो सभी सरकारों के लिए सामान्य होती हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि भूतपूर्व सरकार ने जो किया है, वह गलत था। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। यह गलत रवैया है।

श्री समर गुह : देखिए वे तालियां बजा रहे है। मैं तो केवल यह कह रहा था कि इस तरह की विचारधारा बदली जानी चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : आपने ही उन्हें ताली बजाने का अवसर दिया है। हमें उन्हें ऐसां अवसर नहीं देना चाहिए। जब उन्हें ताली बजाने का अवसर मिला है तो फिर हम उन्हें दोष क्यों दें। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है। मैंने अपने उत्तर के अंत में कह दिया था कि कर्मचारी -नियोजक सम्बन्धों, कर्मचारियों की न्यायोचित शिकायतों तथा कर्मचारी कल्याण आदि के लिए समुचित तत्र की व्यवस्था है। किन्तु यदि वह उस तत्र का वर्णन चाहते हैं, तो वह दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उन्हें जानकारी दूंगा।

श्री वसन्त साठे : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी कहा है कि कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित तंत्र की व्यवस्था है। यदि ऐसा है तो श्री विक्रम साराभाई

की मृत्यु के बाद वहां क्षमता 100 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत क्यों रह गई। ऐसा भी मालूम हुआ है कि इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों में भय सा उत्पन्न हो रहा है । मैं यह समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों में इस लिए एक प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उन्हें तथा उनके परिवार वालों को बेनाम टेलीफोन काल्स आ रही हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि स्थानीय श्रमिकों, निम्न वर्गीय कर्मचारियों पर्यवेक्षकों तथा टेक्निकल स्टाफ में व्याप्त असंतुष्टि तथा क्षमता घटने के कारण अगले वर्ष दिसम्बर में जो परिक्रमा पथ स्थापित करने का विचार था क्या उसे स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

श्री मोरारजी देसाई : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं क्षमता में कोई कमी नहीं हुई है । यह तो केवल कुछ लोगों का विचार मात्र ही है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। कुछ समय के लिए काम कम हो सकता है। ऐसा तो होता ही रहता है। इससे केंद्र की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता। अंतरिक्ष कार्य चल रहा है। उपग्रह कार्य भी चलता रहेगा।

Shri Om Prakash Tyagi: I want to know whether it is a fact that the tool-down strike was not due to a worker. I came to know that the machinery in B.S.S.C. is lying unused. The work is being done on contract basis outside the institution. Instead of three shifts the work is being done in only one shift. Because of it the workers are agitated and they want that the work should be done in the institution itself. They want there should be two shifts. It has also come to my knowledge that the children of workers and other staff are studying in the same school but the children of workers are not allowed to use school bus. These are the grievances of workers there. I would like to know whether the Hon. Prime Minister will assure that these grievances will be redressed?

Shri Morarji Desai: I do not know where from the hon. member came to know all this. Nothing of this sort is there. It is totally wrong to say that the work is being done outside on contract basis. Their demand was that the warning served to helpers should be withdrawn. I request the hon. members not to go into other things.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जब अन्तरिक्ष केन्द्र हौरिजेंटल बोरिंग मशीन को विक्रम अन्तरिक्ष केन्द्र से हटाना चाहता था तो इस पर वहां असंतोष फैल गया। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि केरल में लोग बहुत आशंकित हैं कि कहीं वहां से अन्तरिक्ष केन्द्र हटा दिया जाये। माननीय मंत्री जी को लोगों के मन से यह भय दूर कर देना चाहिए। इससे इस असंतोषजनक स्थिति में कुछ सुधार हो पायेगा। मैं प्रधान मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि श्रमिकों ने प्राधिकारियों के समक्ष अपनी कई शिकायतें रखी है, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी ताकि ठीक ढंग से इन समस्याओं को हल किया जा सके और अच्छा वातावरण पैदा हो सके?

श्री मोरारजी देसाई : वहां से अन्तरिक्ष केन्द्र को हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पता नहीं कैसे यह बात उत्पन्न हुई है। किन्तु मेरे कुछ मित्र इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस तरह की सभी गतिविधियां केरल में भी होनी चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं कि इसका क्या मतलब है। जहां कहीं आवश्यक समझा जायेगा वहां नया केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री मोरारजी देसाई : आपने ऐसा नहीं कहा है लेकिन आप ऐसा सोचते हैं

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरे मन में यह विचार बिल्कुल नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं आपका धन्यवाद करता हूं और खेद है कि मैंने आपको यह बताया है। किन्तु मुझे ऐसा बताया गया है। श्रमिकों ने ऐसा ही कहा है . . . **(व्यवधान)**

यदि उनकी शिकायतें हैं और उन पर सहानुभतिपूर्वक विचार नहीं हुआ है तो मैं निश्चिय ही उन पर ध्यान दूंगा। किन्तु सहानुभूति का यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक मांग पर सहानुभूति दिखाई जाये। मैं यह स्पष्ट करदू कि जो मांगें उचित नहीं होंगी उन पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जायेगी।

श्री वयालार रवि : प्रधान मंत्री ने एककों के कार्यकरण के बारे में भी कुछ कहा है। मुझे आशा है कि उन्हें पता होगा कि मैं वहां के संघ से सम्बद्ध हूं। मैं प्रधान मंत्री को आश्वासन देता हूं कि श्रमिकों की ओर से हम पूरा सहयोग देने का प्रयास करेंगे। किन्तु उन्हें भी आश्वासन देना होगा कि वह कर्मचारियों की समस्याओं पर पूरा ध्यान देंगे। प्रधान मंत्री को पता होगा कि अन्तरिक्ष विभाग द्वारा इसे अपने अधीन लेने से पूर्व आई० एस० आर० ओ० श्री विक्रम साराभाई के समय एक स्वतंत्र संगठन था। बाद में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेता श्री ए० के० गोपालन एक संघ के अध्यक्ष थे। मैं दूसरे संघ का अध्यक्ष हूं। हम वहां काम कर रहे हैं और वहां किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। आम तौर पर मेरी कोई शिकायत नहीं है किन्तु कुछ विभागों में असंतोष है। केवल दो बार वहां असतोष पैदा हुआ। एक बार तो पानी के मामले में हुआ। जहां तक हाल ही में हुए घेराव का सम्बन्ध है, मैं भी श्रमिकों द्वारा की गई टूल-डाउन हड़ताल को उचित नहीं समझता। मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। किन्तु विभागाध्यक्ष ने श्रमिकों के लिए गैर संसदीय शब्दों का प्रयोग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु वह संसद नहीं है।

श्री वयालार रवि : मैं उन शब्दों को यहां नहीं दोहरा सकता। वे गालियां है।. इनसे श्रमिक भड़क उठे। आश्चर्य तो इस बात का है कि प्रधान मंत्री उन्हें पुलिस संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि काम ठेके पर नहीं कराया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि अधिकारियों ने प्रधान मंत्री को आधार हीन सूचना भेजी है। वहां तीन पारियां चल रही थीं। अब केवल एक पारी में काम हो रहा है। मैं आपके सामने सचाई पेश कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि क्या प्रधान मंत्री इस बात को प्रमाणित करेंगे कि वहां पहले तीन पारियों में काम होता था और अब केवल एक पारी में काम होता है और अभी भी कई काम ठेके पर करायें जा रहे हैं। क्या यह सही है कि आई० एस० आर० ओ० के कुछ लोगों ने विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की अपश्रेय देने के लिए जानबूझकर प्रयास किया ताकि इसको वहां से हटाया जा सके और उसका विस्तार न हो सके।

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमान वहां जो घेराव हुआ वह संघ ने आयोजित किया, जिसके कि माननीय सदस्य सम्बद्ध हैं। माननीय सदस्य के रूप में उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी इस तरह कार्मिक संघ नहीं बना सकते। उनके संघों में बाहर के लोग नहीं रह सकते और वह वहां के लिए बाहर के ही व्यक्ति हैं। जब तक वहां बाहर के लोग होंगे तब तक इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी।

श्री वयालार रवि : मुझे आपके कथन पर भारी आपत्ति है। मुझे प्रधान मंत्री से ऐसे कथन की आशा नहीं थी कि मुझे सभा के समक्ष मांफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे मांफी मांगनी चाहिए। मैंने उन्हें बताया है कि क्योंकि मैं वहां से सम्बद्ध था इसलिए वहां किसी तरह का संकट पैदा नहीं हुआ। खेद है कि प्रधान मंत्री ने इस तरह की बात कही है। यदि मैं कोई संकट पैदा करना चाहूं तो मैं कर सकता हू और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे धमकी मत दीजिए।

श्री मोरारजी देसाई : मैं आपको यहां नहीं रोक सकता किन्तु वहां रोक सकता हूं।

श्री वयालार रवि : वहां 6 वर्षों तक कोई हड़ताल नहीं हुई। आप फाइलें देख सकते हैं। मैंने सरकार की सहायता की है। मैं जानता हूं कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है। मैं वहां समुचित व्यवस्था बनाए रखना चाहता हूं। आप मुझे वहां से नहीं हटा सकते।

(व्यवधान)

मैं उस निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं एक जिम्मेदार संसदविद हूं। खेद की बात है कि मेरे इतने सहयोग के बाद भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। जब मैं खड़ा हूं तो वह कभी खड़े हो रहे हैं और कभी बैठ जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए।

यदि वह यहां ऐसा कर रहे हैं तो पता नहीं वहां क्या करते हैं। अतः उन्हें सतर्क रहना चाहिए। वह मुझे धमकी देनें का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु मुझे मालूम है कि असंतोष को कैसे दबाया जाता है। मुझे धमकी देने का कोई लाभ नहीं है। मैंने उन्हें बिल्कुल भी धमकी नहीं दी है। मैं किसी को भी धमकी नहीं देना चाहता। किन्तु साथ ही मैं किसी की भी धमकी नहीं सह सकता। यह समझ लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भावावेश में आ गए थे।

श्री मोरारजी देसाई : वह भावावेश में आ गये तो मैं क्या करूं। वह सुनें जो कुछ उन्हें सुनना है। मैंने पहले ही कहा है कि वहां कार्मिक संघ नहीं बनाया जा सकता और, यदि वहां कार्मिक संघ नहीं हो सकता तो उन्हें उस संघ को चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें यह बात समझनी चाहिए और संसद सदस्य होने के नाते उन्हें एक उदाहरण पेश करना चाहिए।

अत : प्रश्न यह नहीं है । यदि वह कहते हैं कि वहां तीन की बजाय एक पाली में काम हो रहा है और कुछ और बातें हो रही हैं तो वह मुझे लिखित रूप में दें । मैं अवश्य ही उन बातों की जांच करूंगा । किन्तु जब वह गलती पर है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिये । केवल इसी शर्त पर मैं इन बातों की जांच करूंगा

तत्पश्चात् प्रश्न यह है कि जब कोई केन्द्र कार्य आरम्भ कर देता है तो वहां रोजगार प्राप्त व्यक्ति कम होते हैं किन्तु जब यह स्थापित हो रहा होता है तो वहां अधिक लोगों को रोजगार मिला होता है । जब केन्द्र कार्य करना आरम्भ कर देता है तो वहां काम करने वालों की संख्या कम होती है । अतः वह जो कुछ कह रहे हैं वह बिलकुल सही नहीं है । किन्तु यदि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सही नहीं है तो वह मुझे लिखित रूप में दें । मैं अवश्य ही सतर्कता से इसकी जांच करूंगा । और यदि वह सही होंगे तो मैं पूरा न्याय करूंगा और बताऊंगा कि मेरी क्या गल्ती है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रधान मंत्री ने इस सभा को तथा देश को ठीक ही आश्वासन दिया है कि वह सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों पर समुचित ध्यान देंगे । मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह उस बात की पुष्टि करेंगे कि सरकारी संस्थाओं या अन्य में घेराव के लिए कोई स्थान नहीं है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह समय समय पर स्पष्ट किया गया है । इसे और स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है । केवल कार्यवाही करने की जरूरत है । प्रत्येक घेराव के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी । मैं यह बात हमेशा के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Branch Lines Running in Loss

†*526. **Shri Mahadepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many branch lines of Railway are running in loss; and

(b) if so, their number and the steps taken by Government to check this loss?

The Minister of Rai'ways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Yes, Sir.

(b) The number of such lines varies from year to year. In the year 1975-76 there were 132 such branch lines which suffered loss. Efforts have been made to reduce working expenses to the extent feasible. On many sections mixed trains have been introduced instead of separate goods and passenger trains. Close liaison is maintained with the trade. Timely supply of empties is arranged and loading|release of wagons is watched. Efforts are made to minimise transit time, and checks against ticketless travel have been intensified

बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच रेलगाड़ी सेवा

***528. श्री के० ए० राजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जनाकारी है कि त्रिवेन्द्रम से बम्बई जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या के लिए रेल सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच प्रतिदिन एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है ?

रेल मंत्री (प्राफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : बम्बई वी० टी० और तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल के बीच यात्रा करने के लिए इस समय सप्ताह में दो बार चलने वाली नं० 81/82 बम्बई–एर्णाकुन्लम/मंगलौर जयन्ती जनता एक्सप्रेस से एर्णाकुलम पर सुविधाजनक मेल की व्यवस्था है जैसा की नीचें दिया गया है :—

नं० 81 जयन्ती जनता एक्सप्रेस		नं० 82 जयन्ती जनता एक्सप्रेस
15.55 छू०	बम्बई वी० टी	प० 04.25
06.10 प०	एर्णाकुलम	छू० 10.35

नं० 19 मद्रास तिरुवनन्तपुरम मेल		नं० 374 तिरुवन्नतपुरम–एर्णाकुलम वेनाड एक्सप्रेस
7.45 छू०	"	प० 10.00
12.00 प०	तिरुवनन्तपुरम	छू० 06.00

इसके अलावा, 11/12 दादर एक्सप्रैस और मेल लेने वाली गाड़ियों के साथ दादर और तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल के बीच पहले दर्जे की एक, और दुसरे दर्जे का एक 3–टियर शयनयान भी चल रहे हैं ।

जनता से लगातार मांग किए जाने पर यह विनिश्चय किया गया है कि 81/82 बम्बई एर्णाकुलम/मंगलोर जयन्ती जनता एक्सप्रैस को 1–10–1977 से सप्ताह में दो बार चलाने की बजाय प्रतिदिन चलाया जाय ।

गुजरात में नये क्षेत्रों में तेल के लिए ड्रिलिंग

***529. श्री श्रोमद एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में आगामी दो वर्षों में तेल के लिए ड्रिलिंग हेतु चुन गए क्षत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) किन पार्टियों के सहयोग से यह कार्य आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (क) 1977/78 और 1978/79 के वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की मती, जोतना, उमरा, दहाज, अमोद, दक्षिण दापर, मालपुर, दक्षिण मालपुर, सरधान, मातर असमाली, वरसोन, खावद, लिंच तथा मेहसाना होसेट आदि नये अन्वेषण स्थानों पर व्यधन करने की योजना है । इन्हीं वर्षों के दौरान आरने, सुयरी और राजकोट के स्थलों पर भी व्यधन कार्य करना विचाराधीन है ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग व्यधन-कार्य संचालन स्वयं बिना किसी भारतीय अथवा विदेशी कम्पनी के सहयोग से करे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

साबरमती-बोटाड लाइन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

*530. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जून, 1977 को पश्चिम रेलवे की साबरमती-बोटाड लाइन पर अहमदाबाद में मालगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे ;

(ख) क्या गाड़ी में सोडा एश और सामान्य नमक था;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकलें;

(घ) क्या गाड़ी का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया था; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे को इससे कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्वते) : (क) 19-6-1977 को गांधीग्राम और साबरमती स्टेशनों के बीच 657 अप माल गाड़ी के 12 माल डिब्बे पटरी से उत्तर गए थे।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । जांच-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) अनुमान है कि माल और रेल सम्पत्ति को क्रमशः लगभग 5,000 रुपए और 65,000 रुपए की क्षति पहुंची है ।

अशोधित तेल, पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादों का आयात

*532. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे विदेशी मुद्रा कोष पर दबाव को देखतेहुए अशोधित तेल, पेट्रोलियम और पेंट्रोल उत्पादों के आयात में कटौती करने के लिये यदि कोई कार्यलावाही की गई है, तो क्या ; और

(ख) इन मदों के आयात के लिए रुपयों में भुगतान के आधार पर करार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इसमें यदि कोई सफलता मिली है तो क्या और उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे ऐसे करार किये गये हैं और करारों का स्वरुप क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यद्यपि विगत (1968–69 से 1973-74 तक) में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की मिश्रित दर से बृद्धि होती रही थी, अतः मितव्ययता को जरूरी आवश्यकताओं को प्रभावित किये बिना पेट्रोलियम उत्पादों की अनावश्यक खपत को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1973 से कच्चे तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के कारण अनेक वित्तीय तथा विनियामक उपाय किये गये हैं। इनमें से महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) देशीय कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। तटीय तथा दूर तटीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों में अन्वेषण सम्बन्धी क्रियाकलापों में तीव्रता लादी गई है, तथा बम्बई अपतटीय क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज से आत्मनिर्भरता उपलब्धि की प्रत्याशाओं में सुधार हुआ है ।

(ii) मोटर गैसोलीन, मिट्टी के तेल और डीजल की खपत को नियन्त्रित करनें और उर्वकों और पैट्रो रसायन उदोगो के लिये मुख्य रुप से भरण भंडरा के रूप में प्रयोग करने हेतु नेफ्था के उत्पाद में वृद्धि करने के लिए वित्तीय तथा विनियामक उपाय किये गये हैं।

(iii) विभिन्न अनुकूलतम अनुभवों के माध्यम से मध्य आयुतों (हाई स्पीड) डीजल, मिट्टी के तेल आदि) के अधिकतम उत्पादन की शोध शालाओं में कच्चे तेल की उत्पादन प्रणाली को समयोजित कर दिया गया है।

(iv) देश के विभिन्न विदुयुत संयंत्रों में भट्ठी के तेल से कोयलें के पर्याप्त रूप से उपयोग करने की प्रवृत्ति प्राप्त हो चुकी है।

(v) भट्ठी के तेल खपत करने का मुख्य उदयोगों की सलाह दी गई है कि वे भट्ठी के तेल के प्रयोग के दक्षता (निपुणता) में सुधार करने के लिए कदम उठाये।

(vi) परिवहन क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल की उपयोगिता में और अधिक निपुणता के लिए अध्ययन आरम्भ कर दिये गये हैं।

(vii) डीजल की खपत में दक्षता प्राप्तिहेतु राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे शहरों तथा नगरों के अन्दर यात्री परिवहन की गाड़ियों और मार्ग परिवहन गाड़ियों के लिए संवैधानिक रूप से गति सीमा निर्धारित करें।

(viii) राज्य सरकारों को यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अधिक धुआं छोड़ने वाली माल वाहनों और यात्री गाड़ियों पर नियंत्रण करें।

(ix) इंडियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा एक सुधरे हुए बत्ती वाले स्टोव का अविष्कार किया गया है। इस स्टोव की उष्मासह क्षमता इसी प्रकार के मिट्टी के तेल के स्टोवों की लगभग 40 से 45 प्रतिशत की साधारण उष्मासह संभरण की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत है। इस स्टोव से लगभग एक तिहाई मिट्टी के तेल की खपत में कमी होने की आशा है।

(ख) वर्ष 1977 के दौरान रुपये के भुगतान पर आधारित कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को शामिल करने वाले निम्नलिखित द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्ध किये गये हैं :—

मदद	देश	परिमाण मिलि० मी० टनों में
कच्चा तेल	सोवियत संघ	1.0
कच्चा तेल. . . .	मिश्र	0.3
हाई स्पीड डीजल/मिट्टी का तेल . .	सोवियत संघ	1.4

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन को दोहरी करना

*533. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें दिल्ली अहमदाबाद रेल लाइन को दोहरा करने का काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ख) क्या इस काम के परिणामस्वरूप उन्हें रेल गाड़ी सेवाओं में सुधार होने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) से (ग). दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन मार्ग की 933 कि० मी० की कुल लम्बाई में से 204 कि० मी० लम्बी लाइन पहले से ही दोहरी की जा चुकी है। बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस मार्ग पर लाइन क्षमता बढ़ाने के लिये वैकल्पिक प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

बहुत से स्थानों पर उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करना

*534. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या पेट्रोलियम तथा रासयन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी फर्मों से अनुरोध किया है कि वे देश में बहुत से स्थानों पर उर्वरक संयंत्र स्थापित करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगार शिक्षितों द्वारा रेलवे प्लेटफार्मों पर बुक स्टाल चलाया जाना

*535. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्व: नियोजन योजना के एक अंग के रूप में रेलवे प्लेटफार्मों पर शिक्षित बेरोजगारी को बुक स्टाल चलाने की सुविधाएं देने की नीति को जारी रख रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ग के कितने व्यक्तियों को गत तोन वर्षों में, वर्ष वार, ये सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जिस से भविष्य में रेलवे स्टेशनों पर बेरोजगार युवकों के बूक स्टाल उन बड़े पुस्तक विक्रेताओं का स्थान ले सकें जिन्होने रेलवे प्लेटफार्म पर इस काम पर एकाधिकार स्थापित कर रखा है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) यह सुविधा बेरोजगार स्नातकों को दी गयी है।

(ख) 1974-75 और 1976 के दौरान क्रमश: 10,10, और 41 बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टाल आबंटित किये गये थे।

(ग) रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल के ठेके आबंटित किये जाने की वर्तमान नीति यह है कि बुक स्टालों के सभी नये ठेके 18 से 30 वर्ष तक के आयु वर्ग के भीतर आने वाले बेरोजगार स्नातकों, उनकी साझेदारी की फर्मों, संधों और सहकारी समितियों को निम्नलिखित स्टेशनों पर दिये जायेंगे :—

(i) ऐसे स्टेशन जहां अभी कोई बुक स्टाल नहीं है किन्तु जहां भविष्य में कोई बुक स्टाल खोलना आवश्यक समझा जाता हो ;

(ii) ऐसे स्टेशन जो भविष्य में खोले जायेंगे; और

(iii) ऐसे नये प्लेटफार्म जो 1-1-1976 के बाद मौजूदा स्टेशनों के साथ जोड़े जायें भले ही उस स्टेशनों पर कोई बुक स्टाल ठेकेदार पहले से ही क्यों न हो।

256 स्टेशनों पर बुक स्टाल के ठेके बेरोजगार स्नातकों, उनकी साझेदारी की फर्मों/संघो और सहकारी समितियों के लिए पहले ही छोड़े गये हैं। बेरोजगार स्नातकों से प्राप्त आवेदन पत्रों और बुक स्टाल के ठेके चलाने में उनके कार्य के आधार पर इस विषय में उपयुक्त समय पर निर्णय किया जायेगा।

कालीकट से शायिका (बर्थों) का आरक्षण

*536. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यात्रा करने वाले लोगों को कालीकट से दिल्ली, मद्रास, बम्बई, और कलकत्ता के लिए शायिकाओं (बर्थों) के आरक्षण में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या इन कठिनाइयों को देखते हुए सरकार का विचार कालीकट से इन चार नगरों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) इस समय कालीकट से दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जाने वाले यात्रियों के लिए आरक्षण का निम्नलिखित कोटा निर्धारित है :—

	गाड़ी संख्या	आबंटित कोटा पहले दर्जे में	आबंटित कोटा दूसरे दर्जे में
मद्रास सेन्ट्रल के लिए	नं० 2 डाक	14	92
	28 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस	2	25
बम्बई वी० टी० के लिए	नं० 28/14 जनता		18 (सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे में)
	नं० 84 जनता (सप्ताह में दो बार चलने वाली)		90
नई दिल्ली के लिए	नं० 131 जयन्ती जनता (सप्ताह में पांच दिन चलने वाली)		58
	नं० 28/15 जी० टी०	1	(सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे में)
हावड़ा के लिए	नं० 142 कारोमण्डल एक्सप्रैस (सप्ताह में दो बार चलने वाली)	..	4

(ख) कालीकट में होने वाले यातायात के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए बम्बई, दिल्ली और मद्रास के लिये उपर्युक्त कोटे को पर्याप्त समझा जाता है। तथापि, हावड़ा जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 20–7–1977 से नं० 38 मद्रास हावड़ा जनता एक्सप्रैस में कालीकट से दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं का कोटा आबंटित करने का निर्णय किया गया है।

आम उपयोग की दवाओं का मूल्य नियंत्रण

*537. **श्री ओमप्रकाश त्यागी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि स्वदेशी और विदेशी दोनों औषध निर्माता आम उपयोग की दवाओं के मनमाने मूल्य ले रहे हैं और इससे गरीब रोगियों के जीवन को खतरा रहता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आम उपयोग की दवाओं के मूल्य को नियंत्रित करने का है ; और

(ग) ऐसा कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से ग) औषधों के मूल्य पहले ही औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 की प्रावधानों के अन्तर्गत संविधिक रूप से नियंत्रित हैं। उक्त आदेश के अन्तर्गत सरकार की पूर्व अनुमति के

बिना निर्मताओं द्वारा बढ़ाए नहीं जा सकते। अतः दोनों भारतीय और विदेशी औषध निर्माताओं द्वारा मनमाना मूल्य लेने का प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, लघु उद्योग औषध निर्माता एककों, जिनकी बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को इस समय औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों से छूट है।

हल्दिया में एक रासायनिक संयंत्र के निर्माण के लिए लाइसेंस

*538. **श्री सौगत राय :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को हल्दिया में एक रासायनिक संयंत्र का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : जी हां। हिन्दुस्तान लीवर को हल्दिया में सोडियम फ्लोफास्फेट के निर्माण के लिये एक लाइसेंस दिया गया है। पूंजीगत माल के आयात के लिये उनके आवेदन पत्र पर स्वीकृति दे दी गई है। प्रायोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया है और 25% देशीय मशीनरी के लिये आर्डर दे दिये गये हैं। प्रायोजन स्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है।

अमरीकी कम्पनियों द्वारा कच्छ में तेल के लिए खुदाई

*539. **श्री अनन्त दवे :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कम्पनियों ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में तेल की खुदाई प्रारम्भ कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

(ग) क्या भारत सरकार और अमरीकी कम्पनियों के बीच प्रयोजन के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर हुए थे ; और

(घ) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रासयन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) : कच्छ बेसिन में महाद्विपीय मग्नतट में तेल अन्वेषण के लिए अमरीकी रीडिंग तथा बेट्स ग्रुप को 24 मई, 1974 को एक ठेका दिया गया था। दिनांक 21 जून, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1238 के उत्तर में अन्य बातों के साथ साथ इस ठेके की मुख्य-मुख्य बातें दी गई थीं।

संविदाकार ने अक्तूबर, 1974 मई 1975 के दौरान भूकम्पीय सर्वेक्षण/विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण आयोजित किये गये और अक्तूबर, 1975 में एक कुएं का व्यधन कार्य आरम्भ कर दिया। इस कुएं को 4500 मीटर की गहराई तक खोदा गया था, परन्तु जनवरी, 1976 में इसे एक शुस्क कुआं समझ कर इस का खुदाई कार्य रोक दिया गया। ठेके के चरण 1 से सम्बन्धित दायित्वों को पूरा करने, जिसमें 31–7–1977 को तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती थी, इस शर्त सहित तथा इस बेसिन में हाईड्रोकार्क का पता न लगने से संविदाकार ने 1–8–1977 से प्रभावी अपने ठेके को समाप्त करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

तटदूर कच्छ में संविदाकार द्वारा किये कये सर्वेक्षणों और व्यधन कार्य के परिणामों का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है और कच्छ बेसिन में तेल की आगामी खोज की सम्भावना इसी मूल्यांकन पर निर्भर करेगी।

विदेशी फर्मों का राष्ट्रीयकरण तथा कुछ चुनी हुई औषधियों के ब्रान्ड नाम समाप्त करना

***540. श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने विदेशी फर्मों के राष्ट्रीयकरण और कुछ चुनी हुई औषधियों के ब्रान्ड नामों को समाप्त करने की सिफारिश की थी : और

(ख) उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जाएगा।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकांश रूप में यह सिफारिश की है कि बहु राष्ट्रीय फर्मों का तुरंत अधिग्रहण किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि औषध उद्योग के वर्तमान विकास स्तर को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शन के लिए इस उद्योग को औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 1973 के अनुबंध - 1 मे निर्दिष्ट मदों को प्राथमिकता देने के बारे में पात्र नहीं माना जाना चाहिए। इस देश में कार्यरत विदेशी उपक्रमों को अपनी साम्यपंजी में 40% की तुरंत कमी करने और बाद में उत्तरोत्तर 26% तक कमी करने के निदेश दिए जाने चाहिए। ब्रान्ड नामों को समाप्त करने के बारे में समिति ने सिफारिश की है कि ब्राण्ड नामों को चरणबद्ध रूप में समाप्त किया जाना चाहिए और इसाका प्रारम्भ समिति द्वारा लगाये गए 13 औषधों को समान्य नामों में बदलने से किया जाना चाहिए। समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना हैं।

कुछ औषधियों के निर्माण में मानव नाल तथा नालों-रक्त का प्रयोग

***541. श्री के० प्रधानी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीलिया, बसरा तथा कनफेड आदि रोगों के निदान हेतु कुछ औषधियों के स्वदेशी निर्माण के लिये मानव नाल तथा नाल रक्त का प्रयोग किया जाता है :

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुसंधान किया गया है : और

(ग) क्या इस बीच कोई औषधि पेटेंट की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां, मानव गामा ग्लोबुलिन के उत्पादन के लिए।

(ख) मानव नाल और नाल-रक्त से मानव गामा ग्लोबूलिन के उत्पादन को सुस्थापित किया गया है और इस विशेष पहलू पर किसी अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है :

(ग) मैसर्स क्यूरवैल (इंडिया) लि० ने जो मानव गामा ग्लोबूलिन के प्रमुख निर्माता हैं, अब तक कोई पेटेंट नहीं निकाला है। क्या किसी अन्य कम्पनी ने पेटेंट प्राप्त किया है, उसकी जांच की जा रही है।

कुलियों के लिए शेडों का निर्माण

*542. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैकड़ों आश्रय विहीन तथा निःसहाय अधिकृत रेलवे कुलियों की सुविधा के लिये महत्वपूर्ण बड़े स्टेशनों पर तथा उनके निकट कुछ रिहायशी खुले सार्वजनिक शैडों का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) : रेलवे स्टेशनों पर तथा उनके निकट लाइसेन्सधारी भारिकों के लिए रिहायशी आवास की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, लाइसेन्सधारी भारिकों के उपयोग के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्नान और पीने के पानी की सुविधा सहित विश्रामस्थलों की व्यवस्था एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर की जा रही है।

Suggestions from Gujarat Government on payment of Royalty on Crude

*543. **Shri Dharamsinghbhai Patel:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the criteria adopted at present for giving royalty on crude all and whether Government of Gujarat have made any suggestion to bring about any change in this and if so, the action proposed to be taken in this regard?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): The royalty on crude oil is fixed keeping in view **inter** *alia* the sale price allowed to indigenous producers of crude oil at the wellhead or the oilfield as the case may be. The rate of royalty on crude oil and casing head condensate was enhanced from Rs. 15 per tonne to Rs. 42 per tonne with effect from 8th September, 1976.

The Government of Gujarat have suggested that the rate of royalty should be fixed at least at 10 per cent of the full posted price of analogous Middle Eastern crudes. Under the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, the rate of royalty can be enhanced only once in 4 years.

Prices of Drugs

*544. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether various drug manufacturing companies have demanded increase in prices of various drugs;

(b) whether Hathi Committee has recommended that prices of some of drugs should be reduced; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) No general demand for increase in the prices of various drugs as such has been received from the drug manufacturing companies. However, the specific requests for price revision of bulk drugs and formulations are considered under the provisions of Drug (Prices Control) Order, 1970 after necessary cost examination by the Bureau of Industrial Costs & Prices.

(b) The Hathi Committee in their report has made recommendations regarding rationalisation of prices of bulk drugs and formulations.

(c) The recommendations of the Committee are under consideration and final decision is likely to be taken soon.

नेशनल रेयन कारपोरेशन के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

3929. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल रेयन कारपोरेशन, बम्बई के कर्मचारी संघ में इस कम्पनी के घोर कुप्रबन्ध के बारे में 31 मार्च, 1977 को कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि सरकार ने कार्यवाही की है तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) : कम्पनी विधि बोर्ड ने पहिले ही 11 जुलाई, 1977 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल में 8 निदेशकों की नियुक्ति का निर्णय किया है।

Proposal to construct overbridge at Jaitwar Railway Station

†3930. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether absence of an overbridge at Jaitwar Railway Station in Satna district of Madhya Pradesh poses a constant danger to the life of the people and many persons have died there so far; and

(b) whether Government propose to unundertake construction of an overbridge soon and if so, the time by which it would be constructed?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) No. during the last four years there has been no case of any person having been run over except an old lady who had committed suicide in front of 4 Dn. Howrah-Bombay Mail on 29-2-1976.

(b) In view of very light passenger traffic at the station, there is no proposal to contruct a foot overbridge. A sleeper pathway to enable the passengers to cross the tracks between up and down platform is already available at the station.

Steamer Service between Bhagalpur and Thana Bihpur

†3931. **Dr. Ramji Singh**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the circumstances due to which efforts are being made for the last three/four years for the gradual closure of the railways steamer service operation between Bhagalpur and Thana Bihpur even through a railway-cum-road bridge on the Ganga river near Bhagalpur has not been constructed so far; and

(b) whether Government are aware that in case the ralway steamer service operating between Bhagalpur to Thana Bihpur is discontinued, the passengers of Bhagalpur for Bihpur would have to cover 150 miles via Barauni and more than 200 miles via Farakka whereas the distance between Bhagalpur to Bihpur is only about 20 miles?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Due to recurring losses in operation of ferry services between Mahadeopurghat and Bararighat on Thana Bihpur-Bhagalpur Section of North Eastern Railway and as recommended by the Estimates Committee of Parliament, it is proposed to close the railway ferry service between Mahadepurghat and Bararighat and to hand over this service to the State Government of Bihar.

(b) As there is already a private ferry service between Mahadeopurghat and Bararighat licensed by the State Government, no inconvenience would be caused to the passengers by closure of the railway ferry service.

रत्नगिरी में तटदूर तेल की खोज

3932. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम तट पर स्थित रत्नगिरी क्षेत्र में तटदूर खुदाई के एक कुएं से खोज का कोई लाभकारी परिणाम निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में आगे खोज जारी रखने के लिये कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) कितने कुओं का छिद्रण किये जाने का प्रस्ताव है और वहां क्या संभावनायें हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : रत्नगिरि क्षेत्र से तटदूर अन्वेषी कुएं के परिणामों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। भौगोलिक तथा भूकम्पीय सर्वेक्षणों और कुएं के व्यधन सम्बन्धी आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा रहा है जिस पर इस क्षेत्र में अगला अन्वेषण आधारित होगा।

नैनी और इलाहाबाद में उठाईगिरी और चोरी करने वाले मजदूर

3933. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नैनी, इलाहबाद के गुड्स शेड और इलाहबाद के पार्सल कार्यालय में उठाईगिरी/चोरी करते हुए पकड़े गए मजदूरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या रेल मंत्री सम्पत्ति अनधिकर कब्जा अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मजदूरों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं ;

(ग) क्या उठाईगिरी/चोरी के मामलों में पकड़े गये ऐसे मजदूर नैनी और इलाहबाद की सहकारी समितियों के अधीन कार्य कर रहे थे है ; और

(घ) यदि हां, तो अपराधियों को काम पर लगाने के लिये ऐसी समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) पिछले तीन वर्षों में उठाईगीरी/चोरी के मामलों में पकड़े गए मजदूरों की सख्या इस प्रकार है :—

नैनी मालगोदाम	4
इलाहबाद मालगोदाम	14
इलाहबाद पार्सल कार्यालय	6
कुल	24

(ख) जी हां ।

(ग) वे सोसाइटियों के अधीन कार्य कर रहे थे । किन्तु जब वे उठाईगीरी/चोरी के मामलों में पकड़े गए तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया । अब वे कोओपरेटिव सोसाइटियों के अधीन कार्यरत नहीं हें ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उठाईगीरी/चोरी के मामलों में पकड़े जाने पर उन्हें सोसाइटियों द्वारा नौकरी से हटा दिया गया था ।

मथुरा तेल शोधक कारखाना तथा इस के सहायक एकक

3934. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक उद्योग समूह में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा और क्या यह क्रियाविति की लक्षित तिथि से पीछे है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने इस तेल शोधक कारखाने के आधार पर सहायक एकक तथा 'डाउन स्ट्रीय' औद्यो-

गिक एकक स्थापित करने के लिए अनेक सर्वेक्षण/प्रस्ताव किये है, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा अब करने का विचार है, यदि नहीं तो क्या ऐसे सर्वेक्षण का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि सहायक उद्योगों को निजी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिये, यदि हां, तो इस में राजस्थान का, जिसकी सीमा मथुरा से मिलती है, कितना भाग होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार मथुरा शोधनशाला को यांत्रिक रूप से 1979 के अन्त तक पूर्ण करना तथा अप्रैल, 1980 तक आरम्भ करना है। प्रायोजना का कार्य स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और इस समय निर्धारित उक्त तिथि तक शोधनशाला का आरम्भ करना संभव प्रतीत होता है।

(ख) मथुरा शोधनशाला पर आधारित सहायक और डाउन स्ट्रीम उद्योगों को स्थापित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न एजेंसियां भारतीय तेल निगम के प्रायोजना प्राधिकारियों से सम्पर्क कायम किये हुए हैं। शोधनशाला के टाइप तथा डिजाइन की दृष्टि से कोई भी सहायक पूर्ण रूप से शोधनशाला की आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं कर सकता है । तदनुसार शोधनशाला के लिए एक सहायक उद्योग समूह को स्थापित करना संभव नहीं है। मथुरा शोधनशाला मोटर गेसोलीन, मिट्टी का तेल, विमानन ईंधन, स्पीड डीजल आयल तथा मिट्टी के तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करेगी । शोधनशाला कुछ अवशेषों (जैसे लो सल्फर हैवी स्टाक/हाट हैवी स्टाक) का भी उत्पादन करेगा। जिनको नांगल, भटिंडा और पानीपत स्थित उर्वरक संयंत्रों के लिए भरण-सामग्री के रूप में पहले से ही निर्धारित किया गया था। क्लोरीफाइड आयल नामक उत्पाद पर आधारित कार्बलैक के उत्पादन के लिए दो एककों को स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया गया था/है; एक एकक गाजियाबाद में सार्वजनिक क्षेत्र में तथा दूसरा यू० पी० औद्योगिक विकास कारपोरेशन के अन्तर्गत किया जायेगा। मोटर गेसोलीन के उत्पादन तथा वर्तमान और निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् यदि कुछ अतिरिक्त नेफ्था सुलभ होता है तो इस अतिरिक्त नेफ्था के प्रयोग की संभावनाओं की खोज की जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Rates of tea served at Stations

3935. Shri Bateshwar Hamram: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the commercial officers have fixed two different rates of tea sold at railway stations in the Allahabad Division.

(b) whether a cup of tea and a 'Kullar' of tea are sold for 30 and 25 paise respectively on the railway stations in the Allahabad division whereas a 'kullar' of tea is sold for 30 paise at Ghaziabad and other railway stations; and

(c) whether Government propose to reduce the rates of tea sold on all the railway stations?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Yes.

(b) Yes. The price is charged on the basis of the quantity of tea sold.

(c) No.

जालौन-औरिया के रास्ते से औराही को फफून्द से रेल लाइन से जोड़ना

3936. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जालौन जिले के लोगों को आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश में जालौन-औरिया के रास्ते से नई रेल लाइन बनाई जाकर औराही को फफूंद से जोड़ा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ऐसी कोई दूसरी रेल लाइन नहीं है जो इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी कर सके ; और

(घ) यदि हां, तो जालौन और औरिया दो बड़ी मंडियों के लिये यात्रियों के आवागमन और माल की आवा-जाही के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह लाइन बनाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) और (ख). उरई से फफूंद तक रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिये गये किसी आश्वासन के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। लेकिन उरई से जालौन तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 1957-58 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) और (घ). धन की कमी के कारण उरई और फफूंद के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के लिए विचार करना इस समय संभव नहीं होगा।

नई दिल्ली से यात्रा करने वाले यात्रियों को हिल स्टेशन वापसी यात्रा टिकट में रियायत

3937. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से शिमला और नई दिल्ली से पठानकोट और हिमाचल प्रदेश स्थित योगेन्द्र नगर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को हिल स्टेशन वापसी यात्रा टिकट में रियायत देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार 400 और इससे अधिक किलोमीटर की दूरी पर हिल स्टेशन जाने वाले यात्रियों को उनकी यात्रा के लिये हिल स्टेशन रियायत टिकट देने का है जैसा पहले उपलब्ध होता था ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख). पहाड़ी स्थानों के लिए पहले और दूसरे दर्जे के रियायती वापसी टिकट एक और के यात्रा किराये की ड्योढ़ी दर पर वर्षानुवर्ष जारी किये जाते हैं। इस समय यह सुविधा 31 दिसम्बर, 1977 तक उपलब्ध है। इसका लाभ शिमला, पठानकोट और जोगेन्दरनगर रेलवे स्टेशनों को जाने वाले यात्री जुलाई से सितम्बर, 1977 तक उठा सकते हैं बशर्ते कि इनकी प्रभारित दूरी 800 किलोमीटर से कम न हो। अक्तूबर से दिसम्बर, 1977 तक यह सुविधा उन यात्रियों को भी उपलब्ध है जिनकी प्रभारित यात्रा दूरी 500 कि० मी० या उससे अधिक हो। तदनुसार, नयी दिल्ली से शिमला और जोगेन्द्रनगर की यात्राओं के लिए इस सुविधा का उपभोग केवल अक्तूबर से दिसम्बर, 1977 के बीच ही किया जा सकता है। नयी दिल्ली से पठानकोट के लिए यह सुविधा नहीं मिल सकती क्योंकि इसकी दूरी 500 किलोमीटर से कम है।

(ग) जी नहीं।

बड़े व्यापार गृहों के प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

3938. **श्री वयालार रवि :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े व्यापार गृहों के प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) वर्तमान औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में यथा व्यवस्था के अनुसार बड़े व्यापारिक घरानों की वृद्धि को रोकने के लिए पहिले ही लागू किये गये प्रतिबन्धों से अलग इस समय देश में इस प्रकार के घरानों के विस्तार पर अतिरिक्त प्रतिबन्धों को लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि एकाधिकार एव निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की व्यापक सवीक्षा के साथ साथ सरकार द्वारा अभी हाल ही में उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति का कथित अधिनियम की पद्धति प्रशासन और कार्य संचालन में जो परिवर्तन किये जाने अपेक्षित हैं का सुझाव देने के लिए गठन किया गया है।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होता।

Bench of Madhya Pradesh High Court at Bohpal

3939. Shri Raghavji: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum or application for setting up a bench of Madhya Pradesh High Court at Bhopal;

(b) if so, that action taken so far by Government thereon; and

(c) whether Government propose to set up a High Court bench at Bhopal?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) Yes, Sir. A representation from the Bar Association, Bhopal was received in November, 1976 and again in May, 1977

(b) and (c). The representation received in November, 1976 was forwarded to the State Government for their views. The State Government in their reply sent in February, 1977 were not favourably inclined to the proposal mainly on the ground that it would be difficult to resist similar demands from other places. No proposal has since been received from the State Government.

Contracts for Dining Cars in Long Distance Trains

3940. Shri Nawab Singh Chauhan: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the contracts for dining cars attached with the long distance express trains are given to the private contractors or the Railways manage the dining cars themselves;

(b) the number of contractors who have been given contracts for these dining cars during the last two years and the terms and conditions of the contracts thereof;

(c) whether Government propose to review the cars of contracts given for managing dining cars attached with the trains on the Central and Western Railways during emergency; and

(d) if so, whether these contracts have been awarded by accepting huge sums of money; if so, the facts in this regard?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Dining Cars on long distance trains are managed departmentally by the Railways as well as by private contractors.

(b) During the last two years four contracts of dining/pantry cars have been allotted to contractors. These contracts are allotted for a term of 5 years, on usual terms and conditions. In the case of the pantry cars, the contractors have to pick up 'ready-to-serve' meals from base kitchens wherever provided.

(c) No contracts for dining/panty cars were allotted on Central and Western Railways during emergency.

(d) Does not arise.

कन्या कुमारी-त्रिवेन्द्रम लाइन पर उपरि-पुलों/रेल पुलों/फाटकों का निर्माण

3941. **श्री कुमरी अनन्तम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्या कुमारी त्रिवेन्द्रम लाइन पर कितने उपरि पुल-रेल पुल/फाटक बनाये जा रहे है ;

(ख) फाटकों तक जाने वाली सड़कों पर अनुमानित कितना खर्च होगा और राज्य सरकारें कितनी राशि का अंश देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ग) उक्त लाइन का प्रथम चरण कब तक पूरा हो जायेगा।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवटे) : (क)

ऊपरी पुलों की संख्या	32
निचले पुलों की संख्या	8
रेल पुलों की संख्या	341
समपारों की संख्या	82

(ख) तिरुवनन्तपुरम--कन्याकुमारी खण्ड में समपार के लिये पहुंच मार्गों पर होने वाला अनुमानित खर्च 13.26 लाख रुपये है। सारा खर्च रेलवे द्वारा वहन किया जाना है और राज्य सरकार इस खर्च का कोई भी हिस्सा वहन नहीं करेगी।

(ग) आशा है कि तिरुवनन्तपुरम से नागरकोयल तक की लाइन का प्रथम चरण 1979 तक पूरा हो जायेगा।

कोल्हापुर से वीरमगाम---गांधीधाम के लिए गाड़ी

3942. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर से वीरमगाम---गांधीधाम जाने और वहां से वापिस आने के लिये सीधी गाड़ी चलाये जाने की मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) यातायात का औचित्य न होने के कारण यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

Land given to Forest Department from Katghar to Got Station

3943. Shri Mahi Lal: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have given the land on both sides of the metre gauge railway line from Katghar to Got railway station to the Forest Department for the plantation of trees;

(b) if so whether laying of earth on both sides of the railway line for converting it into broad guage line would become impossible as a resuit thereof; and

(c) if so, whether Government propose to cancel the said order given to the Forest Department?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

Scheme for construction of over-bridge at Orai Railway Station

*3944. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **RAILWAYS** be pleased to state whether there is a scheme for construction of a overbridge at Orai Railway Station in district Jalaun, Uttar Pradesh and if so, the time by which it will be implemented?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): No. such proposal is under consideration at present.

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन

3945. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों और (2) साधारण स्थानों में से प्रत्येक राजनीतिक दल अथवा ग्रुप अथवा स्वतंत्र व्यक्तियों ने कुल कितने-कितने स्थान जीते ;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित निर्वाचनों में प्रत्येक राजनीतिक दल अथवा ग्रुप को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्राप्त मतों की प्रतिशतता कितनी थी ; और

(ख) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित आंकड़े वर्ष 1952 में हुए साधारण निर्वाचनों के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बांकुरा के बी० डी० आर० रेलवे यूजर्स एसोसियेशन द्वारा अभ्यावेदन

3946. **डा० विजय मंडल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांकुरा की बी० डी० आर० रेलवे यूजर्स एसोसियेशन द्वारा 10 जून, 1977 को रेल मंत्री को दिए गए अभ्यावेदन पर उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : बांकुरा-रायनगर लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने तथा इसका तारकेश्वर तक विस्तार के बारे में बांकुरा दामोदर रेलवे यूजर्स एसोसियेशन ने अभ्यावेदन दिया है । उन्हें सूचित किया गया है कि संसाधनों की कमी के कारण इस समय परियोजना पर विचार करना संभव नहीं होगा ।

Memoranda on Completion of Viramgam-Okho-Porbandar Line into Broad-Gauge Line

†3947. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: ..

(a) whether any memoranda in regard to completion of the work on conversion of Viramgam-Okho-Porbandar metre gauge line into broad-gague line have been received; and ..

(b) if so, from whom and the dates on which these were received and the action taken by Government thereon?

The Minister of RAILWAYS (PROF MADHU DANDAVATE): (a) and (b): Recently a memorandum dated 9-5-77 has been received from Rajkot Chamber of Committee, Rajkot, in regard to the completion of the work of conversion of Viramgam-Okha-Porbandar metre gauge line into broad gauge, Every effort is being made to complete the project expeditiously, but this would depend upon the availability of resources. The Chember has been advised accordingly.

संवधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान

3948. **डा० बंसत कुमार पंडित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान में कदाचार, कुप्रबन्ध होने और शोध्य छात्रों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों को सताये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त संस्थान को विधि मंत्रालय द्वारा कितना अनुदान अथवा वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ग) उक्त संस्थान ने विदेशी प्रतिष्ठानों से कितना अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त की है; और

(घ) क्या संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान का प्रबंध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1969–70 से वित्तीय वर्ष 1975–76 तक इस संस्थान को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) से 2 लाख रुपए का और वित्तीय वर्ष 1976–77 में 4 लाख रुपए, का वार्षिक सहायता अनुदान प्राप्त हुआ ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1967 से 1970 की अवधि में इस संस्थान को फोर्ड फांउडेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका, से लगभग 4,89,700 डालर का कुल अनुदान प्राप्त हुआ ।

(घ) जी नहीं ।

आसावती रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना

3949. **चौधरी हरी राम मक्कासर : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से आसावती रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या अनेक बार अनुरोध करने के बावजूद संबंधित कर्मचारियों ने उपरोक्त अवधि का समयोपरि बिल तैयार नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग). आसावती रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों के दौरान, समय-समय पर देय समयोपरि भत्ते का भुगतान नियमित रूप से किया गया है । लेकिन नियमों में 1–8–1974 से पूर्व-व्याप्ति सहित किए गए संशोधन के फलस्वरूप इन कर्मचारियों को जहां-कहीं अतिरिक्त समयोपरि वेतन की बकाया

राशि देय हुई, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा। सम्बन्धित कर्मचारियों को इस राशि का यथाशीघ्र भुगतान करने के लिए रेल प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई की है।

हरिजन और आदिवासी कर्मचारी

3950. **श्री राम बिलास पासवान :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में विभिन्न पदों पर हरिजन तथा आदिवासी जातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उवरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : बरौनी तेल शोधन कारखाने में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियो की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित है :—

अनुसूचित जाति

वेतनमान 725–1405/–रु०	**संख्या**
उपकरण इंजीनियर . .	1
यांत्रिक इंजीनियर . .	1
वेतनमान 400–826/– रु० .	
स्टाक जांच कर्ता . . .	1
मिस्त्री ग्रेड–1 . . .	1
वेतनमान 355–683/–रुपए	
बायलर आपरेटर 'बी'	1
आपरेटर 'बी' . . .	1
तकनीशियन-ii (रख-रखाव)	2
मिस्त्री ग्रेड–ii	1
वेतनमान 300–570/–रु०	
आपरेटर (एफ और एस) . .	1
कनिष्ठ शिक्षक–1 .	1
आशुलिपिक	1
वरिष्ठ लिपिक . .	1
तकनीशियन–iii (विद्युत) . .	2
आपरेटर 'सी'	3
तकनीशियन ग्रेड–iii (रिगिंग) .	3
तकनीशियन ग्रेड–iii (आटोमेंड) . .	1
मिस्त्री ग्रेड–iii .	1

वेतनमान 245—440/ रुपए	
बायलर क्लीनर .	1
तकनीशियन–ii (विद्युत)	2
तकनीशियन–ii (टी० सी०) .	2
आपरेटरज़–'डी' . . .	3
चैम्बर मेन . . .	5
तकनीशियन ii (रख-रखाव)	3
रिगर	1
तकनीशियन ii (उपकरण) . . .	2
पलम्बर—ii . .	1
टंकक-लिपिक . . .	3
कनिष्ठ शिक्षक–ii .	4
वेतनमान 215–376 रुपए	
सेम्पलर .	4
विशेष यार्ड मेन	14
डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर	1
फेरो प्रिंटर	1
लोको शटर-कम-हेल्पर , .	3
यार्ड मेन	35
कोक-बियदद्र	2
हेल्पर	1
वेतनमान 180–277 रुपए	
बस कंडक्टर	2
हेल्पर, श्रमिक मजदूर	44
औषधालय परिचारक	3
मलिरिया खलासी . . .	2
माली-कम-चोकीदार	1
संदेश वाहक . . .	2
भंगी	87
अनुसूचित जनजाति	
वेतमान 1025–1625 रुपए	
वरिष्ठ यांत्रिक इंजीनियर	1

वेतनमान 400–826 रुपए	
प्रधान अध्यापिका	1
वेतनामन 300–570 रुपए	
स्टाफ नर्स	2
वेतनमान 245–440 रुपए	
तकनीशियन– II (उपकरण) . .	1
टंकक/लिपिक	2
कनिष्ठ शिक्षक– II	6
वेतनमान 180–277	
हेल्पर . . .	1

Gazetted Officers working at one station of over 5 years.

3951. **SHRI HARIKESH BAHADUR:** Will the Minister of **RAILWAYS** be pleased to state. ..

(a) whether there are Gazetted Officers in North-Eastern Railway, Gorakhpur, who have been serving at one place for five to twenty years.

(b) if so, their total number and for how many years they have been working at one place and the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of RAILWAYS (PROF MADHU DANDAVATE): (a) Yes, Sir.

(b) & (c): Their total number is 65. Number of such officers alongwith period of their stay at one place is as under:—

For 5 years	:	5
For 6 years	:	8
For 7 years	:	13
For 8 years	:	13
For 9 years	:	5
For 10 years	:	4
For 11 years	:	6
For 12 years	:	3
For 13 years	:	2
For 14 years	:	2
For 15 years	:	2
For 10 years	:	1
For 21 years	:	1

No rigid period of stay of officers at one place has been fixed. Transfers are periodically made keeping in view administrative requirements.

अधिक खपत वाली औषधियों का लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन

3952. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशी औषधि फर्मों द्वारा अधिक खपत वाली तथा कुछ गैर-अनिवार्य औषधियों के लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी दोषी फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

1975 और 1976 के दौरान लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक प्रपुंज औषधों के उत्पादन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी। इस समय औषध सूत्रयोगों के उत्पादन की देखरेख नहीं की जा रही है।

(ख) औषध और भेषज के अधिक उत्पादन के प्रश्न पर औषध और भेषज समिति द्वारा विचार किया गया था और प्रपुंज औषधों के बारे में अधिक क्षमता के विनियमन पर समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइनों में बदला जाना

3953. **श्री के० प्रधानी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मीटर गेज रेलवे लाइनों की लम्बाई कुल कितने मील है और क्या उनको बड़ी लाइनों में बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है :

(ख) सभी मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में कितना समय लगने की सम्भावना है; [और

(ग) किसी क्षेत्र विशेष में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने को प्राथमिकता किस आधार पर निर्धारित की जाती है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : देश में मीटर रेल लाइन के कुल मार्ग की लम्बाई 25.426 कि० मी० है । इन सभी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की लागत बहुत अधिक होगी और इसलिए, इनके आमान परिवर्तन के लिए कोई निश्चित तिथि तय नहीं की जा सकती ।

(ग) मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए प्राथमिकता निश्चित करते समय अन्य तत्वों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्वों पर विचार किया जाता है :—

(i) यातायात का घनत्व और लाइन की संतृप्ता की मात्रा :

(ii) यानान्तरण होने वाले माल की मत्रा और इसे संभालने की क्षमता ;

(iii) सेवित क्षेत्र के विकास का स्तर और क्षेत्र के आर्थिक विकास पर अमान-परिवर्तन परियोजना का प्रभाव :

(iv) परियोजना की अर्थ-क्षमता ।

स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

3954. **डा० बी० एन० सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर निदेशकों के कुछ निकट संबंधी गारंटी कमीशन के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में राशि ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्राप्तकर्ताओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी राशि प्राप्त की गई है ;

(ग) क्या निदेशकों के संबंधियों को ऐसे पारिश्रमक के भुगतान के बारे में कम्पनी अथवा केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था; और

(घ) यदि नहीं तो कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए तथा ऐसे व्यक्तियों से गलत ढंग से प्राप्त राशि को वसूल करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : फरवरी-मार्च, 1976 में सम्पन्न कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(क) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-बहियों के निरीक्षण के दौरान सूचना में आया कि 8,00871.42 रु० की कुल राशि वर्ष 1966 से 1974-75 वर्षों के सम्बन्ध में कम्पनी के प्रबंध निदेशक, डाक्टर आर० आर० जयपुरिया के पिता श्री एम० आर० जयपुरिया को देय गारन्टी कमीशन होने का कम्पनी की लेखा-बहियों में दिया गया है । कथित राशि में से 4,35,114.34 रु० की राशि का उनको पहिले ही भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) कम्पनी का साधारण सभा में अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हैं । केन्द्रीय सरकार का 31 जनवरी, 1975 तक अनुमोदन अपेक्षित नहीं था ।

(घ) कम्पनी को उक्त व्यक्तियों से राशि वापिस लेने को कहा गया है ।

Repair and Overchauling of Wagons in Workshops

3955. SHRI MEETHA LAL PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state

(a) the number of wagons which require repairs and are lying in different workshops at present or are under repair;

(b) the concrete steps being taken by Government in this regard; and

(c) whether Government have any scheme under their consideration under which overhauling of wagons is carried out in time without delay?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) An average of 8400 board gauge and 2700 metre gauge wagons (in four-wheeler units) require periodical overhaul every month. During the month of April, 1977, an average of 5215 broad gauge and 1589 metre gauge wagons (in four-wheeler units) were under or awaiting repairs in railway workshops.

(b) There is adequate capacity in railway workshops to meet the POH load of wagon stock.

(c) Periodical overhauling of agons is carried out without any delay. An average of 8573 board gauge and 2825 metre gauge wagons (in four-wheelers units) were overhauled every month during 1976-77.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा विदेशों के दौरे

3956. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति और / अथवा अन्य माननीय न्यायाधीशों ने वर्ष 1974, 1975, 1976 तथा जनवरी से जून, 1977 के दौरान विदेश अथवा विदेशों का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त न्यायाधीशों ने ये यात्रायें विदेशी सरकारो अथवा संगठनों के आमंत्रण पर कीं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस पर विदेशी मुद्रा सहित कोई राशि व्यय की; और

(घ) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 748/77)

उत्तर प्रदेश में इण्डेन गैस की एजेंसियों का आवंटन

3957. **श्री रामकंवर बेरवा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में 41 मार्च, 1961 तक कुल कितनी इण्डेन गैस एजेंसियां आवंटित की गईं तथा उनका, जिलावार, ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित एजेंसियों में से कितनी (एक) अनुसूचित जन-जातियों (दो) अनुसूचित जातियों तथा (तीन) अन्य समुदायों के लोगों को दी गईं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को गैस एजेंसिया देकर उन्हें प्रोत्साहित करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) 31 मार्च, 1977, तक उत्तर प्रदेश राज्य में आवंटित की गई जिला-वार इण्डेन गैस की एजेन्सियः निम्नलिखित हैं:--

क्रमांक	नगर जिले	एजेंसियों की संख्या
1.	इलाहाबाद	3
2.	वाराणसी	3
3.	गोरखपुर	2
4.	फैजाबाद	1
5.	मिर्जापुर	1
6.	आगरा	3
7.	देहरादून	4
8.	सहारनपुर	2
9.	बरेली	3
10.	अलीगढ़	1
11.	नैनीताल	1
12.	देवरिया	1
13.	मेरठ	2
14.	गाजियाबाद	3
15.	मुजफ्फर नगर	1
16.	झांसी	1
17.	राय बरेली	1
18.	फरुखाबाद	1
19.	लखनऊ	10
20.	कानपुर	10
	कुल योग	54

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित एजेंसियों को निम्नलिखित रूप से आंवटित की गई हैं:--

(i)	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां	शून्य
(ii)	प्रति रक्षा श्रेणी	27
(iii)	अन्य	27

2045—LS—4

(ग) 1-1-1974 से इण्डेन गैस की एजेंसियों का 25% भाग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षित किया गया है और इस समय तक इस आरक्षण को पूरा कर लिया गया है।

Availability of Railway Wagons in Ratlam Division (Western Railway)

†3958. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether great difficulty is being experienced in regard to the availability of wagons for loading smalls at various stations, such as Mandsaur, Jaora, Piplia and Neemuch in Ratlam Division on Western Railway;

(b) whether traders are experiencing great difficulty on this account; and

(c) the reasons for shortage in supply and the steps taken to remove this shortage?

The Minister of Railways (Prof. Dadhu Dandavate): (a) (b) and (c) There has not been any great difficulty in the booking of smalls from stations on the Ratlam Division. There was however, one complaint against non-booking of smalls at Jaora station in the month of May to station reached via Kandwa over all Metre Gauge route, which was restricted at that time. On receipt of the complaint, Western Railway authorities arranged the necessary booking.

गुंटाकल-बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3959. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुंटाकल-बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाईन में बदलने का कार्य आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी, हां।

(ख) 1980 तक।

भारतीय तेल निगम में बड़ी संख्या में अधिकारियों का आकस्मिक छुट्टी पर जाना

3960. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के बड़ी संख्या में अधिकारों 24 जून, 1977 को आकस्मिक छुट्टी पर गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के लिए सीधी लाइन

3961. **श्री गिरजानन्दन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सीतामढ़ी जिले के पश्चिम सीतामढ़ी उप-मंडल में कोई समुचित रेल सम्पर्क की सुविधा नहीं है ;

(ख) क्या मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच सीधे रेल संबंध नहीं हैं और वर्तमान रेल सम्पर्क बरास्ता समस्तीपुर और दरभंगा जिले हैं ;

(ग) क्या मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक सीधी रेल लाइन बनाने की कोई योजना कुछ वर्ष पूर्व सरकार के विचाराधीन थी और आवश्यक सर्वेक्षण कार्य भी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योजना पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी इस समय बरास्ता समस्तीपुर और रक्सौल जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको मिलाने वाली कोई सीधी रेल लाइन नहीं है ।

(ग) 1928 के बाद मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी लाइन के निर्माण के लिए कोई यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(घ) धन की कमी के कारण इस योजना पर विचार करना फिलहाल संभव नहीं होगा ।

कलकत्ता में ट्यूब रेलवे

3962. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में ट्यूब रेलवे का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अनुसार प्रगति पर है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को 1979 तक पूरा करने की मूल अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ा । योजना आयोग ने सूचित किया है कि पांचवीं योजना के शेष वर्षों में इस परियोजना के लिए केवल थोड़ा सा धन उपलब्ध होगा ।

(ख) 29 में से 9 खंडो के लिए सिविल इंजीनियरी के ठेके दिए गए हैं और कुल मिलाकर काम की अद्यतन प्रगति 11 प्रतिशत है ।

बिहार में पालामऊ में कास्टिक सोडे की फैक्ट्री

3963. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को राज्य में पालमऊ में कास्टिक सोदे की फैक्टरी लगाने की मंजूरी दे दी है : और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होगा, और इसमें कितना उत्पादन होगा तथा इसमें किस तारीख तक काम शुरु होने का अनुमान है ?

पेंट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) बिहार राज्य में पालामऊ जिले में निम्नलिखित मदों का निर्माण करने के लिए मैसर्स बिहार राज य औद्योगिक विकास निगम को 28 फरवरी, 1974 को एक आशय पत्र संख्या एल आई 160 (74) जारी किया गया है ।

निर्माण की मद	वार्षिक क्षमता
कास्टिक सोडा .	32,000 मी टन
क्लोराइन	28,480 मी टन

कार्यकारी पूजीं की आवश्यकताओं सहित प्रायॉजना की कुल पूजीगत लागत का 1655 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है जिसमें मशीनरी आदि की खरीद के लिये 215 लाख रुपये के विदेशी मुद्रा घटक भी शामिल हैं ।

इस समय पर यह बताना सम्भव नहीं है कि संयत्र किस तिथि तक उत्पादन आरंभ करेगा ।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के लिए आवंटित धनराशि

3964. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे प्राधिकारियों ने हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के निर्माण के लिये आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य काम के लिये किया था जिसके परिणामस्वरुप इस परियोजना की क्रियान्विति में अनुचित विलम्ब हुआ है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधुदंडवतें) : हसन–मंगलूर परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि को किसी अन्य परियोजना में नहीं लगाया गया है और वास्तविकता तो यह है कि 1977–78 के मुख्य बजट में इस परियोजना के लिए धन-राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये आवंटित कर दी गयी है जबकि अन्तरिम जट में 2 क यवस् था की गयी थी ।

Representations regarding development of Backward Areas of Bihar

†3965. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that representations urging the Central Government to develop backward areas of Bihar have continuously been submitted for the last 10—15 years;

(b) if so, the outlines of the scheme which is under consideration of Government at present to link various parts of the country with backward areas by railway lines; and

(c) the time by which Government would declare their policy by taking a final decision in this regard?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Yes. (b) and (c). The Government has accepted the recommendation of the Public Accounts Committee made in their 171st and 191st Reports that a comprehensive long term clearcut plan for construction of new railway lines may be formulated and the same is under finalisation in consultation with the concerned Ministries. The policy will be presented to the Parliament when finalised.

1976-77 के दौरान नई तथा बढ़ाई जाने वाली रेल लाइनों का निर्माण कार्य पूरा न होना

3966. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 के रेलवे बजट में प्रस्तावित नई तथा बढ़ाई जाने वाली लाइनों में से क्रमश कितनी रेल लाइनों पर निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है ; और

(ख) इन रेल लाइनों का निर्माण कार्य पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवतें) : (क) और (ख) निम्नलिखित नयी रेल लाइनों जिनको 1976-77 के बजट में शामिल किया गया था, उनका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होने पर भी नयी रेल लाइनों के निर्माण में कुछ वर्ष लग जाते हैं। धन की कमी के कारण परियोजना को पूरा करने में और देर हुई है :—

1— वानी—चनाका	
2 बेसीन रोड—दीवा	
3 हरदागढ़—दमुआ	
4 हावड़ा—शियाखला	
5 कठुआ—जम्मू	यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
6 शाहदरा—सहारनपुर	
7 रोहतक—भिवानी	
8 गोहाना—पानीपत	(पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
9 डलमऊ—दरियापुर	(पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
10 रामनगर और काठगोदाम तक नयी लाइन	

11 सकरी और हसनपुर के बीच मीटर लाइन

12 झंझारपुर से लौकहा बाजार (पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है।
तक मीटर लाइन अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।

13 सरायगढ़–राघोपुर प्रताप (पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है।
गंज मीटर लाइन अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।

14 प्रतापगंज–फारबिसगंज (पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है।
मीटर लाइन अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।

15 बगहा छितौनी मीटर लाइन

16 मंगलूर–हसन

17 तोरणागल्लू–मुडुकुलापेन्ता (पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है
अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।

18 नागरकोयल से कन्याकुमारी तक
शाखा लाइन सहित नागरकोयल के रास्ते
तिरुनेलवेली से तिरुवनन्तपुरम तक

19 नडिकुडे–बीबी नगर

20 हल्दया पत्तन तक रेल लाइन (पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है
अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।

21 कटक–परादीप (पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है।
अवशिष्ट कार्य प्रगित पर है।

22 बड़गछिया–चम्पाडांगा शाखा

23 बांसपानी–जाखापुरा

24 साबरमती–गांधीनगर (पुनः संस्थापन) यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।

तानूर (केरल) की "ट्रेन यूजर्स एसोसियेशन" की मांगें

3967. श्री जी० एम० बनतवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ट्रेन यूजर्स एसोसिएशन तानूर (जिला मालापुर, केरल) से लगातार शिकायतें और मांगों के बारे में दिनांक 19 अप्रैल, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अबकी उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें एसोसिएशन द्वारा की गई मुख्य मांगों तथा उन पर की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

विवरण

एसोसिएशन की मुख्य मांगे	की गयी कार्रवाई
(ख) और (ग)	
(1) 59 शेरुवण्णूर-कालीकट सवारी गाड़ी का कालीकट पहुंचने का समय बदलकर 9.00 अथवा 9.15 बजे किया जाए	(1) 10-7-1977 से 59 सवारी गाड़ी का काली कालीकट पहुंचने का समय बदलकर 9-10 बजे कर दिया गया है।
(2) 60 कालीकट शेरुवण्णूर सवारी गाड़ी का सही समय पर रवाना होना सुनिश्चत किया जाये और उसे मार्ग में अनावश्यक रूप से रोका जाना बन्द किया जाये।	(2) 60 कालीकट-शेरुवण्णूर सवारी गाड़ी मई और जून 1977 में कुछ अवसरों पर देर से रवाना हुई थी। पार्प्पनगाडि पर परिचालनिक कारणों से इस गाड़ी को 30 मिनट का ठहराव दिया जाना है, जिस दौरान नम्बर 2 मेल को अग्रता दी जाती है। इस गाड़ी को ठीक समय पर चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
(3) 59/60 शेरुवण्णुर-कालीकट सवारी गाड़ी में अतिरिक्त बोगियां लगाई जाये बिजली तथा पंखों के उचित अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जाये	(3) पूरे 8 सवारी डिब्बों सहित इन गाड़ियों का चलाया जाना तथा बिजली और पंखों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कालीकट से नम्बर, 62 सवारी गाड़ी को देर से चलाया जाये ताकि उसे 12.15 बजे की बजाये 13.00 बजे रवाना किया जा सके।	(4) इस गाड़ी को कालीकट से देर से अर्थात 13.00 बजे रवाना किए जाने से शेरुवण्णूर-कोयम्बतूर खण्ड के वर्तमान उपयोगकर्ताओं को कठिनाई होगी और इसलिए ऐसा करना वांछनीय नहीं है।
(5) शेरुवण्णूर-कालीकट खण्ड पर कोयले की कमी के कारण रद्द की गयी गाड़ियों को फिर से चलाया जाये।	(5) कम उपयोग किये जाने के कारण शेरुवण्णूर-कालीकट खण्ड पर नं० 63 शेरुवण्णूर-कोयाम्बतूर सवारी गाड़ी और नं० 6-कण्णनूर-कोचिन सवारी गाड़ियों को फिर से नहीं नहीं चलाया गया था। शेरुवण्णूर-कालीकट खण्ड पर मौजूद सेवाओं को पर्याप्त समझा जाता है।

1	2
(6) माल गाड़ियों को गुजारने के लिए यात्री गाड़ियों को रोके रखना बन्द किया जाए।	(6) मालगाड़ी को गुजारने के लिए किसी यात्री गाड़ी को नहीं रोका जाता। तथापि, कुछ गाड़ियों के देर से चलने के कारण कभी कभी गाड़ियों को गैर निर्धारित समय पर गुजरना अपरिहार्य है।
(7) तिरुर और कालीकट के बीच शटल सेवा प्रारम्भ की जाये।	(7) हाल में तिरुर और कालीकट के बीच कोई शटल गाड़ी नहीं चल रही थी। तिरुर में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण प्रस्तावित शटल का चलाया जाना परि-चालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।
(8) यात्री गाड़ियों में सख्ती से टिकटों की जांच की जाये।	(8) टिकटों की जांच अभियान तेज कर दिये गये हैं।

Employment for Dependents of Employees killed in Railway Accidents

†3968. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether Government have decided to provide employment to the dependents of the employees killed and injured in railway accidents; and

(b) if so, when will it be implemented?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b): Dependents of railway employees killed in accident are offered employment on the Railways on compassionate grounds. Dependents of those who were injured and are declared unfit for further service are also considered for appointment on compassionate grounds.

Panel for Absorption of Apprentice Clerks

†3969. **Shri Narsingh Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of times apprentice clerks were called for test and whether they were paid travel expenses;

(b) whether during the test on 26th June, 1977 at Baroda House the candidates who were the sons of the officers and belonged to big families were provided facility of copying;

(c) whether he had made an announcement that for regularisation of apprentice clerks a Panel would be prepared within two months and if so, the reasons for not preparing the panel; and

(d) the monthly salary paid to apprentice clerks during apprenticeship period and the expenditure incurred by Northern Railway thereon annually?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) A written test for apprentices trained in Commercial trades was fixed on 22-5-77. This was postponed to 26-6-77. No travelling allowance was paid.

(b) No.

(c) Instructions were issued to Railway Administration to complete the selection within 2 months. The selection fixed on 22-5-77 had to be postponed to 26-6-77 because of representations from Apprentices who were due to complete their training in May and June, 1977.

(d) The Apprentices were paid stipened at the rate of Rs. 130/- p.m. The total amount spent annually on the training of apprentices is Rs. 10.36 lakh approximately.

टाटा जमशेदपुर से बोलानी तक यात्री गाड़ी

3970. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टाटा जमशेदपुर से बोलानी तक यात्री गाड़ी चलाने के बारे में बोलानी के नागरिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) बड़ाजामदा–बारबिल/बोलानी खदान इकहरी लाइन वाला एक विदयुतीकृत खण्ड है जो मुख्यत: इस्पात संयंत्र और निर्यात के लिए खनिज यातायात की निकासी के लिए है। लोहा तथा मैंगनीज अयस्क की ढलाई के लिए माल यातायात के वर्तमान स्तर द्वारा इस खण्ड की वर्तमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है। चूंकि इस खण्ड पर केवल माल गाड़ियां ही चलाई जाती हैं। अतएव यात्री गाड़ियों चलाने के लिए प्लेटफार्म पर पानी की व्यवस्था तथा सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए टर्मिनल सुविधाएं आदि जैसी सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है। सुगम सड़क परिवहन सेवाओं द्वारा यात्री यातायात के वर्तमान स्तर की पर्याप्त मात्रा में निकासी हो जाती है। इस खण्ड के महत्व तथा अर्थव्यवस्था के हित में अयस्क यातायात की ढलाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस खण्ड पर सवारी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

नरपत गंज रेलवे स्टेशन

3971. **श्री महेन्द्र नारायण सरदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारबिजगंज सहरसा रेलवे लाइन नरपतगंज स्टेशन से वर्ष भर में यात्रियों एवं समान की ढुलाई, से कितनी आय होती है ;

(ख) क्या नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर किसी एक्सप्रेस गाड़ी के रुकने के बारे में उन्हें जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या आगामी नये रेलवे टाइम टेबुल में कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों के नरपतगंज स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था की जायेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 1976–77 की अवधि में नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर यात्री तथा माल यातायात से हुई राजस्व प्राप्ति नीचे दी गई है :—

यात्री	1,12,753 रु०
माल	5,243 रु०

(ख) जी हां, इस मांग के बारे में यथोचित जांच–पड़ताल की गई थी किन्तु इसका औचित्य नहीं पाया गया।

(ग) जी नहीं।

Shares Held by Birla Group in Business Institutions in Foreign Countries

3972. Shri Hukamdeo Narain Yadav: Will the Minister of **Law, Justice And Company Affairs** be pleased to state the number of business institutions in foreign countries in which Birla Group holds shares indicating the nature of business transacted by these institutions?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): A statement [Placed in Library. See No. LT-749/77] showing the names of companies in foreign countries in which companies of the Birla Group hold shares as per information disclosed in the balance-sheets and the nature of business of such foreign companies to the extent available, is annexed.

Advocates whom Government paid Rs. One Lakh or more Fee

†**3973. Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Law, Justice, and company Affairs** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 2060 on 28th June, 1977 regarding lawyers representing Central Government and Union Territories in Courts and state:

(a) the names of the advocates to whom Government paid the sum of Rs. 1 lakh or more as fee during the last three years;

(b) the total amount of money paid to each lawyer indicating the details thereof; and;

(c) by when would Government change these Advocates?

The Minister of Law, Justice.. and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) New Attorney General, Solicitor General, Additional Solicitor General in the Supreme Court as well as new Standing Counsel and Additional Standing Counsel in Delhi High Court have already been appointed. For other places, the matter is under consideration.

बिसरा स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण और राउरकेला-हावड़ा एक्सप्रेस का रुकना

3974. **श्री डी० अमात** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर बिसरा स्टेशन पर अधूरे पड़े रेल ऊपरी पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने तथा 'अप' और 'डाउन' राउरकेला हावड़ा एक्स-

प्रेस रेलगाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) बिसरा में ऐसा कोई ऊपरी पुल नहीं है, जिसका निर्माण अधूरा छोड दिया गया हो। फरवरी, 1976 में वर्तमान ऊपरी पैदल पूल के विस्तार के साथ ही बिसरा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराए जाने के लिए बिसरा की स्थानीय जनता की ओर से उस रेलवे के महाप्रबंधक को अभ्यावेदन दिया गया था।

सितम्बर, 1976 में पंचायत समिति बिसरा की ओर से दूसरा अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ था जिसमें उसी ऊपरी पैदल पल को बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसका निर्माण 1971 में समाप्त हो चुका था।

(ख) बिसरा स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल

ऊपरी पैदल पुल के विस्तार की इस प्रार्थना की जांच की गई थी लेकिन इस स्टेशन रप यातायात के निम्न स्तर को देखते हुए उसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

राउरकेला-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी का बिसरा में ठहराया जाना।

बिसरा स्टेशन पर इस समय दो जोड़ी सवारी गाड़ियां ठहरती है। वहां पर लम्बी देरी वाले कम यातायात के कारण बिसरा में राउरकेला एक्सप्रेस को ठहराया जाना औचित्य-पूर्ण नहीं है।

कुर्मडंगा हाल्ट का दर्जा बढ़ाना

3975. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय ए० के० (एन० जी०) पर कुर्मडंगा हाल्ट को पूरे स्टेशन का दर्जा देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस तिथि तक किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा राज्य में बरहामपुर से बोलनगीर तक रेलवे लाइन

3976. **श्री बाटचा डिगल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बरहामपुर से बोलनगीर तक रेलवे लाइन बनाने के बारे में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) इस समय बरहामपुर से बोलनगीर तक रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

L.P.G. Distributors of I.O.C.

3977. **Shri Shiv Narain Sarsonia:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Indian Oil Corporation have appointed 385 LP.G. distributors throughout the couontry; and .. ..

(b) the number of distributors out of them belonging to scheduled castes and Government's policy regarding appointment of more distributors from these castes,

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Indian Oil Corporation (IOC) appointed 449 LPG distributors till the end of March, 1977. The figure stood at 385 at the end of March, 1976.

(b) Government decided to receive 25 per cent of IOC LPG agencies for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes with effect from 1-1-1974. 177 appointment letters were issued between 1-1-1974 and 31-3-1977. Out of this 38 letters are in respect of upgradation of existing sub-distributors into full-fledged distributors, and 68 are in respect of nominees of Director General of Resettlement under the scheme of reservation for disabled defence personnel, war-widows, etc. Out of the remaining 71, 13 and 5 appointments were made of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

.. "Oil Exploration at Diamond Harbour in West Bengal"

3978. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Oil and Natural Gas Commission have formulated any scheme for the exploration of Oil at Diamond Harbour in West Bengal and if so, the broad outlines thereof;

(b) whether this work was to commence in March this year and whether the delay in this regard was due to political considerations; and

(c) the names of other areas in West Bengal in which such drilling operators are also being carried out by Government as also the estimated expenditure thereon?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) and (b): ONGC is planning to drill a well to a projected depth of 5.500 metres at Diamond Harbour. The rig has been erected at the drill site and civil construction work has been completed. Tentatively, ONGC had planned to commence drilling of this well in February, 1977 but now the well is likely to be spudded in August/September 1977, after the import of some materials. The delay has been on account of any political considerations.

(c) ONGC is presently drilling a well on the Galsi structure. hTe cost of this well is likely to be Rs. 76 lakhs.

आयकर अपील अधिकरण का कटक से कलकत्ता ले जाया जाना

3979. **श्री सरत कार :**
श्री समरेन्द्र कुन्डु :
श्री गोविन्द मुण्डा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपील अधिकरण को कटक से कलकत्ता ले जाने के लिए कोई आदेश जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा आदेश इस तथ्य के बावजूद क्यों जारी किया गया कि यह अधिकरण उड़ीसा के करदाताओं के लिए ही उपयोगी नहीं रहा है अपितु इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ). प्रशासनिक बातों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी व्यवस्था के रूप में यह प्रस्ताव किया गया था कि कटक बैंच कलकत्ता में बैठे और जब कभी आवश्यक हो, कटक बैंच के समक्ष दायर किए गए मामलों को निपटाने के लिए, वह बैंच कटक आ जाए । इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे । फिर से विचार करने के बाद उक्त प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

पूर्व रेलवे और उत्तर रेलवे में माल/पार्सल चढ़ाने-उतारने के ठेकों का दिया जाना

3980. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्व रेलवे और उत्तर रेलवे में रेलवे स्टेशन कुली सहकारी श्रमिक करार समिति लि०, इलाहाबाद को दिए गए माल/पार्सल चढ़ाने-उतारने के ठेकों का ब्यौरा क्या है और ये ठेके किस तारीख को दिए गए ;

(ख) प्रत्येक ठेके का मासिक मूल्यांकन कितना है और क्या ये ठेके बातचीत के माध्यम से दिए गए थे और अथवा सार्वजनकि टैण्डर के माध्यम से; और

(ग) क्या समिति द्वारा निष्पादित करार में श्रमिकों को "उचित मजूरी" के भुगतान सम्बन्धी खण्ड शामिल हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

विवरण

पूर्व और उत्तर रेलों पर रेलवे स्टेशन पोर्टरज को-ओपरेटिव लेबर कान्ट्रैक्ट सोसाइटी लि०, इलाहबाद को दिए गए माल और पार्सल की सम्हलाई के ठेकों का ब्यौरा

क्र० सं०	माल और पार्सल की सम्हलाई के ठेकों का ब्यौरा	ठेके की अवधि	ठेके पर मासिक व्यय	क्या ठेका आपस की बातचीत के आधार पर अथवा खुले रूप मे टेण्डर द्वारा दिया गया था ?
1	2	3	4	5
		पूर्व रेलवे	रु०	
1.	मुगलसराय में पार्सलों की सम्हलाई	1-11-75 से 31-10-78 तक	6839.46	बात चीत द्वारा
2.	मुगलसराय में माल की सम्हलाई	1-11-76 मे 31-10-79 तक	15,044.00	बातचीत द्वारा
		ऊत्तर रेलवे		
3.	इलाहाबाद में पार्सल की सम्हलाई	1-8-75 से 31-7-77 तक	21,175.00	बातचीत द्वारा
4.	मुरादाबाद क्षेत्र-1 (हापुड़, गजरौला, पिलखुआ, अमरोहा, चन्दौसी, हरदोई, रामपुर, सन्डोला तथा बुलन्दशहर) में पार्सल की सम्हलाई	8-6-77 से 7-6-79 तक	16,525.00	बातचीत द्वारा
5.	मुरादाबाद क्षेत्र-4 (देहरादून, हरिद्वार तथा ऋषिकेष में पार्सल की सम्हलाई	16-6-77 से 15-6-79 तक	3,950.00	बातचीत द्वारा
6.	दिल्ली मण्डल क्षेत्र-3 गाजियाबाद से सहारनपुर तक) में माल की सम्हलाई	1-7-76 से 30-6-78 तक	12,750.00	बातचीत द्वारा
7.	नयी दिल्ली मालगोदाम में माल की सम्हलाई	1-2-77 से 31-1-79 तक	23,450.00	बातचीत द्वारा

रेलवे में खोमचे वालों और हैल्परों की भर्ती

3981. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में खोमचे वालों और हैल्परों की भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या भर्ती रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाती है ;

(ग) क्या हैल्परों की वैंण्डर के रूप में भर्ती के लिए, जब कभी रिक्त स्थान होता है, कोई वरिष्ठाता सूची बनाई जाती है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इलाहाबाद डिवीजन में कितने वैण्डरों को बिना पारी के नियुक्त किया गया है और क्या ऐसे मामलों में अधिकारियों ने सही प्रक्रिया का अनुसरण किया था।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) खोमचे वालों की भर्ती के लिए प्रेस अधिसूचना के माध्यम से प्रार्थना पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं और रेलवे स्टेशन के स्थानों पर नोटिस लगाए जाते हैं । इसके बाद प्रार्थियों का एक प्रवरण बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है जिसमें दो या अधिक सहायक अधिकारी होते हैं। प्रवरण बोर्ड की सिफारिश पर खोमचे वालों के रूप में अत्यधिक उपयुक्त पाये जाने वाले व्यक्तियों की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भर्ती की जाती है । खोमचे वाले अपने हैल्परों की नियुक्ति स्वयं करते हैं जो उनके काम में उनकी सहायता करते हैं और हैल्परों की भर्ती से रेल प्रशासन का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चूंकि हैल्परों की नियुक्ति खोमचे वालों द्वारा स्वयं की जाती है न कि रेलों द्वारा, इसलिए हैल्परों की वरिष्ठता सूची नहीं रखी जाती है ।

(ङ) अब तक प्रवरण बोर्ड द्वारा चयन नहीं किया जाता तब तक अतिरिक्त बिक्री करने के लिए तदर्थ आधार पर इलाहाबाद मंडल पर तेईस व्यक्तियों की खोमचे वालों के रूप में भर्ती की गयी है । खोमचे वालों के चयन का काम चल रहा है ।

Contractors Selling Tea and Other Articles at Dadar Station

3982. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the names of the contractors who are selling tea and other articles at Dadar Station of Central Railway;

(b) when these persons were granted contracts for the first time as also the names of the persons who were granted contracts for selling tea at this station during the last two years;

(c) whether applications were invited for granting contracts at this station during the last two years; and

(d) if so, the names of the persons who submitted applications as also the names of those whose applications were granted and were awarded contracts?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b). The names of the contractors who are selling tea and other articles at Dadar Station of Central Railway together with the dates on which they were granted contracts for the first times is given below:

S.No.	Name of the contractor	Date on which contract was allotted for the first time
1.	M$s Shyam Lal & Sons	5-4-1935
2.	Shri M. K. Kashyap	1-6-1953
3.	Catering and Vending Cooperative Society Limited	10-11-1972
4.	Shri Om Prakash Jain	18-3-1976

No contract for sale of tea was given at this station during the last 3 years.

(c) Tenders were invited for allotment of miscellaneous articles contracts at Dadar Station in July 1975.

(d) The following persons, submitted tenders:

1. Shri Om Prakash Jain
2. Messrs. S. K. Agarwal & Co
3. Shri K. N. Agarwal
4. Shri M. K. Kashyap
5. Shri R. . Agrawal
6. Shri K. S. Nagori

The contracts was awarded to Shri Om Prakash Jain who was highest bidder.

Conversion of Moradabad Kashipur-Haldwani Metre Gauge Line into Broad Gauge Line

†3983. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to convert Muradabad-Kashipur-Haldwani metre gauge line into a broad gauge line; and

(b) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b). Gauge conversion of Moradabad-Ramnagar and Kashipur-Lalkua lines with a parallel BG line from Lalkua to Haldwani are approved works and construction work on Moradabad-Ramnagar line has been taken up. It has not been possible to fix a target date for the competion of these projects on account of paucity of funds.

नेशनल रेयन कारपोरेशन

3984. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रेयन कारपोरेशन के वित्तीय कार्यों में भारी कुप्रबन्ध की न्यायिक जांच कराने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो जांच आयोग कब गठित किया जायेगा तथा उसके कौन-कौन सदस्य होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान् जी। कम्पनी विधि बोर्ड ने पहले ही मामले पर विचार किया है और कम्पनी अधिनियम की धारा 408(1) के अन्तर्गत कम्पनी बोर्ड में आठ निदेशक नियुक्त किए हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

Staff Working in Marketing and other Wings of I.O.C.

3985. Shri Mahi Lal: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the category-wise and designation-wise total number of officers and employees in Marketing Division, Refinery Divisions and Chairman's office of the Indian Oil Corporation in Delhi/New Delhi separately;

(b) the number and percentage of the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, out of them;

(c) whether full reserved quota of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been filled in the aforesaid three Divisions of Indian Oil Corporation in Delhi/New Delhi and if not the reasons therefor;

(d) whether some persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who are working in these offices have made representations for their promotions; and

(e) if so, the action taken by Government on their representation so far keeping in view the provisions relating to reservation for promotions?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) to (e). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

औषधियों के मूल्यों में कमी

3986. **श्री अनन्त दवे :** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के मूल्य कम करने सम्बन्धी उनकी सलाह पर औषध निर्माता उद्योग ने किस सीमा तक अमल किया ;

(ख) औषध उद्योग द्वारा मंत्री महोदय को अपने सहयोग का आश्वासन दिए जाने के बाद मूल्य किस सीमा तक कम किए गये हैं ; और

(ग) गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए औषधियों के मूल्यों में शीघ्रता से कमी करना सुनिश्चित करने हेतु आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). यह सुनिश्चित करने के लिए कि औषधों की कमी न होने पाए और मूल्यों को कम किया जाए, सरकार की इस तीव्र इच्छा को 20-4-77 को हुई बैठक में भेषज उद्योग संघ

को सूचित किया गया था। उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रयास की सहारना की और इसकी सफलता के लिए पूर्ण रूप से सहयोग दिया । इस बैठक के परिणामस्वरूप स्वेच्छा से मूल्य कम करने के लिए अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयातित और देश में निर्मित कुछ प्रपुंज औषधों के मूल्य 1976-77 में कम किए गए थे। मूल्यों में ऐसी कमी दिखाने वाला एक विवरण पत्र [अनुबन्ध में सलग्न है। जनहित में सरकार ने 12 और जीवन रक्षक औषध और दवाइयों को (जिनकी सूची अनुबन्धन-II) में दी गई है]II दिसम्बर, 1976 से अतिरिक्त शुल्क यदि कोई टेरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत लगाने योग्य हो, सहित सम्पूर्ण सीमा शुल्क की अदायगी से छूट दी है। उस दिन से उपभोक्ताओं को जीवन रक्षक औषधों और दवाइयों पर सीमा शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है । सरकार ने 10 मई, 1977 से पेटेंट अथवा स्वामित्व प्राप्त दवाइयों पर जिसमें निम्नलिखित प्रपुंज औषध शामिल है, $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क भी कम किया है :—

1. क्लोरोक्यून फास्फेट
2. अमोडियाक्यून
3. क्लोफानुमाइन
4. टोलबुटामाइड (औरल एन्टीडाबेटिक)
5. मेट्रोनीडानील
6. डाइथीयल कारवामेनाइज सीट्रेट
7. पाइपरार्निइन और उसके लक्षण
8. रीफमपीसिन
9. टेट्रासाइक्लिन हैड्रोक्लोराइड

उत्पाद शुल्क की कमी का सूत्रयोगों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा और ज्यों ही सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा नए माल पर संशोधित सीमा शुल्क लगाए जायें त्योंही उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा । वित्त मंत्रालय ने भी अप्रत्यक्ष कर जांच समिति गठित की है जो औषधों और दवाइयों सहित सभी पदार्थों पर अप्रत्यक्ष करों की जांच कर रही है । प्रपुंज औषधों, तैयार दवाइयों और जीवन मध्यवर्ती पदार्थों पर उत्पाद शुल्क की उक्त समिति के अध्ययन के क्षेत्राधिकार में आता है ।

औषध और भेषज उद्योग की समिति (हायो समिति) ने अपनी रिपोर्ट में औषधों के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में कई सिफारिशें की हैं। सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेने की संभावना है ।

विवरण

प्रपुंज औषधों के मूल्यों में कमी

(रुपए कि० ग्राम)

क्र० सं०	औषध का नाम	पहले मूल्य	वर्तमान मूल्य
1.	एमीसिलीन एन्हाइड्राऊस	1952.76	1540.00 (1-8-76 से)
2.	एम्पीसिलीन सोडियम	2121.55	1300.00 (1-8-76 से)
3.	एम्पीसिलीन ड्राईहाइड्रेट	1427.65	1213.05 (1-8-76 से)
4.	क्लोरमंफनीकोल पाउडर (पूल्ड मूल्य)	562.42	524.60 (1-8-76 से)
5.	इरीड्रोमाईसिन स्टीएरट	1481.50	13.00 (1-8-76 से)
6.	एनलजिन (पूल्ड मूल्य)	175.02	155.30 (31-7-76 से)
7.	फेनोबारबीटोन प्लेन (पूल्ड मूल्य)	276.11	172.81 (31-7-76 से)
8.	नरकोटाइन	410.00	244.02 (24-7-76 से)
9.	आक्सीलोसेन/लिगनोसेन	296.00	281.00 (4-9-76 से)
10.	आक्सीटेट्राइकलिन	950/1000	(i) 729.00 अपने प्रयोग के लिए (ii) 749.00 दूसरो को बेचने हेतु (8.9.76 से)
11.	डिलीक्सानाइड फुरोएट	666.67	450.00 (10-9-76 से)
12.	टाइटरिक एसिड	29.00	20.89 (10-1-76 से)
13.	टेट्रासाइक्लिन एच सी एल	850.00	650.00 (10-9-76 से)

"विवरण"

जीवन रक्षक औषधियों और दवाइयों की अतिरिक्त सूची जिस पर टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 50) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर यदि कोई लगाया गया हो' सहित सारे सीमा शुल्क से छूट दी गई है

1. एमनटेडाईन हैड्रोक-लोमाईड कैप्सूल्स
2. पौटाशियम पी-एमीनोबेंजोएट गोलियां/कैप्सूल्स

3. सोडियम क्रोमोगलाईकेट स्पिनकेप्स एंड कारट्रीजस
4. सोल्यूशन ग्राफ न्यूसिलिपोटाईड्स एंड न्यूक्लिग्रोसाइड्स फार इंजक्शन
5. कारबीडोपा विद लेवोडोपा गोलियां/कैप्सूल्स
6. बेक्लामाइड गोलियां
7. लेवोडोपा विद बेंसराईड गोलियां/कप्सूल्स
8. स्पेसीफिक डैसेनसीटीसिंग वेकसिन
9. सल्बूटामोल सल्फेट (गोलियां)
10. डैस्फेरीपोक्सामाइन मैसीलेट
11. हैलोथेन लिक्विड
12. इक्टेवल मेथी प्रेडनीसीलोन ।

Payment of Wages to Goods/Parcel Porters

†3987. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the rates of wages at which payment is made to goods and parcel porters working at Mughal Sarai, New Delhi, Howrah and Kanpur Stations and whether those rates of wages are equal to the rates fixed by Government; and

(b) the steps being taken by Government to secure fair wages and the action proposed to be taken for payment of wages to them at minimum fixed rates?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) & (b). The rates of wages paid to the Goods & Parcel porters are as under:—

(i) *Mughal Sarai Goods & Parcels*

At the rate of Rs. 41 per head per day with the admissible allowance of 10 per cent overhead charges and 4 per cent bonus to the Station Porters' Co-operative Labour Contract Society Ltd., Allahabad.

(ii) *New Delhi Station*

Parcel porters at New Delhi Railway Station are Railway employees in pay scale of Rs. 196-3-220-4-232 plus dearness and other allowances.

Goods porters are paid by the Handling Contractors on the basis of work done by each labour varying normally between Rs. 180/- to Rs. 250 per head per month.

(iii) *Howrah Station*

Goods porters are paid by the Handling Contractors at the rates varying from Rs. 150 to Rs. 170 per head per month.

Parcel porters at Howrah are paid Rs. 52.50 Paise per head per month. The parcel handling work is mainly concentrated at the time of arrival and departure of Mail & Express trains. These porters, therefore, are not engaged full time by the contractor, and they work for other merchants also when not engaged by the contractor.

(iv) *Kanpur Station*

Goods & Parce porters at this station are paid at the rate of Rs. 5.30 Paise per head per day.

Since fair wages are being paid to the porters, the question of taking any action on this account does not arise.

Selection on Hereditary Basis

†3988. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether selections to the Railway services are not made on merit but on the hereditary basis; and

(b) if so, the number of persons selected on this basis during 1975-76?

The Minister of Railways (Prof.) Madhu Dandvate): (a) No.

(b) Does not arise.

Compensation of Goods which fell short during Transit

†3989. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of traders who were paid compensation for their godds that fell short during transit in 1975-76; and

(b) whether a complaint to this effect was also received from Etah district in U.P. and if so, the details of action taken thereon?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) During the year 1975-76, 2,69,674 claims were settled by payment involving an amount of Rs. 15.26 crores.

(b) Records were checked in the Northern Railway Claims office and it was found that a claim for Rs. 9371.50 was received from M/s. Ram Bricketing Udyog, Etah, for short receipt of coal in wagon No. SE 54877 booked under invoice No. 27 RR No. 599255 dated 31-12-1975 ex. Bondamuda to Etah.

Four wagons were booked under the above R. R. out of which in the case of one wagon mentioned above, the consignee had requested for reweighment. In this case coal was booked at owner's risk and Railways are not liable for any loss in transit unless negligence or misconduct on the part of Railways can be proved. Permission for reweighment was, therefore, not granted.

Instructions have been issued to Divisional Superintendent, Northern Railway, Allahabad, to expedite delivery of the consignment. Claim aspect can only be considered after dilivery is taken by the consignee.

Robberies on Agra-Kanpur Trains

†3990. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of robberies which occurred in Agra-Kanpur trains on the North-Eastern Railway in 1975-77;

(b) the number of persons arrested in this regard; and

(c) the steps taken by Government to check the recurrence of such incidents?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) There were 34 cases of robbery during the year 1975, 1976 and 1977 (upto 30th June).

(b) 17.

(c) This being law and order problem, the State Police are deploying Government Railway Police personnel for escorting night passenger trains. Investigations were conducted in the cases. Plain-clothed police personnel are being deployed on night passenger trains. Railway Protection Force assistance was also rendered to the police.

पिछड़े क्षेत्रों मे नई रेलवे लाइन बिछाने और मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने को प्राथमिकता

3991. श्री निहार लास्कर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइन बिछाने तथा मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को प्राथमिकता देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन क्षेत्रों और राज्यों के नाम क्या है जिनमें चालू वर्ष में यह कार्य किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेल लाइनों के निर्माण तथा मीटर आमान की लाइनों को बड़े आमान में बदलने की आवश्यकता के बारे में रेल मंत्रालय को जानकारी है और नयी परियोजनाओं के बारे में निर्णय करते समय इस बात का समुचित ध्यान रखा जाता है ।

(ख) कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है या नहीं इसका विनिश्चय करने में सम्बन्धित राज्य सरकार रेलों का मार्ग दर्शन करती है ।

(ग) जिन नयी लाइनों एवं आमान परिवर्तन परियोजनाओं का काम चल रहा है अथवा जिन्हें चालू वित्त वर्ष में आरम्भ किया जायेगा, उनकी सूची सलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई** । देखिए सख्या एल० टी० 750।77]

आसावती में द्वारा का जबर्दस्ती खोला जाना

3992. चौधरी हरीराम मक्कासर गोदरा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जून, 1977 को सुबह लगभग 7.40 बजे जब दो रेलगाड़ियां 124 अप और 367 डाउन सेन्ट्रल रेलवे के आसावती स्टेशन के बहुत निकट थीं, गांव के कुछ गाड़ीवान केबिन में आये और केबिनमैन को जबदस्ती द्वार खोलने के लिए मजबूर किया;

(ख) क्या उसके इन्कार करने पर उन्होंने अपशब्द कहे और उसके ऊपर पत्थर फेंके;

(ग) क्या जब स्टेशन मास्टर की जानकारी में उक्त मामला लाया गया तो उन्होंने लिखित शिकायत को फाड दिया और मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने से इंकार किया; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (घ) सूचना इक्टठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टेशन मास्टर का एक स्टेशन (मध्य रेलवे) पर बहुत अधिक समय तक बने रहना

3993. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल रेलवे के एक स्टेशन पर एक बार नियुक्त स्टेशन मास्टर का किसी अन्य स्टेशन पर कभी स्थानान्तरण नहीं होता ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकरात्माक हो, तो सेन्ट्रल रेलवे के आसावती स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के इतने अधिक समय तक रुके रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) जी नहीं।

(ख) आसावती स्टेशन के स्टेशन मास्टर वहां पर 1968 से काम कर रहे हैं । उनका काम संतोषजनक पाया गया है अतएव वहां से उनको स्थानान्तरिव करने का कोई आधार नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कीटनाशी औषधि निर्माता कम्पनियों के नाम

3994. **श्री अहमद एम० पटेल :** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि देश में कीटनाशी औषधि निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : एक विवरण पत्र संलग्न है ।

"विवरण"

संगठित क्षेत्र के निर्माता का नाम	तकनीकी पैस्टीसाइड्स को निर्मित मद
1. हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि०, दिल्ली	डी० डी० टी०, बी० एच० सी०
2. हिन्दुस्नान आर्गेनिक कैमिकल्स, रसायनी	बी० एच० सी०
3. मीको फार्म कैमिकल्स लि०, मद्रास	बी० एच० सी०
4. अलकली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन, कलकत्ता ।	बी० एच० सी०, थिरम, थिओ-कारबामैट्स
5. पैस्टीसाइड्स एण्ड त्रीवर्स लि०, बम्बई	बी० एच० सी०, मेलाथियोन जिन्क फोस्फेट

6.	टाटा कैमिकल्स लि०. मिथापुर	बी० एच० सी० मैथाइल ब्रोमाइड इथीलीन डिब्रोमाइड, कूपर औक्सीक्लोराइड
7.	एक्सल इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	मैलाथियोन, अल्युमिनियम फोसफाईड, इथीलीन डिब्रोमाइड, थिरम, थियोकारबामेंट्स, जिन्क फोस्फाइड औरगानो मरकूरियल्स, अल्फा नफ्थालिन एसटिक एसिड ।
8.	डिलीसिया इंण्डिया लि०, बम्बई	अल्यूमिनियम फोस्फाइड
9.	कनोरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	बी० एच० सी०
10.	सीबा गेगी आफ इंडिया लि०, बम्बई	फोस्फामीडोन, डी० डी० वी० पी० और डी० डी० कारवामट
11.	रेलिस इण्डिया लि०, बम्बई	डिमथोएट, कैनिट्रोथियोन
12.	बयर इण्डिया लि०, बम्बई	पैराथियोन, थिरम, थियोकारबामेट्स मटोसिस्टोक्स , फनिट्रोथियोन
13.	साइनामाइड इंडिया लि०; बम्बई	मेलाथियोन फेनिट्रोथियोन
14.	सैण्डोज इण्डिया लि०, बम्बई	क्विनालफोस
15.	ट्राउनकोर कैमिकल्स मैनूफेक्चरिंग कम्पनी, अलवाय	कूपर औक्सीक्लोराइड
16.	भारत पुलवरिसिंग मिल्स लि०, बम्बई	अल्युमिनियम फोस्फाइड, निक्कल क्लोराइड जिन्क फोस्फाइड, 2-4 डी
17.	इण्डोफिल कैमिकल्स लि० बम्बई	डिथेन, स्टाम और टोक
18.	एग्रोमोर लि०, बगलौर	2-4-डी, रैटाफिन
19.	पैस्टीसाइड्स इण्डिया उदयपुर	मैलाथियोन
20.	अतुल प्रोडक्ट्स, अतुल	2-4-डी
21.	निको कम० (प्राइवट) लि०, बड़ौदा	निकोटिन सल्फेट
22.	कीर्ति कैमिकल्स, बम्बई	कूपर औक्सीक्लोराइड, जिन्क फोस्फाइड
23.	धरमजी मौरारजी कैमिकल्स, अहमदाबाद	अमोनिया सल्फामेट
24.	बुट्स प्युअर ड्रग्स कम्पनी, बम्बई	कूपर औक्साक्लोराइड

गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी योजना का क्रियान्वयन

3995 श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री हेनरी आस्टिन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी योजना क्रियान्वित करने के लिए कहा है ;

(ख) अब तक कितने राज्यों न योजना क्रियान्वित की है;

(ग) क्या केरल पहला राज्य है जहां गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध करने के लिए कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उनको किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं। किन्तु सरकार ने उस समिति की, जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश वी० आर० कृष्ण अय्यर थे रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेज दी हैं जिसमें कानूनी सहायता की एक व्यापक स्कीम तैयार की गई है। बाद में सरकार ने यह सोचा कि एक व्यापक कानूनी सहायता कार्यक्रम की स्थापना पर और आगे विचार किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए मई, 1976 में एक द्विसदस्यीय समिति नियुक्त की गई जिसके सदस्य न्यायाधीश पी० एन० भगवती और न्यायाधीश वी० आर० कृष्ण अय्यर हैं। आशा है कि वह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ;

(ख) और (घ) के प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग) केरल राज्य ने 1957 में गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए एक स्कीम बनाई थी जिसे 1958 में उपान्तरित किया गया। इससे पूर्व किसी अन्य राज्य में ऐसी ही स्कीम लागू किए जाने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

खड़गपुर होते हुए डिघा से कलकत्ता तक रेल सम्पर्क

3996. श्री समर गुहु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के एकमात्र समुद्रतटीय पर्यटक केन्द्र डिघा का खड़गपुर होते हुए कलकत्ता से रेल सम्पर्क स्थापित करने के बारे में उनको कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार रेलवे लाइन के इतनी थोड़ी दूरी तक बढ़ाये जाने के लिए संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों से कहेगी;

(घ) क्या ऐसे संभाव्यता प्रतिवेदन से, इनको अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने के बाद, सरकार योजना को शीघ्र क्रियान्वित कर सकेगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर, मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) और (ग), (घ), (ङ) : खड़गपुर के रास्ते, डीघा और कलकत्ता के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल इस परियोजना के सम्बन्ध में विचार भी नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंन्धान संस्थान द्वारा प्रकाशित अनुसंधान पत्र

3997. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र अर्थात् तलचेर, रामागुंडम तथा कोरबा संयंत्रों को अन्तिम रूप देने से पूर्व "सिन्थेटिक आमोनिया के उत्पादन के तकनीकी-आर्थिक पहलु" पर केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनवाद द्वारा प्रकाशित अनुसंधान पत्र की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था;

(ख) क्या इन संयंत्रों में बारीक कोयले से गैस बनाने के लिए 'कीपर्स' टोटजैक, प्रक्रिया अपनाई चयगी;

(ग) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के उक्त पत्र में बताया गया है कि दबाव से गैस बनाने की तकनीकी (लुरगी प्रक्रिया) कम खर्चीली है;

(घ) क्या प्रस्तावित उक्त उर्वरक संयंत्रों में से किसी एक में कोयले से गैस बनान की लुरदी प्रक्रिया को परीक्षण के तौर पर अपनाया जायगा; और

(ङ) क्या लुरगी प्रक्रिया कोपर्स टोटजैक प्रक्रिया के तुलनात्मक आर्थिक और तकनीकी पहलुओं की जानकारी के लिए केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान से परामर्श करने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति बनाई जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ङ) : कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के बारे में निर्णय लेते समय केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का संबंध केवल लरजी प्रक्रिया पर आधारित पाइलट प्लांट से कार्य था; तथापि कोयले पर आधारित नए उर्वरक संयंत्रों के लिए उचित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में निर्णय लेने से पूर्व उस समय विद्यमान कोयले पर आधारित संयंत्रों की प्रौद्योगिकी और उनके कार्य करण के तकनीकी-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक दल की स्थापना की गई थी । यह दल टर्की, पश्चिम जर्मनी, स्पेन और यू० के० गया और उसने कोयला गैसीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं और पद्धतियों पर उनके साथ विचार-विमर्श किया दल ने तीन प्रमुख प्रक्रियाओं अर्थात् लरजी हाई प्रेसर फिक्स्ड बेड गैसीफिकेशन, विक्लर फ्लाइज्ड बेड गैसफिकेशन और कोपर टोटजैक एन्ट्रन्ड-की-करट डस्ट गैसीफिकेशन का गहन अध्ययन किया और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कोपर प्रक्रिया की सिफारिश की ।

(क) कच्चे संश्लेषण गैस का एक बार में ही उत्पादन करने के लिए इसकी परम उपयुक्ता ।

(ख) विभिन्न प्रकार की कैंकिग प्रवत्तियों, राख अंशों और राख पिघलाने के प्वांयट्स सहित अनेक प्रकार के इंधनों के तुरन्त अनुरुपता ग्रहण करना ।

(ग) निर्माण और अनुरक्षन के लिए इसकी सरलता; और

(घ) ऐसे संयंत्रों के कार्य निष्पादन पर इस प्रक्रिया के प्रयोग कर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया सामान्य संतोष ।

चूंकि रामागुण्डम और तालचर स्थित कोयले पर आधारित संयंत्र इस समय कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं अतः इस स्तर पर प्रयोगात्मक आधार पर भी लरजी प्रक्रिया को अपनाने का प्रश्न नहीं उठता । तथापि अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की योजना बनाते समय और उसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेते समय कोपर टोटजैक प्रक्रिया के संचालन और अन्य उपलब्ध प्रक्रियाओं के अनुभव पर यथोचित विचार किया जायेगा ।

सियालदह स्टेशन के निकट उपरिपुल (फलाई ओवर ब्रिज) का निर्माण

3998. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के समक्ष, जो कि कलकत्ता की एक भारी यातायात वाला क्षेत्र है, यातायात प्रायः रुक जाता है।

(ख) सियालदह स्टेशन के समक्ष यातायात के प्रायः रुक जाने के कलकत्ता के इससे मिलने वाले अन्य क्षेत्रों में यातायात रुक जाता है ;

(ग) क्या सियालदह को मिलाने वाली मुख्य सड़कों पर उपरि-पुल (फ्लाई ओवर ब्रिज) बनाने के लिए उनके मंत्रालय ने कोई कार्यवाही की है; और

(घ) क्या कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के आसपास गलियों में भीड़ के प्रायः जमा होने तथा यातायात रुक जाने को रोकने के लिए सरकार का विचार राज्य सरकार को यह कहने का है कि वह रेल मंत्रालय के साथ मिल कर ऐसे उपरि-पुल बनाने की संयुक्त योजना तैयार करे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (घ) यद्यपि सियालदह स्टेशन क्षेत्र में सड़क यातायात बहुत अधिक है और कभी-कभी विभिन्न कारणों से यातायात ठप्प हो जाता है, तथापि कलकत्ता की सड़कों पर यातायात का नियमन करने का सीधा संबंध रेल मंत्रालय से नहीं है । लेकिन, इस विषय पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार/कोयला खान विकास प्राधिकरण विचार करते रहे हैं। सियालदह रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़कों पर ठप्प यातायात को सुप्रवाही बनाने के लिए कोयला खान विकास प्राधिकरण ने रेलवे से मिलकर एक संयुक्त योजना पहले ही बना ली है और काम प्रारम्भ कर दिया है।

दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रेस के लिये भोजयान/पेन्ट्री

3999. **श्री डी० डी० देसाई :** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रैस के यात्रियों को गाड़ी में भोजन यान पेन्ट्री न होने के कारण बहुत असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी के यात्रियों की सहायता के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर, मधु दंडवते) : (क) दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रैस गाड़ी में खान-पान/रसोई भंडार यान के न होने के कारण इस गाड़ी में सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा होने की कोई शिकायत नहीं मिली है । इस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मार्गवर्ती स्थैनिक यूनिटों से सप्लाई के लिए पर्याप्त खान-पान सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों में वृद्धि के बारे में एकाधिकरा तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की जांच

4000. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने वर्ष, 1974–75 में बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों में भारी वृद्धि के सम्बन्ध में कोई जांच की थी, और इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के निष्कर्ष क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा ने बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में भारी विस्तार के सम्बन्ध में कोई साधारण जांच नहीं की है और इस प्रकार की कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को नहीं दी गई है ।

कलकत्ता में भूमिगत रेल के लिये आवश्यकता तथा बजट में नियतन

4001. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री पी० के० कोडियान :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेल के निर्माण के लिए चालू वर्ष के बजट में किया गया नियतन अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो कितना नियतन किया है और वास्तविक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) यह कब तक चालू हो जायेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) धन का आवंटन थोड़ा कम था ।

(ख) कलकत्ता में भूगत रेल के निर्माण के लिये चालू वर्ष बजट में 8.63 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जब कि मूलतः 11 करोड़ रुपये की आवश्यकता बतायी गयी थी ।

(ग) निर्माण कार्य की उद्यतन कुल प्रगति 11% है इस समय अनेक खण्डों पर कार्य प्रगति पर है ।

(घ) संससाधन उपलब्ध होने पर यह काम 1986 तक पूरा किया जा सकता है।

Railway Line from Jarwal Road Station to Kartarnia Ghat

†4002. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Raliways** be pleased to tate:

(a) whether Government are aware that Bahraich district in U.P. though ich in natural resources has remained backward for want of transport facilities; nd

(b) if so, whether Government propose to construct a railway line from 'arwal Road Railway Station to Katarnia Ghat *via* Bahraj and Bhinaga so that his backward area may turn into a developed area?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) & (b). Government are aware of the need of construction of new railway lines in backward reas of the country including Bahraich district of Uttar Pradesh. However, n view of the paucity of resources, it will not be possible to consider the proposed new railway line from Jarwal Road to Katarnia Ghat at present.

Investment in manufacturing of Allopatic an dAyurvedic Medicines

4003. **Shri Om Parkash Tyagi:** Will the Minister of **Petroleum & Chemicals & Fertilizers** be pleased to state:

(a) the capital invested by Government for the manufacture of Allopathic nd Ayurvedic Medicines, separately;

(b) the number of new medicines invented or manufactured by both the Departments; and

(c) the fresh steps being taken by Government to encourage the manufacture f Ayurvedic medicines?

The Minister of Petroleum & Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): a) The investment in equity capital of the two Public sector undertakings ngaged in manufacture of Allopathic Drugs, namely Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. and Hindustan Antibiotics Ltd. as on the 31st March 1977 was s. 45.80 crores and 4.22 crores respectively. Information on the investment on ther Government units manufacturing allopathic and ayurvedie medicines is eing collected and will be furnished separately.

(b) Hindustan Antibiotic Ltd. invented the following allopathic medicines:

Hamycin
D-ermostatin
Aureofungin
Antiamoebin

Information in regard to medicines invented by other organisations is being ollected and will be furnished separately.

(c) Information is being collected and will be furnished separately.

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उल्लंघन के लिये कम्पनियों पर अभ्यारोपण लगाया जाना

4004. **श्री सौगत राय : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने गत दो वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत कितनी कम्पनियों पर अभ्यारोपण लगाये ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की सूचना में एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला नहीं आया है अतः आयोग द्वारा किसी भी कम्पनी के अभ्यारोपण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राजधानी में नये ब्युशेन गैस एजेंसियों का आवंटन

4005. **श्री अनन्त दवे :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 और 1977 में 30 जून, 1977 तक राजधानी में ब्युशेन कुकिंग गैस के वितरण के लिये कितनी नई एजेन्सियों/उपएजेंसियों की स्थापना की गई और उनके नाम क्या हैं तथा उनकी किन-किन स्थानों पर स्थापना की गई ; और

(ख) उनकी स्थापना किन-किन तारीखों को की गई और उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1976 और अप्रैल, 1977 के बीच भारत रिफाइनीरीज लिमि० द्वारा 11 उप एजेन्टों को पूर्ण रूप से वितरक बनाये जाने के अतिरिक्त वर्ष, 1976 और 1977 में 30 जून, 1977 तक राजधानी में ब्युशेन कुकिंग गैस के वितरण के लिए किसी प्रकार की नई एजेंसियां/उप-एजेंसियों नहीं खोली गई थीं। इस समय भारत रिफाइनरीज लिमि० के दिल्ली में 12 घरेलू कुकिंग गैस वितरक हैं। इन फर्मों के नाम तथा उनके द्वारा गैस वितरण के लिए सम्मिलित क्षेत्र अनुबन्ध में किये गये हैं।

विवरण

एल. पी. जी. एजेन्टों की सूची

क्रमांक	एजेन्ट का नाम व पता	गैस वितरण का क्षेत्र
1	2	3
1	मैसर्स एलाइड गैस सर्विसिज 60, नजफगढ़ रोड़ औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली-110015	खान मार्किट, पण्डारा रोड़, रविन्द्र नगर तथा, नया रजिन्द्र नगर, करोल बाग क्षेत्र, रोहतक रोड़, पहाड़ गंज, कनाट प्लैस क्षेत्र, इण्डिया गेट क्षेत्र, गोल मार्किट, झण्डे वालान।
2	मैसर्स दीपक गैस सर्विस, 18/32, पूर्वी पटेल नगर, मार्किट, नई दिल्ली —110008	पूर्वी/पश्चिमी पटेल नगर, पुषा संसधान, रणजीत नगर, बलजीत नगर, इन्द्रपुरी।
3	मैसर्स अशोक स्टोर्स, एम—10 ग्रेटर कैलाश—1 मार्किट नई दिल्ली—110048	ग्रेटर कैलाश—I तथा II कैलाश कालोनी कालका जी, मनदनगीर, बंगाली कालोनी, ओखला औद्योगिक एस्टेट।

1	2	3
4	मैसर्स राहुल एजेंसिस, 31/5 जंगपुरा एक्शटेशन मार्किट, नई दिल्ली,—110024	सुन्दर, नगर, मथुरा रोड़, निजामुद्दीन, महारानी बाग, गोल्फकस फैन्ड्रस कालोनी, जंगपुरा, लाजपत नगर I तथा II ।
5	मैसर्स ज्वाला एजेन्सिस, 26 डिफेन्स कालोनी मार्किट, नई दिल्ली,–110024	डिफेन्स कालोनी, साउथ एक्सटेंशन–I और II, सेवा नगर ।
6	मैसर्स उमिका एजेंसिस ए/13 ए रिंग रोड़, राजोरी गार्डन मार्किट, नई दिल्ली–110027	राजोरी गार्डन, अशोक नगर, फतेह नगर, तथा हरी नगर आदि नारायणा, डी० डी० ए० कालोनी रमेश नगर, कीर्तिनगर, मान सरोवर, गार्डन, रतन पार्क, सुदर्शन पार्क, राजा गार्डन, पंजाबी बाग, शिवाजी पार्क मादीपुर शुकुर बस्ती तिलक नगर, विष्णु गार्डन, मिनाक्षी गार्डन, श्याम नगर, चांद नगर, जनकपुरी, उत्तम नगर आदि ।
7	मैसर्स मोर्डन कुकरीज, 34/ई कमला नगर, मार्किट, नई दिल्ली—110007	कमला नगर, विश्वविद्यालय क्षेत्र, रुप नगर, माडल टाऊन, शक्ति नगर, मलका गंज, सब्जी मण्डी आदि किंग्जवे कैंम्प तिमारपुर।
8	मैसर्स सतीश एण्ड कम्पनी, सी-2/ हाऊज खास, नई दिल्ली, 110016	ग्रीन पार्क, हाउज खास मेहरौली, मालवीय नगर, स्वामी नगर, आनन्द लोक, गुलमोहर, पार्क और पंचशील ।
9	मैसर्स रमण गैस, सर्विस, 7, वसुरकर मार्किट, मोती बाग–1 नई दिल्ली—110021	मोती बाग–I और II, चाक्णक्यपुरी, आनन्द और शान्ति निकेतन, वसन्त बिहार, जसवन्त प्लेस, दिल्ली, छावनी ।
10	मैसर्स रुचिका एजेन्सीस, 51, बी, लक्ष्मी बाई मार्किट, नई दिल्ली–110023	लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर, किदवईनगर, आर के० पुरम, लोधी कालोनी नारौजी नगर।
11	मैसर्स युनाइटिड, एजेंसीस, 3579, नेता जी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, दिल्ली,—110002	दरिया, गंज अजमेरी गेट, चान्दनी चौक, सीताराम बाजार, जामा मस्जिद, लाल किला, नई सड़क, शाहदरा ।
12	मैसर्स खेड़ा गैस सर्विस, 11, रोशनारा रोड़, दिल्ली–110007	रोशनारा रोड़, सब्जी मन्डी, तीस हजारी, सराय रोहल्ला, शास्त्री नगर, दयाबस्ती मोतिया खान, अलीपुर रोड़, कश्मीरी गेट ।

अहमदाबाद नगर के निकट मालगाड़ी में विस्फोट

4006. श्री अनन्त दवे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद नगर के निकट नारयणपुर क्रासिंग से गुजरते समय मालगाड़ी में गंभीर विस्फोट हुआ था और उसके 19 डिब्बे पटरी से उत्तर गये थे ;

(ख) या इसके पीछे कोई चाल थी ;

(ग) इस दुर्घटना के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या इसमें कोई व्यक्ति घायल हुआ अथवा निजी सम्पत्ति की हानि हुई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) अहमदाबाद सिटी के निकट माल गाड़ी में कोई विस्फोट नहीं हुआ था। भावनगर मंडल के बोटाड साबरमती मीटर लाइन खंड पर गांधीग्राम और सबारमती रेलवे स्टेशनों के बीच 19-6-1977 को शंटिंग माल गाड़ी सं० 657 अप के 12 माल-डिब्बों के पटरी से उतरने का कारण विस्फोट नहीं था।

(ख) जी नहीं।

(ग) 19-6-1977 को पटरी से उतरने के कारण रेल सम्पत्ति को लगभग 65,000 रु० की क्षति पहुंची।

(घ) कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। माल को लगभग 5,000 रु० की क्षति पहुंची।

कच्छ क्षेत्र में तट दूर तेल की खोज

4007. **श्री अनन्त दवे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ में तट दूर एक अन्वेषी कुएं से तेल, की खोज का उत्साहवर्धक परिणाम निकला है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में अग्रेतर, खोज का निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी, नहीं। इस क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षणों और खोदे गये कुंऐ के परिणामों का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, जिस पर वहां तेल की आगे की खुदाई, का प्रश्न अधारित होगा।

Filling up of Posts in Stores Pepartment (North Eastern Railway)

†4008. **Shri Harikesh Bahadur:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the reasons for which various posts in various depots of the Stores Department of the North-Eastern Railway have not been filled so far; and

(b) when these posts are likely to be filled?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b). Action is being taken to fill two posts of Material Clerks and one post of Tinsmith by promo ion of eligible staff. In addition there are nine vacancies of Clerks in scale Rs. 260—400 which would be filled as soon as a panel is available from the Railway Service Commission.

Doctors Working at one Station for 10—15 years

4009. Shri Harikesh Bahadur: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in the Railway Medical Department, Gorakhpur, North Eastern Railway some of the doctors have been working at one place for the last 10 to 15 years whereas some doctors have been transferred thrice within three years;

(b) if so, the reasons threfor;

(c) whether option asked for their transfer by the Medical Department is not at all taken into account and the doctors are not entrusted with the work of their specialisation; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Yes, five doctors are working at the Railway Hospital, Gorakhpur for more than 10 years. No doctor has been transferred thrice within three years.

(b) No rigid period of stay of Railway doctors at one station has been fixed. Transfers are periodically made keeping in view administrative requirements.

(c) & (d). Requests of doctors are kept in view at the time of ordering transfers. Doctors are generally entrusted with work of their specialities, except in a few instances where circumstances call for a deviation.

Cups used by Railway Canteen for serving Tea

4010. Shri Harikesh Bahadur: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway Canteen has cups of two sizes, one with a capacity of two ounces and the other with a capacity of four ounces, in which tea is served at a rate of 15 paise and 30 paise per cup respectively, but the people who are unaware of this distinction are served two ounces cup and charged for four ounces cup; and

(b) if so, the facts thereof and the punishment railway administration proposes to award to those cheating the people like this?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) & (b). Tea is served at railway stations in cups of 150, 120, 100, 80 and 75 millilitres and charged, at the rate of 30, 25, 20, 17 and 15 paise respectively. The price has been fixd on the basis of the quantity of tea supplied. To ensure that correct price of tea is charged, tariffs indicating the rates are displayed at the stations, stalls etc. Stringent action is taken when any case of excess charging is detected.

तेल शोधन कारखानों का कार्य करना

4011. **श्री वयालार रवि :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधन कारखाने गत तीन वर्षों मे अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर रहे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके कार्यकरण को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). देशीय कच्चे तेल का शोधन करने वाली शोधनशालाएं (ए० ओ० सी०, गोहाटी, बरौनी और कोयाली शोधनशालाएं) अशोधित तेल की उपलब्धता के अनुसार, अपनी अधिकतम संभव क्षमता तक कार्य कर रही हैं। आयातित अशोधित तेल की प्रक्रिया करने वाली शोधनशालाएं, अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर रही है क्योंकि विभिन्न शोधनशालाओं को, उनकी क्षेत्रीय मांग की मितव्ययता और परिवहन लागत के आधार पर उन्हें तेल का आयात करने तथा उसका वितरण करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे जैसे उत्पाद की मांग बढ़ेगी समस्त शोधनशालाओं की उत्पादन क्षमता में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जायेगी।

महालक्ष्मी एक्सप्रैस को डीजल से चलाने की मांग

4012. **श्री अण्णासाहिब गौटखिडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर और बम्बई के बीच चलने वाली दक्षिण मध्य रेलवे की महालक्ष्मी एक्सप्रैस रेलगाड़ी को डीजल से चलाने की काफी समय से मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस गाड़ी को डीजल से किस तारीख से चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) महालक्ष्मी एक्सप्रैस का 15–7–77 से डीजलीकरण कर दिया गया है।

Conversion of Shahdara Saharanpur Line into Broad Gaue Line

†4013. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) The progress made so far in the work of converting Shahdara-Saharanpur narrow gauge line into a broad gauge line; and

(b) the time by which this work is likely to be completed?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) The overall progress achieved upto end of June, 1977 is 47 per cent,

(b) Construction of the first 32.6 Kms. length of the line upto Baghpat has been completed, the train services have been introduced on it with effect from 8.4.77. The enire line is expcted to be completed by 1980 with minimum essential facilities.

Conversion of Metre Gauge lines into Broad Gauge Lines during the current year

†4014. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether metre gauge lines are proposed to be converted into broad gauge lines this year also; and

(b) if so, the State-wise details thereof?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b): Gauge conversion of the following railway lines is included in the budget for 1977-78:

S. No.	*Name of Project*	*State*
1.	Delhi-Ahmedabad (new project)	Delhi|Haryana|Gujrat|Rajasthan
2.	Varanasi-Bhatni (new project	Uttar Pradesh
	Gauge conversion projects at present in hand	
1.	Barabanki-Samastipur	Uttar Pradesh/Bihar
2.	Guntakal-Bangalore	Andhra Pradesh/Karnataka
3.	Viramgam-Okha-Porbandar	Gujarat
4.	New Bongaigaon-Gauhati	Assam
5.	Suratgarh-Bhatinda	Haryana/Punjab/Rajasthan
6.	Moradabad-Ramnagar	Uttar Pradesh
7.	Kashipur-Lakuan-Haldwani	Uttar Pradesh
8.	Samastipur-Darbhanga	Bihar
9.	Guntur-Macherla	Andhra Pradesh
10.	Manmad-Purli-Baijnath	Maharashtra

इंडियन पैट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा में रोजगार के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाएं

4015. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा में कारपोरेशन में रोजगार के अवसरों के लिये स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की कोई योजनाएं विचाराधीन हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और रोजगार दिया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० ने गुजरात पैट्रो-रसायन समूह तथा टाऊन शिप में संयन्त्र लगाने के लिए भूतपूर्व भू-स्वामियों के आश्रितों को, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई थी, प्रशिक्षण देने के लिए मार्च 1973 में एक योजना तैयार की। यह प्रशिक्षण मैट्रिक पास व्यक्तियों के लिए थी और उन प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, फरवरी-मार्च 1976 में आपरेटरों/तकनीशियनों के रूप में खपा दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० की निम्नलिखित तीन प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाएं हैं :—

(1) **स्नातक इन्जीनियर्स प्रशिक्षण योजना :** यह प्रशिक्षण नये इन्जीनियरिंग स्नातकों को प्रदान किया जाता है और उनके सफलता पूर्वक समाप्त करने पर उन्हें इंजीनियरों के रूप में खपा दिया जाता है।

(2) **तकनीशियन आपरेटर प्रशिक्षण योजना** : यह प्रशिक्षण इन्जीनियरिंग की शाखाओं में डिप्लोमाधारियों अथवा विज्ञान में डिग्रीधारियों को दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् उन्हें तकनीशियन आपरेटर के रूप में खपा दिया जाता है।

(3) **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना** : यह प्रशिक्षण उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होने एस० एस० सी० अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण हुए हों। इस प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने पर और रिक्तियों के आधार पर उन्हें तकनीशियन/आपरेटर/लिपिकों के रूप में खपा दिया जाता है। स्नातक इन्जीनियर्स प्रशिक्षण योजना के प्रशिक्षण हेतु भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है, परन्तु अन्य योजनाओं के लिए सामान्य तौर पर भर्ती गुजरात राज्य में से ही स्थानीय उम्मीदवारों तक सीमिति होती है।

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत खपाये गये प्रशिक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित हैं:

प्रशिक्षण योजना	खपाये गये प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या
स्नातक इन्जीनियरिंग योजना	55
आपरेटर प्रशिक्षण	58
तकनीशियन प्रशिक्षण	47
प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (भूमि खोने वालों के आश्रितों के लिए विशेष योजनाऐं)	43

साबरमती एक्सप्रैस

4016. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "साबरमती एक्सप्रैस" गाड़ी कब से चलायी गई है और क्या यह हर रोज चलती है अथवा सप्ताह के किन्ही दिनों को ;

(ख) उक्त एक्सप्रैस गाड़ी की औसत गति क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस गाड़ी पर यात्रा करने वाले यात्री और दूरस्थ स्थानों पर पहुंचने वाले इसकी धीमी गति से और गाड़ी पर अथवा रास्ते के स्टेशनों पर जलपान आदि सुविधाओं के लगभग उपलब्ध न होने के कारण थक जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 165/166 साबरमती एक्सप्रैस गाड़ियां 26-1-1976 से चलायी गयी थीं। यह गाड़ियां अहमदाबाद और फैजाबाद के बीच सप्ताह में 5 बार तथा अहमदाबाद और वाराणसी के बीच सप्ताह में 2 बार चलती हैं।

(ख) अहमदाबाद और वाराणसी के बीच 165/166 साबरमती एक्सप्रैस गाड़ियों की औसत रफ्तार 32.4 और 31.0 कि० मी० प्रति घंटा है।

(ग) और (घ). सबारमती एक्सप्रैस गाड़ियां मार्गवर्ती विभिन्न खण्डों मर चल रही अनेक सवारी गाड़ियों को मिलाकर चलायी गयी हैं और यही कारण है कि ये बहुत से स्टेशनों पर रुकती हैं। इन गाड़ियों का चालन समय कम करने की दृष्टि से बिना अतिरिक्त गाड़ियां चलाये इनके ठहराव कम नहीं किये जा सकते और अतिरिक्त गाड़ियां चलाना परिचालिनिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। इन गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गवर्ती स्थैतिक खान पान यूनिटों से खान पान की पर्याप्त और संतोषजनक व्यवस्था की गयी है। यदि कोई विशिष्ट शिकायतें या सुझाव सरकार के नोटिस में लायी जाती हैं तो उनके संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच तेज रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्तवा

4017 **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच सुबह और शाम को कुछ तेज रेलगाड़ियां चलाने का है ताकि उस क्षेत्र के रोजाना आने जाने वाले लोग शीघ्रता से अपने पढ़ने के स्थान, व्यापार के स्थान तथा कार्यलय में पहुंच सकें तथा वहां से अपने घर शीघ्र वापस आ सकें ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) इस खण्ड पर दैनिक यात्रियों के लिए गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्तवा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Import of High Speed Diesel and Kerosene

4018. Shri Dharamsinhbhai Patel: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to statel

(a) the quantity of high-speed diesel and Kerosene proposed to be imported from the Middle East Countries in 1977-78 to meet the shortage thereof;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) the quantity of high-speed diesel and kerosene out of it, which has been imported so far and when the rest of the quantity would be imported?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) to (c). During the first quarter of the year 1977-78, total quantities of 61,557 metric tonnes of High Speed Diesel and 23,694 metric tonnes of Kerosene Oil were imported from the Middle East Countries. These imports were arranged to meet a critical product availability situation at that time.. No other imports of these products are planned at the moment from Middle East Countries during 1977-78. High Speed Diesel and Kerosene are being imported under the Trade Plan from Soviet Russia.

Shifting of Western Railway Headquarters from Bombay

†40v9. Shri Dharamsinbhai Patel: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the difficulties to Government in shifting the headquarters of Western Railway from Bombay to Ahmedabad or Gandhi Nagar; and

(b) the time by which the headquarters of Western Railway would be shifted from Bombay to Ahmedabad or Gandhi Nagar?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) In view of the heavy expenditure required as aslo dislocation to serving staff, there is no proposal to shift the Western Railway headquarters.

(b) Does not arise.

Permanent Status for Employees of Western Railway

4020. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of employees in Western Railway at present who have been working for a period of more than seven years; and

(b) the steps taken to make them permanent?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) The number yet to be confirmed are: Class III 705, Class IV 366.

(b) Constant efforts are being made to convert as many temporary posts into permanent ones as possible to facilitate confirmation of eligible staff. The pace of confirmation has recently increased.

Construction of a Plantform at Satna Station

4021. Shri Sukhendra Singh: Will the Minister of Railways be pleased to state

(a) whether there is a proposal to construct another platform at Satna Railway Station in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the time by which it will be implemented?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Construction of an additional passenger platform at SATNA Railway Station is not possible without making major alterations to Railway Station yard. Hence no such proposal is in hand at present.

(b) Does not arise.

भोजन यान पद्धति का लागू करना

4022. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी टी० और तमिलनाडु एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में पिक अप मील सर्विस की व्यवस्था है।

(ख) क्या इस पद्धति के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहले की तरह भोजन यान सेवा लागू करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, लेकिन भोजन की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं।

(ग) जी नहीं। "भोजन इकट्ठा कर" परोसने की प्रणाली के अंतर्गत महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थापित आधार रसोईघरों में भोजन तैयार किया जाता है। भोजन ऊष्मा रोधी ट्रालियों में इकट्ठा

किया जाता है और गाड़ियों के पैन्ट्री यानों को दिया जाता है जहां उसे गर्म बक्सों में रखा जाता है और गाड़ी में चलने वाले यात्रियों को परोसा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि बर्तनों आदि की धुलाई और सफाई पैन्ट्री यानों की बजाए आधार रसोईघरों में की जायेगी जहां यह काम अधिक स्वास्थ्यवर्धक स्थिति में किया जाता है। भोजनयान की तंग जगह में भोजन पकाने का काम बन्द कर दिया गया है और आधार रसोईघरों में बेहतर किस्म का भोजन पकाया जाता है। भोजन-यान-सेवा से यह प्रणाली उत्तम है और रेलवे की यह नीति है कि लम्बी दूरी की अन्य डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों में इस पद्धति का उत्तोतर विस्तरा किया जाए।

हिन्दी में कानून की सर्वोत्तम पुस्तकों के प्रकाशन के लिये पुरस्कार

4023. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दी में प्रकाशित कानून की सर्वोत्तम पुस्तकों पर पुरस्कार दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1976-77 में किन पुस्तकों पर पुरस्कार दिया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भषण) : (क) जी हां।

(ख) कलैंडर वर्ष 1976 के दौरान लिखित/प्रकाशित और पुरस्कार दिये जाने के लिए मंत्रालय में प्राप्त हिन्दी की विधि पुस्तकों का मूल्यांकन किया जा रहा है और इसका परिणाम यथाशीघ्र घोषित कर दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स में उत्पादन

4024. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड में कौन कौन सी चीजों का उत्पादन होता है ; और

(ख) क्या इस कम्पनी का विस्तार होने वाला है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादन निम्न प्रकार हैं :—

1 एसोटेनीलाइड
2 सलफ्युरिक एसिड 98 %
3 ओलियम 24 %
4 ओलियम 65 %
5 मैटा-एमीनों पोनोल
6 फर्मालडेहाइड
7 वेनजीन हक्साक्लोराइड
8 हाइड्रोजन
9 एनीलाईन
10 नाइट्रोवेंजीन
11 औनाइट्रोल पूइन
12 पो-नाइट्रोलयूइन

13 एम नाइट्रोटोलायूइन
14 डीनीट्रोबेंजीन
15 मोनोलोरोबेंजीन
16 ओ-डिकलोरोबेंजीन
17 पी-डिकलोरोबेंजीन
18 ओ—नाइट्रोकलोरीबेनीजीन
19 पी—नाइट्रोक्लोरोबेंजीन
20 डीनीट्रोकलोरोबेंजीन

(ख) जी हां, विस्तार कार्यक्रम में एनिलाइन, एसीटेलीलाइस डाइड्रोवन और निट्बेंजीन की क्षमता और कनसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के उत्पादन में वृद्धि शामिल होगी।

बर्मा शैल रिफाइनरीज को मुआवजे की अदायगी

4025. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बर्मा शैल रिफाइनरीज लिमिटेड को मुआवजा अदा कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना मुआवजा अदा किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) बर्माशैल आयल भंडारण तथा वितरण कंपनी इंडिया लि० की भारतीय परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण करने और बर्माशैल शोधनशाला लि० के शत प्रतिशत शेयरों को खरीदने के लिए अब तक निम्नलिखित भुगतान किये गये हैं :—

भुगतान के ब्यौरे	पौंड स्टर्लिंग में दी गई धनराशि	समतुल्य रुपये	भुगतान की तारीख
1 बर्माशैल शोधनशाला लि० के शत प्रतिशत शेयरों की खरीद के लिए मूल धनराशि	5,069,924	8,78,59,333.61	30—3—76
बर्माशैल शोधनशाला लि० की मूल धनराशि पर 1-1-1976 से 30—3—76 तक की अवधि के लिये ब्याज ।	99,736	15,23,268.42	30—3—77
3 बर्माशेल तेल भण्डारण तथा वितरण कंपनी इंडिया लि० की परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण करनेहेतु मूल धनराशि की पहली किस्त	3,802,443	5,80,74,730.81	30—3—77
4 उपरोक्त मद तीन पर 1—1—76 से 30—3—77 तक की अवधि के लिये मूल पर ब्याज ।	1,513,477	2,31,15,341.73	30—3—77
जोड़	10,485,580	17,05,72,694.57	

Rail link between Basukinath and Santhal Pargana

†4026. **Dr. Ramji Singh**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have received any suggestion to link by a railway line Basukinath with Santhal Pargana and Dev Ghar with Santhal Pargana *via*. Madhupur;

(b) if so, whether Government have taken any steps in this regard; and

(c) whether any information in respect of number of commuters and passengers to be benefited by this scheme has been collected?.

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) 393.

(b) and (c). Reconnaissance Engineering-cum-Traffic Surveys for new broad gauge lines from Mandar Hill to Dumka, Dumka to Sainthia, Dumka to Baidyanath Dham, Dumka to Madhupur and Dumka to Rampurhat have been carried out. The proposed lines will be about 237 Kms. long and are expected to cost about Rs. 35 crores at present day prices. A Preliminary Engineering-cum-Traffic survey for extension of the Bhagalpur-Mandarhill line upto Baidyanath Dham (Deogarh) has been included in this year's budget.

चुने हुए क्षेत्रों में तंग मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

4027. **श्री के० लकप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई लाइनों को तथा तंग मीटर गेज की रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य को प्राथमिकता देने का निर्णय किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में जिन क्षेत्रों में कार्य किया जाना है उनका सर्वेक्षण तथा चुनाव किया है ;

(ग) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं और किन राज्यों में हैं ; और

(घ) इन लाइनों पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेल लाइनों के निर्माण तथा मीटर आमान की लाइनों को बड़े आमान में बदलने की आवश्यकता के बारे में रेल मंत्रालय को जानकारी है और नयी परियोजनाओं के बारे में निर्णय करते समय इस बात का समुचित ध्यान रखा जाता है ।

(ख) कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है या नहीं इसका विनिश्चय करने में सम्बन्धित राज्य सरकार रेलों का मार्ग दर्शन करती है ।

(ग) जिन नयी लाइनों एवं आमान परिवर्तन परियोजनाओं का काम चल रहा है अथवा जिन्हें चालू वित्त वर्ष में आरम्भ किया जायेगा, उनकी सूची संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी०–751/77]

(घ) चालू वित्त वर्ष में नयी लाइनों पर कुल खर्च 23.58 करोड़ रुपये और आमान परिवर्तन पर लगभग 25.07 करोड़ रुपये होगा ।

संयुक्त अरब अमीरात के साथ कच्चे तेल के आयात के लिये समझौता

4028. **श्री के० लकप्पा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत को कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार और आबू धाबी नेशनल आयल कम्पनी के बीच हाल ही में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977 के दौरान एक मि०मी० टन कच्चा तेल सप्लाई, करने के लिए सितम्बर, 1976 में इंडियन आयाल कारपोरेशन और संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी नेशनल आयल कंपनी के बीच एक ठेके पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

'कुकिंग गैस' के व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली प्रतिभूति राशि

4029. **श्री के० मालन्ना :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरकमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कुकिंग गैस' के व्यापारी उपभोक्ताओं से गैस सिलेण्डर के लिये प्रतिभूति के रुप में कुछ राशि लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या व्यापारी प्रतिभूति की इस राशि को उपभोक्ताओं को कोई ब्याज दिये बिना अपने कारोबार में लगा लेते हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार व्यापारियों से नकद राशि के बजाय प्रतिभूति राशि को डाकघर में जमा करने तथा उपभोक्ताओं की पास बुक रखने के लिये कहने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(ख) भारत रिफाइनरी को छोड़कर जिसकी प्रतिभूति जमा धन राशि 250 रुपये हैं । प्रतिभूति जमा धन राशि प्रति सिलैण्डर, 175 रुपये और प्रति रेगुलेटर 20 रुपये हैं ।

(क) जी हां ।

(ग) प्रतिभूति जमा धन राशि जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, सिलैण्डर को स्वामित्व वाली विपणन कम्पनी को दे दी जाती है । किसी समय में एक उपभोक्ता को एक से अधिक सिलैण्डरों की रख-रखाव लाने लेजाने में लगे समय आदि के लिए आवश्यकता होती है । इसके अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती हैं । दूसरी ओर उपभोक्ता से सिलैण्डर पर किसी प्रकार का भाड़ा नहीं लिया जाता है। सिलैण्डर के वापिस करने पर प्रतिभूति धन राशि वापिस लौटा दी जाती है । यह एक व्यवसायिक प्रथा है । बाजार के आंशिक लाभ को तय करते समय तेल मूल्य समिति ने इस प्रथा पर विचार किया है।

(घ) जी, नहीं ।

बुर्शेन गैस की उप-ऐजेन्सियों को रद्द किये जाने के बारे में अभ्यावेदन

4030. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को अपनी बुर्शेन कुकिंग गैस उप-एजेन्सियों के रद्द किये जाने के बारे में कुछ भूतपूर्व सैनिकों से उन्हें, भूतपूर्व मंत्री महोदय और मंत्रालय के सचिव को कितने और किस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए ;

(ख) इनमें से कितने अभ्यावेदन की पावती स्वीकार की गई है ;

(ग) क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा पावती स्वीकार न करने के क्या मुख्य कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) मैसर्स एलाइड गैस सर्विसस ने मैसर्स सैंडर्गन एजेंसीस, खान मार्किट, नई दिल्ली द्वारा चलाई अपनी उप-एजेन्सी को सन्तोषजनक ढंग से न चलाने के कारण बन्द कर दी। इस प्रकार से इस एजेन्सी के बंद किये जाने के विरोध में मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह क्योंकि कम्पनी के वाणिज्य व्यवहार का मामला है, अतः अभ्यावेदन की प्रतियां भारत रिफाइनरीज के अध्यक्ष को उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई थीं। उक्त उप-एजेन्सी के प्रतिनिधि को सलाह दे दी गई थी कि मामले पर गौर किया जायेगा और उस कम्पनी द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा।

पश्चिम तटीय कोंकण रेलवे के निर्माण के लिए सहायता

4031. श्री जनार्दन पुजारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तटीय कोंकण रेलवे के निर्माण के लिए सरकार ने जनता से ऋण लेने के लिए अथवा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) पश्चिम तटीय कोंकण रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) जी नहीं।

(ख) लगभग 250 करोड़ रुपये।

माल/पार्सल चढ़ाने-उतारने के ठेके पोर्टर्स कोओपरेटिव लेबर कान्ट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड इलाहबाद को दिया जाना

4032. श्री बटेश्वर हेमरम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे के दिल्ली तथा मुरादाबाद डिवीजन में रेल स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड को माल, पार्सल चढ़ाने उतारने के लिए दिये गये ठेकों का ब्यौरा क्या है तथा अलग-अलग दिये गये ठेकों के मामले में कितना धन दिया गया तथा ठेका किस तारीख को दिया गया ;

(ख) क्या अन्य सहकारी समितियों ने भी उपरोक्त सोसायटी को दिये गये ठेकों का आवंटन उन्हें करने हेतु आवेदन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वास्तविक श्रमिकों की स्थानीय उचित तथा इच्छुक श्रमिक सहकारी समितियों को ठेके नहीं दिये गये और इलाहाबाद की एक बाहरी सोसायटी को प्राथमिकता दी गई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) जी हां।

(ग) ठेकों के आवंटन के लिए सभी समितियों के संबंध में विचार किया गया था और ठेके ऐसी समितियों को दिये गये जिन्हें सबसे उपयुक्त पाया गया।

विवरण

माल/पार्सलों की सम्हलाई के लिए रेलवे स्टेशन पोर्टर्स को आपरेटिव लेबर कान्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड इलाहाबाद को दिये गये ठेकों का ब्यौरा

मंडल	माल/पार्सल की समहलाई के लिए ठेकों का ब्यौरा	ठेके की अवधि	दी गयी रकम
1	2	3	4
			रु०
दिल्ली	(i) नयी दिल्ली माल गोदाम में माल की सम्हलाई।	1–2–77 से 31–1–79 तक	93812.00 (31–5–77 तक)
	(ii) जोन नं० 3 में माल की सम्हलाई (मोदी-नगर, मेरठ सिटी, मेरठ छावनी, दौराला, खतौली, मुजफ्फरनगर, देवबन्द, सहारनपुर, मंडी और खान आलमपुर)।	1–7–76 से 30–6–78 तक	1,27506.00) (31–5–77 तक)
मुरादाबाद	(i) जोन नं० 1 में पार्सलों की सम्हलाई, (हापुड़, गजरौला, पिलखुआ, अमरोहा, चन्दौसी, हरदोई, बालामऊ, रामपुर-सन्डीला और बुलन्दशहर)	1–7–73 से 31–7–76 तक और 8–6–77 से 7–6–79 तक	एक मुश्त 10,800.00 प्रतिमास। मासिक औसत 16,525.00
	(ii) जोन नं० 4 में पार्सलों की सम्हलाई का ठेका (देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश)	1–9–72 से 31–7–76 तक और 16–6–77 से 15–6–79 तक	एक मुश्त 3,400.00 प्रतिमास मासिक औसत 3,95,00.00

माल तथा पार्सल चढ़ाने-उतारने सम्बन्धी ठेकों से सम्बन्धित दावों की मध्यस्थता

4033. श्री बटेश्वर हेमरम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन श्रमिक सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने जनवरी, 1974 से मई, 1977 के दौरान उत्तर रेलवे में माल तथा पार्सल चढ़ाने-उतारने संबंधी ठेकों से सम्बन्धित अपने दावों के बारे में मध्यस्थता करने के लिए आवेदन किया था; और

(ख) समितियों द्वारा किए गए दावों का ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त अवधि के दौरान मध्यस्थों द्वारा अन्ततः कितनी राशि दिलवाई गई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

"विवरण"

लेबर कोआपरेटिव सोसाइटियों के माल और पार्सल सम्हलाई के ठेकों से संबंधित दावों को पंच निर्णय के लिए सौंपे जाने का विवरण

क्रम सं०	कोआपरेटिव सोसाइटी का नाम	ठेके का विवरण और अवधि	दावे की रकम	अन्तिम रूप से निर्णीत रकम
			रु०	
1.	मैसर्स जनता लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कानपुर	1–8–72 से 30–4–1974 तक कानपुर में माल सम्हलाई का ठेका	10,455.05	अभी मध्यस्थ के विचाराधीन है ।
2.	मैसर्स जनता लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कानपुर	1–9–1972 से 31–5–74 तक जुही माल सम्हलाई का ठेका	20,114.51	मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध विचाराधीन है ।
3.	मैसर्स जनता लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कानपुर	1–6–1974 से 31–5–76 तक जुही टी पी टी में माल सम्हलाई का ठेका	24,785.00	मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध विचारधीन है ।

क्रम सं०	कोआपरेटिव सोसाइटी का नाम	ठेके का विवरण और अवधि	दावे की रकम	अन्तिम रूप से निर्णीत रकम
			रु०	रु०
4.	मैसर्स कश्मीरी लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, नयी दिल्ली।	1-7-72 से 10-2-75 तक कालका-शिमला खंड पर माल सम्हलाई का ठेका।	30,276.03	20,855.00
5.	मैसर्स उत्तरीय रेलवे पार्सल सहकारी लेबर कन्ट्रेक्ट समिति वाराणसी कैन्ट	21-3-71 से 31-8-72 तक वाराणसी में माल सम्हलाई का ठेका।	44,247.50	अभी मध्यस्थ के विचाराधीन है।
6.	मेसर्स रेलवे स्टेशन पोर्टस लबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०, इलाहाबाद।	15-6-71 से 30-4-73 तक इलाहाबाद में माल सम्हलाई का ठेका।	65,489.11	35,000.00

Consumer Co-operative Societies in Railways

†4034. **Shri Ishwar Choudhary**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of consumer co-operative societies in the Railways at present;

(b) the number of fair price shops, out of them, run by Railway employees and whether these employees are suffering loss in these shops; and

(c) whether Government propose to open some more fair price shops with a view to provide facilities to railway employees?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) 393.

(b) Out of a total of 1280 fair price shops on the Railways 178 fair price shops are run by Railwaymen's Consumer Co-operative Societies. Only a few are incurring loss.

(c) Existing facilities are considered adequate.

दिल्ली में बुरसेन कुकिंग गैस का वितरण

4035. **श्री निहार लास्कर :**

श्री शिव सम्पत्ति राम :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बुरसेन कुकिंग गैस का वितरण कार्य करने वाली फर्मों की संख्या

तथा नाम क्या हैं;

(ख) क्या मैसर्स एलाइड गैस सर्विस, सिन्धिया हाउस, नई दिल्ली ने जो बुरसेन कुकिंग गैस के एकमात्र वितरक हैं, उप-भोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उप-ऐजेंट नियुक्त किए थे;

(ग) ये उप-एजेंट कब से कार्य कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इन उप-एजेंसियों को पूर्ण एजेंसियों का दर्जा देने के बारे में निर्णय लेने के बाद एलाइड गैस सर्विस ने अवैध तथा मनमाने तरीके से कुछ उप-एजेंसियों को रद्द कर दिया और इस प्रकार उनका दर्जा बढ़ाये जाने से उन्हें वंचित कर दिया तथा उनके स्थान पर उन्होंने अपने निकट सम्बन्धियों को एजेंसियां दी;

(ङ) क्या कुछ उप-एजेंसियों ने, जिन्हें रद्द कर दिया गया था एजेंसी पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें तथा उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया था; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा क्या इन उप-एजेंसियों को उनकी एजेंसी वापस दिलाने के लिए इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय भारत रिफाईनरीज लि० के जो बुरसेन कुकिंग गैस का विपणन करती है दिल्ली में 12 घरेलू कुकिंग गैस वितरक है । इन फर्मों के नाम अनुबंध में दर्शाये गए हैं ।

(ख) मैसर्स एलाइड गैस सर्विस के दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 14 उप-एजेंट्स कार्य कर रहे थे । दिसम्बर, 1976 तथा अप्रैल 1977 की अवधि के बीच, भारत रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा 11 ऐसे उप-एजेंटों को पूर्णरूप के वितरक बना दिया गया था ।

(ग) इनमें से एक इजेंसी को छोड़कर जिसे मई 1975 में खोला गया था, अधिकांश पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहो हैं ।

(घ) मैसर्स एलाईड गैस सर्विस ने कुछ उप-एजेंसियों को, उप-एजेंटों के पूर्ण रूप से वितरक बनने से पूर्व समाप्त कर दिया था । इस प्रकार से बंद की गयी सिर्फ एक उप-एजेंसी के विरुद्ध इस मंत्रालय को शिकायत मिली थी । मैसर्स भारत रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा जांच-पड़ताल करने पर पता चला था कि उक्त उप-एजेंट के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण उसको बंद किया गया था ।

(ङ) जी, हां । खान मार्किट स्थित एक उप-एजेंसी ने, जिसे असंतोषजनक कार्य करने के परिणामस्वरूप बन्द किया गया था, अभ्यावेदन दिया था ।

(च) इस मामले की जांच की गयी थी और यह मालूम हुआ कि इस उप-एजेंसी को बंद करना उचित था । अत : उस उप-एजेंसी को पुन : चालू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

,,विवरण''

एल० पी० जी० के ऐजेन्टों की सूची

क्रमांक	एजेंट का नाम तथा पता
1.	मैसर्स एलाइड गैस सर्विसेज, 60, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110015
2.	मैसर्स दीपक गैस सर्विस, 18/32, पश्चिमी पटेल नगर मार्किट, नई दिल्ली–110008
3.	मैसर्स अशोक स्टोर्स, एम–10 ग्रेटर कैलास मार्किट नं० 1, नई दिल्ली–110048
4.	मैसर्स राहुल एजेंसीज, 31/5, जंगपुरा मार्किट, नई दिल्ली–110024
5.	मैसर्स ज्वाला एजेंसीज, 26, डिफेंस कालोनी मार्किट, नई दिल्ली–110024
6.	मैसर्स उमीका एजेंसीज, ए/13–ए, रिंग रोड, राजौरी गार्डन मार्किट, नई दिल्ली,–110027
7.	मैसर्स मार्डन कुकरीज, 34/ई, कमला नगर मार्किट, नई दिल्ली–110007
8.	मैसर्स सतीश एण्ड कम्पनी, जी–2, हौज खास, नई दिल्ली–110016
9.	मैसर्स रमण गैस सर्विस, 7-- बसुरकर मार्किट, मोती बाग–1, नई दिल्ली–110021
10.	मैसर्स रुचिका एजेंसीज, 51 बी लक्ष्मी नगर मार्किट, नई दिल्ली–110023
11.	मैसर्स यूनाइटिड एजेंसीज, 3579 नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली–110002
12.	मैसर्स खैड़ा गैस सर्विस, 11, रोशनारा रोड़, दिल्ली–110007

रेलवे भोजन यानों द्वारा दिये जाने वाले भोजन का मूल्य

4036. श्री सुखदेव **प्रसाद वर्मा** : **क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भोजन यानों द्वारा दिए जाने वाले भोजन का मूल्य उसके बाजार मूल्य से बहुत अधिक है तथा उसका स्तर भी घटिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का भोजन के स्तर को सुधारने और उसके मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सभा के सदस्यों के विरुद्ध निर्वाचन अर्जियां

4037. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 में लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध प्रत्येक राज्य में कुल कितनी अर्जियां दायर की गई; और

(ख) इन अर्जियों के अधिक से अधिक कितने समय में निपटा दिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में दायर की गई निर्वाचन अर्जियों की कुल संख्या 36 ह । राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) निर्वाचन अर्जियों के निपटारे के लिए निर्वाचन विधि के अधीन कोई कानूनी समय-सीमा नियत नहीं है । किन्तु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) में यह उपबंध है कि हर निर्वाचन अर्जी यथासंभव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

विवरण

मार्च, 1177 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के संबंध में विनिम्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई निर्वाचन अर्जियों की संख्या दर्शान वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उच्च न्यायालय में दायर की गई निर्वाचन अर्जियां
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश . .	3
2	आसाम . .	3
3	बिहार . . .	3
4	गुजरात	2†

†एक निर्वाचन अर्जी प्रधान मंत्री से संबंधित है, जो विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधान मंत्री और अध्यक्ष) अधिनियम, 1977 के अधीन निर्वाचन आयोग के समक्ष दायर की गई है।

1	2	3
5	हरियाणा	..
6	हिमाचल प्रदेश	..
7	जम्मू-कश्मीर	1
8	केरल	5
9	मध्य प्रदेश	2
10	महाराष्ट्र . .	2
11	मणिपुर . . .	..
12	मेघालय . .	..
13	कर्नाटक	1
14	नागालैंड . .	
15	उड़ीसा .	..
16	पंजाब . .	1
17	राजस्थान	1
18	तमिलनाडु	4
19	त्रिपुरा . .	
20	उत्तर प्रदेश . . .	2
21	पश्चिमी बंगाल	3
22	सिक्किम .	1
	संघ राज्य क्षेत्र	
23	अण्डमान और निकोबार द्वीप	1
24	अरुणाचल प्रदेश . .	
25	चण्डीगढ़ . . .	
26	दादरा और नगर हवेली .	
27	दिल्ली	
28	गोवा, दमण और दीव . . .	
29	लक्ष्य द्वीप	1
30	मिजोरम	..
31	पांडिचेरी	..
	कुल .	36

सरकारी कर्मचारियों की उच्च न्यायालयों में लम्बित रिट याचिकाएं

4039. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी कर्मचारियों की, उनके सेवा सम्बन्धी विषयों के बारे में, हजारों रिट याचिकाएं तथा वाद विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित है ;

(ख) क्या ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सेवा अधिकरण स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांन्ति भूषण) : (क) जो जानकारी (मुम्बई और गुजरात के उच्च न्यायालयों को छोडकर) उच्च न्यायालयों ने दी है उसके अनुसार 31-12-1976 को सेवा सम्बन्धी विषयों के बारे में 17,618 मामले लम्बित थे।

(ख) राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया था कि वर्ष के दौरान संविधान का संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक संसद के समक्ष लाया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक तैयार करते समय संविधान के 42वें संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा। इस बीच, प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने के सम्बन्ध में, संविधान (42वें संशोधन) अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए है।

(ग) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कार्यवाही करने का काम मुख्य रूप से संबन्धित उच्च न्यायालयों का है। किन्तु कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए, उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने का प्रस्ताव है।

मेट्रोपालिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे), कलकत्ता में हुई प्रगति

4040. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैट्रोपालिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) ; कलकत्ता के विभिन्न सेक्शनों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सेक्शनवार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और समुची परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या पग उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख). महानगर परिवहन परियोजना कलकत्ता के निर्माण-कार्य की योजना महानगर रेल परिवहन परियोजनाओं के लिए निर्धारित धन-राशि में से योजना आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सीमित धन-राशि के अनुसार

बनायी जा रही है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के अलावा, इस निर्माण-कार्य की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार अन्य कारण हैं। यातायात का दिक्परिवर्तन, जमीन/सम्पत्ति के अधिग्रहण करने और उसका कब्जा मिलने में विलम्ब, आदि। इन सभी कारणों से परियोजना का निर्माण-कार्य पेचीदा और समय-साध्य होता जा रहा है।

(ग) निर्माण-कार्य की खण्ड-वार प्रगति इस प्रकार है :—

(I) **खण्ड 1** (दम दम की ओर)—87 लाख रुपये की लागत पर 930 मीटर लम्बा उत्थित खण्ड 1 इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(II) **खण्ड 2** (दम दम से बेलगधिया)—260 लाख रुपये की लागत पर 902 मीटर लम्बा बाक्स तथा विस्तार-पुंज। 485 मीटर लम्बा बाक्स बन चुका है।

(III) **खण्ड 3–ए–** (बेलगाछिया स्टेशन) —360 मीटर लम्बा बाक्स जिसमें मध्यपट दीवार होगी। 50 प्रतिशत से भी अधिक लम्बी मध्यपट दीवार बन चुकी है।

(IV) **खण्ड –4ए** चितपुर यार्ड के नीचे 200 मीटर लम्बा सुरंग मार्ग बनाने का निर्णय किया गया है। इस काम को शुरु करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है।

(V) **खण्ड 10** (पार्क स्ट्रीट और एस्प्लेनेड स्टेशन) —मध्यपट दीवार वाला 737 मीटर लम्बा बाक्स। 163 मीटर लम्बी मध्यपट दीवार बन चुकी है।

(VI) **खण्ड 11** (मैदान)—344 लाख रुपये की लागत पर 830 मीटर लम्बा सुरंग मार्ग। 150 मीटर लम्बा बाक्स बन चुका है। लगभग 400 मीटर लम्बी मध्यपट दीवार बन चुकी है।

(VII) **खण्ड 12** (मैदान)—630 लाख रुपये की लागत पर 890 मीटर लम्बा सुरंग मार्ग। प्रथम चरण में पूरी की पूरी 545 मीटर लम्बी मध्यपट दीवार बन चुकी है।

(VIII) **खण्ड 17–बी** (टालीगंज के समीप)—टालीगंज क्षेत्र में 425 मीटर लम्बा। लगभग 30 मीटर लम्बा बाक्स डाल दिया गया है।

(IX) अन्य खण्डों, अर्थात् 15–बी, 16-ए और 16-बी में निर्माण-कार्य का ठेका हाल ही में दिया गया है।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए, यथा-उपलब्ध धनराशि प्राप्त करने के लिए योजना आयोग के साथ निरन्तर सम्पर्क रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के पदाधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है।

Railway goods stolen in Delhi, Kalyan and New Jalpaigudi

4041. Shri Kanwar Lal Gupta: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the value of railway goods stolen in Delhi, Kalyan and new Jalpaigudi during the last three years;

(b) the number of persons arrested in this connection and the value of goods recovered from them; and

(c) the names of the Railway Officers or Railway Police Officers against whom action has been taken?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Railway goods worth Rs. 70,126/-, Rs. 68,029|- and Rs. 10,70,313|- were stolen in Delhi, Kalyan and New Jalpaigudi respectively, during the last three years.

(b) 561 persons were arrested and goods worth Rs. 6,03,837/- was recovered from them during that period.

(c) Action against Shri L. K. Dive and R. A. Deone, Assistant Sub-Inspectors, Railway Protection Force, Central Railway has been taken.

मैंट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्राजेक्ट (रेलवे), कलकत्ता के विरुद्ध ठेकेदारों की शिकायतें

4042. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपयुक्त परियोजना के सेक्शन "11 और 12" के ठेकेदारों में मैंट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे), कलकत्ता के प्रशासन के विरुद्ध अनेक शिकायतें की है ?

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) कठिनाइयों को दूर करने और ठेकेदारों को मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) कलकत्ता को शीघ्र क्रियान्विति के लिये सहायता देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख). ठेका खण्ड 11 : कलकत्ता द्रुत परिवहन प्रणाली के सुरंग मार्ग की संरचना के लिए खण्ड 11, जिसमें मैदान क्षेत्र के कुछ भाग में भूगत रेलवे के लिए प्रबवित सीमेंट कंक्रीट के जुड़वां बाक्स बनाने के काम भी शामिल है, का ठेका मेसर्स चटर्जी पोक (प्रा०) लि० को दिया गया था। इस खण्ड के अधिकांश भाग में खुदाई वाले हिस्से में सहारा देने के लिए मध्यपट दीवारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेके की दरों में वृद्धि करने के लिए खण्ड 11 के ठेकेदार बार-बार अभ्यावेदन दे रहे हैं। फर्म के साथ किये गये करार के अनुसार यह ठेका निश्चित मूल्य का है और ऐसे मामलों में दरों में वृद्धि करने की प्रणाली आम तौर पर रेलों में नहीं अपनायी जाती तदनुसार फर्म को उत्तर दे दिया गया है।

ठेका खण्ड 12 — इस ठेका खण्ड के सम्बन्ध में महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) प्रशासन के विरुद्ध सम्बन्धित ठेकेदार, मैसर्स नेशनल प्राजक्टस कंस्ट्रक्शन कं० लि०, की ओर से शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ठेके की शर्तों के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर, ठेकेदारों के साथ पैदा होने वाले झगड़ों को सुलझाने के लिए एक निश्चित तन्त्र विद्यमान है।

दिल्ली न्यायिक सेवा

4043. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के होते हुए भी कि दिल्ली एक महानगर है और यहां मुकदमें अपेक्षाकृत अधिक पेचीदा होते है, दिल्ली न्यायिक सेवा, द्वितीय वर्ग की सेवा है जब कि पंजाब और हरियाणा में यह प्रथम वर्ग की सेवा है :

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा तथा मुम्बई न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों से अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) दिल्ली न्यायिक सेवा में दो ग्रेड है; अर्थात :—

(i) ग्रेड 1 (प्रवरण ग्रेड) ; और

(ii) ग्रेड 2

ग्रेड 1 के पद सिविल पद वर्ग 1 और ग्रेड 2 के पद सिविल पद वर्ग 2 में है।

पंजाब में पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के अधीन सभी पद वर्ग 1 में ही है।

हरियाणा में, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सभी सदस्य उस सेवा में अपनी प्रविष्टि के दो साल बाद वर्ग 1 में हो जाते है।

(ख) पंजाब, हरियाणा, मुम्बई और दिल्ली में न्यायिक सेवा से सम्बद्ध काल वेतन मान और प्रवरण ग्रेड के वेतन क्रमशः निम्नलिखित है :—

	प्रवरण ग्रेड	काल वेतनमान
(i) पंजाब	1300—50—1500	400—30—550—40—590—750—50—1000—1250
(i) हरियाणा	1300—50—1500	400—30—580—720—40—800—50—1000—50—1250
(iii) दिल्ली	1200—50—1600	650—30—740—35—810—द० रो०—880—40—1000—द० रो०—40—1200

(iv) महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की न्यायिक सेवा में विभिन्न पदों से सम्बद्ध वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

पद का नाम	वेतनमान
1. लघुवाद न्यायालय, न्यायाधीश पुणे और नागपुर .	1100—50—1300—60—1600
2. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।	1000—50—1500
3. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग	650—45—1010—द० रो०—45—1100—50—1200 (परिवीक्षा के दौरान 650 रु० का नियत वेतन)
4. महानगर मजिस्ट्रेट . .	1100—50—1300—60—1600
5. महानगर मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय .	500—25—650—30—830
6. लघुवाद न्यायालय न्यायाधीश, मुम्बई .	1100—50—1300—60—1600

(ग) विभिन्न राज्यों में न्यायिक सेवाओं का वेतनमान सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में वेतन संरचना को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गये हैं। दिल्ली न्यायिक सेवा के वेतनमान केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर पुनरीक्षित किये गये थे।

वी० के० लाइन (कटवा-बर्दवान) पर गाड़ियों का रद्द किया जाना

4044. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वी० के० लाइन (एन० जी०) (कटवा-बर्दवान) पर चल रहीं कुछ रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं अथवा बन्द कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन गाड़ियों को फिर चलाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) : बर्दमान—कटवा छोटी लाइन खंड पर कोई भी अनुसूचित सवारी गाड़ी रद्द अथवा बन्द नहीं की गयी है। किन्तु एक जोड़ी डीजल रेल कार को जिन्हें समय सारणी में विज्ञापित नहीं किया गया था बर्दवान—कटवा छोटी लाइन खंड पर चलाया गया था। यह डीजल कार सामान्य रूप से केवल शनिवार को छोड़कर रोजाना चलती है। किन्तु यह सेवा पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं रहती क्योंकि एक ही रेलकार होने के कारण इसे आवधिक ओवरहालिंग और अनुरक्षण के लिए बन्द करना पड़ता है। वर्तमान समय में यह डीजल कार इंजन ब्लाक टूट जाने के कारण बन्द पड़ा है। नए इंजन ब्लाक खरीदने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

रेलवे वर्कशाप को वट्टथानी (केरल) से अन्तरित करना

4045. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित रेलवे वर्कशाप को वट्टथानी (टोनूर, जिला मल्लपुरम, केरल) से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तरण संबंधी ऐसे किसी प्रस्ताव के विरुद्ध बढ़ते हुए असन्तोष को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार उस प्रस्ताव पर पुर्नविचार करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) वट्टथानी में रेलवे कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए किसी अन्य स्थान पर उसे ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास-मंगलौर डाकगाड़ी तथा त्रिवेन्द्रम-कन्नानौर एक्सप्रेस गाड़ी के टेनूर में हाल्ट की व्यवस्था

4046. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए तथा बड़ी संख्या में रेल यात्रियों की असुविधाओं को दूर करने के लिए मद्रास–मंगलौर डाकगाड़ी तथा त्रिवेन्द्रम कन्नोर एक्सप्रेस गाड़ी के लिए टेनूर (केरल) में हाल्ट की व्यवस्था करने का विचार है क्योंकि यह स्थान मछली व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र है ?

रेल मंत्री (प्राफेसर मधु दंडवते) : शेरूवण्णूर–कालिकट खंड पर तानूर एक मार्गवर्ती स्टेशन है, जहां से इस समय 3 जोड़ी यात्री गाड़ियां गुजरती हैं जो प्राय: यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं । मद्रास–मंगलौर मेल और तिरुवनन्तपुरम–कन्नानौर एक्सप्रेस को तानूर में ठहराने का औचित्य नहीं है ।

Decrease in production of Lubricating Oils by I.O.C.

4047. Shri Shiv Narain Sarsonia: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether the production of lubricating oil by Indian Oil Corporation has decreased?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): It is only the Barauni and Haldia Refineries of Indian Oil Corporation Limited, which have facilities for the production of Lube Base Oils. Barauni Refinery has been producing a low viscosity index lubricating oil *i.e.* Pale 800 Its prtduction has substantially gone down due to decline in the demand for pale oils in the country. The lube oil unit of the Haldia refinery has been designed to produce the bright stock (a premium quality of lube base stock) which was hitherto imported. The lube sector has recently been completed and is under commissioning and test runs. The despatches of finished lube base stock have, however, started from March, 1977.

Increase in Profits of I.O.C.

4048. Shri Shiv Narain Sarsonia: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether profits of Indian Oil Corporation has gone up from 70 per cent. to hundred per cent. during the period from 1970-71 to 1975-76 and whether pay and other allowances of its employees have also been increased;

(b) whether the profits have been earned consumers' cost or as a result of the economy effected in expenditure of the Corporation or by introducing scientific methods; and

(c) the steps being taken by Government to bring down the prices of petroleum based products?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) IOC's profits after taxes for the year 1970-71 was Rs. 20.32 crores and that for the year 1975-76 was Rs. 28.67 crores representing an increase of 41 per cent (approximately). During this period pay and allowance of the employees have been increased.

(b) The profits were not earned at consumers' costs as the price of most of the petroleum products is entirely regulated by Government. The increase in profits was earned through increases in throughout and sales volume as well as economies achieved through scientific management.

(c) There is at present no proposal to reduce the price of petroleum products.

Salaries of Directors of Indian Oil Corporation

4049. Shri Shiv Narain Sarsonia: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether salaries of full time Directors of Indian Oil Corporation amounted to Rs. 1,99,890 in 1975;

(b) whether this amount went up to Rs. 2,37,741 in 1976 and besides, these Directors are entitled to the facility of cars for private use upto a distance of 500 kilometres per month on payment @20 paise per kilometre;

(c) whether they are also paid a sum of Rs. 570 by the Commission for the membership of any club; and

(d) if so, the salaries and amenities provided to lower level staff?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Total remuneration (inclusive of salary and monetary value of perquisites & retirement benefits) of the full-time Directors of IOC in 1974-75 amounted to Rs. 1,99,390|- (and not Rs. 1,99,890|-).

(b) The amount of remuneration to full-time Directors in 1975-76 increased to Rs. 2,37,741|-. The full-time Directors are also entitled to the facility of cars for private purposes upto 500 KM per month on a payment of Rs. 100/- P.M.

(c) An amount of Rs. 1018|- has been paid to two out of four full-time Directors in 1975-76 as against Rs. 780|- in 1974-75 as club fees.

(d) Salaries and amenities to lower level staff in the Corporation depend upon the job, place of posting and duty and the stage reached in the salary grade. The same compare favourably with employees of similar status in other Public Sector Enterprises/Government.

परिवहन अर्थ शास्त्री रेलवे बोर्ड का सदस्य

4050. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो परिवहन अर्थशास्त्री की योग्यता प्राप्त हो ; और

(ख) क्या रेल परिवहन के लिए 'टेयर पे लोड' अनुपात जब तक इसे उपयुक्त रूप से सुलझाया न जाए बहुत अलाभप्रद है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) जी नहीं । रेलवे बोर्ड के मौजूदा गठन के अनुसार, वित्त आयुक्त (रेलवे) के अलावा बोर्ड के चार अन्य सदस्य हैं जो अलग-अलग कार्मिक, सिविल इंजीनियरी, परिवहन और यांत्रिक इंजीनियरी संबंधी मामलों के इंचार्ज हैं । 'यातायात सदस्य रेलवे बोर्ड

में कार्यात्मक सदस्य हैं जो परिवहन और वाणिज्यिक मामलों से संबंधित सभी समस्याओं को निपटाते हैं। परिवहन अर्थशास्त्र के मामले में रेलवे बोर्ड की सहायता के लिए एक आर्थिक कक्ष है जिसके प्रमुख भारतीय अर्थ सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और जो इस काम के लिए यथोचित शिक्षा प्राप्त होते हैं।

(ख) नयी किस्म के जो माल डिब्बे चलाये गये हैं, उनमें आय-भार अनुपात के धड़े में सुधार किया गया है और अनुसंधान, अधिकल्प एवं मानक संगठन इस पर निरन्तर नजर रखे हुए है।

कम वजन के अल्मूमिनियम कोचों का उत्पादन

4051. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चलती गाड़ी में उपलब्ध "एयर पावर" को काम में लाने और ऊर्जा की कम खपत के लिए और अधिक भार खींचने के लिए एल्यूमिनियम के बहुत हल्के कोचों के उत्पादन की कोई योजना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : चलती गाड़ी में वायु शक्ति को उपयोग में लाये जाने की कोई योजना नहीं है। ऊर्जा की कम खपत के लिए हल्के वजन वाले एल्यूमिनियम के सवारी डिब्बों का विकास रेलों की समवेत योजना में सम्मिलित किया गया है और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

भारत रिफाइनरीज का ट्रेड मार्क

4052. **श्री आर० के० महालगी:** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अप्रैल, 1977 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि भारत रिफाइनरीज का ट्रेड मार्क अंग्रेजी में न होकर देवनागरी लिपि में होना चाहिए ;

(ख) इस अनुरोध पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही कब की जाएगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। मैसर्स भारत शोधनशाला लि० द्वारा भी प्रत्यावेदन की एक प्रति प्राप्त हो चुकी है।

(ख) और (ग) भारत शोधनशाला लि० ने व्यवसायिक विज्ञापन एजेंसियों से दोनों रोमन तथा देवनागरी—लिपियों में ट्रेड मार्क (व्यवसायिक चिन्ह) के डिजाइन मंगाये हैं। इन डिजाइनों के प्राप्त होने के पश्चात् ही कोई अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

"Construction of Platform in Bombay High"

4053. **Shri Mani Ram Bagri:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Oil and Natural Gas Commission propose to place an order for the construction of 'Up' platform, costing rupees 13 crores, in Bombay High with a Japanese Steel Manufacturing, Company;

(b) whether this Company is quite new in littoral construction work and is experiencing difficulties in completing even one order which that Company received from another Company;

(c) whether some officers of Oil and Natural Gas Commission have neglected the advice of experts in placing this order with the Japanese Company; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) ONGC sent a proposal for placing an order on Nippon Steel Corporation for the fabrication, installation and commissioning of a pumping platform designated as 'F' platform at an estimated cost of $13.7 million equivalent to Rs. 12.25 crores. The proposal has been approved by the Government.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) पाइराइट्स फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डेरी-ऑन-सोन (बिहार) के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) पाइराइट्स फोसफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डेरी-ऑन-सोन (बिहार) का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखा गया**। देखिए संख्या एल० टी०--732/77]

(दो) (क) नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखा गया**। देखिए संख्या एल० टी०-733/77

(2) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1975-76 तथा उसकी सहायक कम्पनी हाइड्रो-कार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 734/77]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) लागत लेखा अभिलेख (सीमेंट) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 772 में प्रकाशित हुए थे।

(2) लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 773 में प्रकाशित हुए थे।

(3) लागत लेखा अभिलेख (साइकिल) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 774 में प्रकाशित हुए थे।

(4) लागत लेखा अभिलेख (रबड़ के टायर और ट्यूब) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 775 में प्रकाशित हुए थे।

(5) लागत लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 776 में प्रकाशित हुए थे।

(6) लागत लेखा अभिलेख (एल्यूमिनियम) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 777 में प्रकाशित हुए थे।

(7) लागत लेखा अभिलेख (आटोमोबायल बैटरियां) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 778 में प्रकाशित हुए थे।

(8) लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् लैम्प) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 779 में प्रकाशित हुए थे।

(9) लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 780 में प्रकाशित हुए थे।

(10) लागत लेखा अभिलेख (रेफ्रिजिरेटर) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25

जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 781 में प्रकाशित हुए थे।

(11) लागत लेखा अभिलेख (मोटरयान) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 782 में प्रकाशित हुए थे।

(12) लागत लेखा अभिलेख (चीनी) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 783 में प्रकाशित हुए थे।

(13) लागत लेखा अभिलेख (कमरा वातानुकूलन यंत्र) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 784 में प्रकाशित हुए थे।

(14) लागत लेखा अभिलेख (बिजली के पंखे) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून 1977 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 785 में प्रकाशित हुए थे।

(15) लागत लेखा अभिलेख (विद्युत् मोटर) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 786 में प्रकाशित हुए थे।

(16) लागत लेखा अभिलेख (कागज) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 787 में प्रकाशित हुए थे।

(17) लागत लेखा अभिलेख (रेयन) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 788 में प्रकाशित हुए थे।

(18) लागत लेखा अभिलेख (पुंज औषध) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 789 में प्रकाशित हुए थे।

(19) लागत लेखा अभिलेख (सोडा-ऐश) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 790 में प्रकाशित हुए थे।

(20) लागत लेखा अभिलेख (रंजक) संशोधन नियम, 1977, जो दिमांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 791 में प्रकाशित हुए थे।

(21) लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक अल्कोहल) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 792 में प्रकाशित हुए थे ।

(22) लागत लेखा अभिलेख (पटसन का माल) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 793 में प्रकाशित हुए थे ।

(23) लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 794 में प्रकाशित हुए थे ।

(24) लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़ा) नियम, 1977, जो दिनांक 28 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 417(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(25) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 30 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 424(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 735/77]

जर्मनी के डेमाग नामक फर्म से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्रेनों की खरीद के बारे में अप्रैल, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में शुद्ध करने वाला वक्तव्य

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 2 DATED 5-4-77 RE. PURCHASE OF CRANES BY OIL AND NATURAL GAS COMMISSION FROM DEMAG OF GERMANY.

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जर्मनी की डेमाग से क्रेनों की खरीद के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न सं० 2 के उत्तर में दिनांक 5–4–1977 को सभा पटल पर रखे गये पहले विवरण के संदर्भ में मैं यह वक्तव्य देना चाहता हूं उक्त विवरण के पैरा (4) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि "उपरोक्त डेमाग क्रेनों के लिए मारुति हैवी व्हीकल्स (प्राई०) लिमि० के माध्यम से मार्च, 1977 में 29.27 लाख रुपये के फालतू पुर्जों के लिए आर्डर दिये गये थे"। अब यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि यद्यपि इसके लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की अदायगी कर दी गयी थी और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को फालतू पूर्जों की खरीद के लिए प्राधिकृत भी कर दिया गया था, परन्तु वास्तव में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने फालतू पुर्जों के लिए न तो कोई आर्डर दिया था और न ही अभी तक कोई आर्डर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर): मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह गलत उत्तर उनके मंत्रालय में किसी हेरा फेरी के कारण दिया गया था यह एक भूल थी । मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि एक ओर तो मारुति हैवी व्हीकल्स लि० ने कमीशन न लेने की बात कही है और दूसरी ओर 14 लाख रुपये आ रहे हैं, यह सब क्या है ? मैं समझता हूं कि यह कमीशन की राशि है जो उन्हे जर्मनी की डेमाग फर्म से मिला है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : खेद है कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि गुप्त रूप से क्या चलता रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप इस मामले की छानबीन करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मामला पहले ही सही हाथों में है और उसकी जांच हो रही है।

अपने मकान होते हुए भी सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले निर्माण और आवास मंत्रालय के अधिकारियों के बारे में 4 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 314 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्ध करने वाला वक्तव्य

CORRECTION OF ANSWER TO SUPPLEMENTARY ON STARRED QUESTION NO. 314 DATED 4-7-77 RE. OFFICERS IN MINISTRY OF WORKS AND HOUSING HAVING OWN HOUSES AND LIVING IN GOVERNMENT QUARTERS

निर्माण, आवास, पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, सदन के सामने गलती स्वीकार करता हूं और उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

4 जुलाई, 1977 को तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न 314 का उत्तर देते समय इस्पात और खान मंत्री ने मेरी ओर से निम्नलिखित उत्तर दिए :—

(i) उन्होंने कुछ अभ्यावेदन भेजे हैं और मामले पर विचार किया जा रहा है और सरकार शीघ्र ही निर्णय ले लेगी।"

इस संबंध में मुझे कहना है कि अपने निजी मकान वाले अधिकारियों को कुछ शर्तों पर सरकारी आवास देनेके लिए सरकार ने पहले ही निर्णय कर लिया है और उन शर्तों में अन्य बातों के साथ साथ यह भी शामिल है कि जो अधिकारी अपने निजी मकान के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा किराया ले रहे हैं उनसे सरकारी मकान के लिए मार्कीट किराया लिया जाए। मार्कीट किराया और दण्डात्मक किराया एक ही है।

(ii) एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया था कि "यदि ऐसा कोई मामला हमारे नोटिस में लाया जाएगा तो सरकार न केवल क्वार्टर खाली करवाएगी बल्कि अन्य जांच भी करेगी सही" स्थिति यह है कि अपने निजी मकान वालों को सरकारी क्वार्टर खाली करना अपेक्षित नहीं है।

(iii) यह भी बताया गया था कि "लेकिन जिनके अपने मकान हैं उनसे सरकारी क्वार्टर शीघ्र खाली करवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जब तक वे क्वार्टर खाली

नहीं करते तब तक उन्हे मार्कीट किराया देना पड़ेगा" तथा "यह भी प्रयत्न किया जा रहे है कि वे मकान खाली कर कर दे।" महोदय अपने निजी मकान वाले अधिकारी जब तक वे निर्धारित किराया देते रहेंगे तब तक उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली करना अपेक्षित नहीं है। उन से उनसे क्वार्टर खाली करवाने का प्रश्न केवल तभी उठता है जब वे निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते।

सदन को हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है।

डा० सुशीला नायर : सरकार द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकानों से निकालने की नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं जबकि अनेकों सरकारी कर्मचारी बिना आवास के हैं। ये बड़े-बड़े अधिकारी बड़े ऊंचे किरायों का लाभ उठा रहे हैं और स्वयं दफ्तर के पास ही रह रहे हैं जबकि गरीब लोग दफ्तर से मीलों दूर बसाए गए हैं। जनता सरकार ने यह निर्णय क्यों कर लिया ?

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar): How many house owing officers are drawing a salary of more than Rs. 1000 and less?

Shri Sikandar Bakht: There are 1523 house owning Government officers upto are occupying government accommodation. Out of these officers, 1287 are drawing less than Rs. 1000. Only 3 and 7 houses of type VIII and VII repectively are under the occupation of officers of higher income group. By the end of 1977-78 6811 houses will be given to those who are drawing less than Rs. 1000.

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित किए जाने के बारे में 27 जून, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 209 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला बक्तव्य

CORRECTION OF ANSWER TO SUPPLEMENTARY ON STARRED QUESTION NO. 209 DATED 27-6-77 RE. REGULARISING OF UNAUTHORISED COLONIES IN DELHI.

निर्माण आवास, पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, आपकी आज्ञा से उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित तथ्यपरक भूल के लिए मैं सदन के सामने गलती स्वीकार करता हूं और क्षमा मांगता हूं।

27 जून, 1977 को अनधिकृत कालोनियों के नियमितकरण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 209 पर किए गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि इन कालोनियों को नियमित किया जा रहा है लेकिन दो अवसरों पर मैंने कहा कि इन कालोनियों को नियमित किया जा चुका है। अब यह तथ्यों की बजाय केवल भाषा का ही प्रश्न है : अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के आदेश दे दिए गए हैं। केवल कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। तब भी मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तर में जहां कहीं भी "नियमति की जा चुकी है" आया हो उसके स्थान पर "नियमति की जा रही है" पढ़ा जाए, ताकि रिकार्ड ठीक रहे।

मैंने यह भी कहा था कि 103 कालोनियां जो सितम्बर, 1962 से पूर्व बनी थी, नियमति की गई है किन्तु अब यह रिपोर्ट मिली है कि ऐसी 110 कालोनियों को नियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी कहा था कि सितम्बर, 1962 से जनवरी,

1967 के मध्य जितनी कालोनियां बनी उनमें से 68 कालोनियों को नियमति किया गया, किन्तु केवल 64 कालोनियों को नियमति किया गया है। ये अशुद्धियां पहले ठीक नहीं की जा सकीं क्योंकि इस भूल का बाद में पता चला और इसकी जांच करने में कुछ समय लग गया।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री वयालार रवि (चिरिंयकिल) : मैं नियम 222 के अन्तर्गत गृह मंत्री के इस कथन के सम्बन्ध में कि "विपक्ष के नेताओं को मारने का सरकार का विचार था" विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): यह विशेषाधिकार का मामला कैसा हैं ? इस सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

अपने लम्बे अनुभव के आधार पर मैं जानता हूं कि एक सदस्य के अनुसार यदि दूसरे सदस्य की गलत बयानी....... **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने श्री वायालार रवि को अनुमति दी। श्री बसु किस नियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि एक सदस्य दूसरे सदस्य के कथन को गलत मानता है तो वह निर्देश 115 के अन्तर्गत सूचना दे सकता है। विशषधिकार का प्रश्न सभी नियमों के विरुद्ध है। **(व्यवधान)**

श्री वयालार रवि : आपात स्थिति संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार लगाई गई थी। गृह मंत्री ने बार-बार यह आरोप लगाया है कि अध्यादेश विपक्षी नेताओं को गोली से उड़ा देने की एक तैयारी थी। अध्यादेश के द्वारा अनुच्छेद 14, 20 और 21 को भंग कर दिया था।

मंत्री महोदय ने श्री नीरेन डे के तर्क का हवाला दिया है जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दिया था **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु कृपया अपने स्थान पर बैठें। मैं जानता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत निर्णय दिया जाए और वह मैं दूंगा। मैं उसे अस्वीकृत कर सकता हूं। आप पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : एक व्यवस्था के प्रश्न का निर्णय करना अन्य लोगों का काम है या अध्यक्षपीठ का ? कृपया सभा को स्पष्ट निर्देश दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री वयालार रवि को अपना कथन पूरा कर लेने दें। मैं सभी नियमों और निदेशों को जानता हूं और निर्णय लेना भी।

श्री वयालार रवि : गृह मंत्री महोदय का कहना है कि अध्यादेश इस विचार की तैयारी था....... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपना कथन समाप्त करने दें । **(व्यवधान)**

Smt. Mrinal Gore (Mombay North): Sir I rise on a point of order. If any Minister or Member makes a statement in the House, we can discuss whether it is correct or not. But how can it become a question of breech of privilege?

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के सभी प्रश्नों का इस तथ्य से सम्बन्ध है कि क्या इसे विशेषाधिकार का प्रस्ताव माना जाये अथवा नहीं । लेकिन मैंने अभी इसे विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार नहीं किया है । मैंने माननीय सदस्य को मामला उठाने की अनुमति दी है और इसका निर्णय तो मैं ही करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मामले को निदेश 115 के अन्तर्गत ही माना जाये । इस मामले को नियम 222 के अधीन उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 222 के अधीन इसकी अनुमति नहीं दी है और यदि यह विशेषाधिकार के अन्तर्गत नहीं आयेगा तो यह देखना मेरा काम है कि इसे रद्द किया जाये ।

श्री वयालार रवि : श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री ज्योतिर्मय बसु और अन्य सदस्यों ने तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम के विरुद्ध विशेषाधिकार उठाया था और लम्बे लम्बे भाषण दिये थे । इस सभा में इसके बारे में एक पूर्व उदाहरण है ।

श्री मोरारजी देसाई : यही बात दोहराई जा रही है । इसका अर्थ क्या है ? मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री वयालार रवि : गृह मंत्री ने तर्क दिया है कि ऐसा विचार था । पारिस्थितिक साक्ष्य से हम कोई निर्णय ले सकते हैं। इसका उद्देश्य सभा को गुमराह करना है और इस ओर बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों को निन्दा करना है । इसके लिए वे कोई गवाही प्रस्तुत नहीं कर सकते । यहां तक कि पारिस्थितिक साक्ष्य भी इसके विरुद्ध है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : यह मामला निदेश 115 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता । गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने तत्कालीन महान्यायवादी श्री नीरेन डे द्वारा उच्चतम न्यायालय में दिए गए तर्कों का उल्लेख करने के बाद कहा है कि यह मामला यहीं समाप्त नहीं होता, कुछ नेताओं को गोली से उड़ाने की तैयारी की जा रही थी जैसाकि ढ़ाका जेल में हुआ था । आवश्यकता पड़ने पर जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को गोली से उड़ाने का "विचार" था ।

अब यह पता लगाना है कि क्या गृह मंत्री ने गलत ब्यानी की है या भ्रामक वक्तव्य दिया है अथवा अपना वक्तव्य सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई सबूत है ? उन्होंने कहा "तैयारी की जा रही थी......" और फिर उन्होंने कहा "जैसाकि ढाका जेल में हुआ है ।" ढाका जेल में विशिष्ट घटना घटी थी । इसे श्री चरण सिंह और सदन के अन्य सदस्य जानते हैं ।

मैं इस सदन में कुछ विशेष वक्तव्यों के आधार पर बोलने के लिए खड़ा हूं जहां विशेषाधिकार का प्रश्न निहित है । मैं निदेश 115 के अधीन ऐसा नहीं कर सकता । मेरा आशय सदन और पीठासीन अधिकारी को यह बताने का है कि, गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने अपने भाषण में इन शब्दों का प्रयोग करके सदन को जानबूझकर कर गुमराह किया है ।

इस महीने की 14 तारीख को जब विपक्ष के नेता ने मामला उठाया था उस समय गृह मंत्री ने अपने पहले वक्तव्य को न तो सही किया था और न ही इसमें कोई तरमीम की थी तथा इसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट नहीं किया था । उन्होंने केवल इसका विस्तार किया और अपने वक्तव्य पर अटल रहे । सारा मामला यह है । श्री चरण सिंह उच्चतम न्यायालय में तत्कालीन महान्यायवादी द्वारा दिए गए तर्कों की शरण नहीं ले सकते ।

श्री नीरेन डे न्यायपीठ के इस कल्पित प्रस्ताव के ढोंग के विरुद्ध तर्क दे रहे थे और कह रहे थे कि इस मामले की न्यायिक पुनरीक्षा नहीं हो सकती । 14 जुलाई को श्री चरण सिंह ने जो सदन में कहा वह इससे नितान्त भिन्न बात है । उन्होंने विशिष्ट रुप से यह कहा है कि उस दिन की तैयारी की जा रही थी जब कुछ नेताओं को गोली से उड़ा देना था । श्री चरण सिंह ने किसी कल्पित मामले का उल्लेख नहीं किया और न ही उन्होंने अपने तर्क का अनुसरण ही किया । "तैयारी" शब्द तथा ढाके में घटी घटनाओं के उल्लेख से यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने श्री डे के तर्कों का बहुत बढ़ा-चढ़ा कर उल्लेख किया है । अतः हमारा यह दावा है कि उन्होंने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया है और सभा में गलत-बयानी की है और इससे सभा के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने कोई ऐसा एक उदाहरण भी नहीं दिया है जहां नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रस्ताव स्वीकार किया हो। यदि गृह मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है जो सही और ठीक नहीं है, तो इसके प्रतिकार के रूप में निदेश 115 के अन्तर्गत ही मामला उठाया जा सकता है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : पीठासीन अधिकारी ने इस मामले को नियम 222 के अधीन अनुमति दी है । जब नियम 222 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दे दी गई है तो इस पर चर्चा करनी ही होगी । यह ऐसा मामला है जिसमें सभा के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है । इस निर्णय पर पहुंचने के लिए चर्चा करनी ही होगी कि क्या यह विशेषाधिकार के हनन का प्रथम दृष्टतया मामला बनता है और क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजा जा सकता है अथवा नहीं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मिथ्या निरुपण और सदन को गुमराह करने के दो मामले उठाये गए हैं। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, तथ्यों का मिथ्या निरुपण हो सकता है और यदि विशेषाधिकार के हनन के बारे में शिकायत की गई है तो वह शिकायत सदन के समक्ष लाई जानी होगी कि जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है वह खण्डन का मामला है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें उन तथ्यों की जानकारी नहीं है जो माननीय सदस्यों के पास है और जिनसे गृह मंत्री के कथन का खण्डन किया जा सकता है।

यह कहना गलत है कि मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह करने की दृष्टि से यह वक्तव्य दिया था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। नियम 222 से 228 विशेषाधिकार से सम्बन्धित हैं। नियम स्पष्ट हैं। मुझे यह कहना है कि गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के उत्तर में किसी विशेष दिन एक वक्तव्य दिया है जो विशेषाधिकार के प्रश्न की विषय वस्तु बन गया है। इसमें दो मामले हैं। एक है तथ्यों की गलती और दूसरे कुछ तथ्यों को लेकर सदन को गुमराह करना। यदि तथ्य गलत हैं तो निदेश 115 स्पष्ट है। मंत्री को खड़े होकर गलती ठीक करनी चाहिए, यदि वह ऐसा सोचते हैं। दूसरी बात सभा को गुमराह करने के बारे में है। कुछ माननीय सदस्य यह महसूस करते होंगे कि क्या सभा को गुमराह किया गया है या नहीं। अब आपने ही यह निर्णय करना है कि मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य से प्रत्यक्षत: विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है अथवा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने यह मामला विशेषाधिकार के मामले के रूप में किस नियम के अन्तर्गत उठाने की अनुमति दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त नियम के अलावा किसी अन्य नियम के अन्तर्गत विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति नहीं देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह नहीं कह सकते कि ऐसा करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। मेरा व्यवस्था का यही प्रश्न है। **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम केवल प्रक्रिया सम्बन्धी मामले पर चर्चा कर रहेहैं। यदि माननीय सदस्य नहीं जानना चाहते—(**व्यवधान**) मैं अपना विनिर्णय दूंगा। (**व्यवधान**) ।

श्री वसन्त साठे : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिन सदस्यों ने आपको पहले सूचना दी है उनको आपने मामला उठाने की अनुमति दी है। अब नियम क्या कहते हैं। **(व्यवधान)** ।

पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों को नियम 222 के अन्तर्गत यह मामला उठाने की अनुमति दी है और वे इस मामले को नियम 225 के अधीन उठाने के लिए सदन की अनुमति मांग रहे हैं। यदि नियम 225 के अधीन इस मामले को उठाने की अनुमति दी जाये तो फिर तो यह मामला स्वत: ही नियम 226 के अन्तर्गत आ जायेगा। सदन नियम 226 के अन्तर्गत इस मामले को उठाने का विचार कर सकता है और फिर स्वयं इस पर निर्णय ले सकता है। यह सदन का अधिकार है। सदन भले ही इस मामले को सदस्य के प्रस्ताव पर विशोषाधिकार समिति के समक्ष भेज सकता है कि क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, अथवा नहीं। जब तक हम इस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे यह उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि यह प्रथम दृष्टि में विशेषाधिकार भंग का मामला था अथवा नहीं। मैं ने यह

कभी नहीं कहा कि यह प्रथम दृष्टि में विशेषाधिकार का मामला है। उस दिन भी यह पढ़ा गया आज भी पढ़ा गया है।.... **(व्यवधान)** मैं इस पर कोई और चर्चा नहीं चाहता।

इस मामले में जब, 14 जुलाई, 1977 को विपक्ष के नेता, श्री यशवन्त राव चाह्वाण द्वारा नियम 377 के अधीन यह मामला उठाया गया था, तब गृह मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। किन्तु आज जब श्री वयालार रवि ने यह मामला फिर उठाया है तो गृह मंत्री फिर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। निर्देश 115 के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए और गृह मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण करने से यह मामला समाप्त समझा जाये। श्री चरण सिंह जी यदि आप कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं।

श्री चरण सिंह : खड़े हुए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**।

श्री वसंत साठे : कल का विशेषाधिकार प्रस्ताव आपने विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है — **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना देता है तो मुझे इसका निर्णय करना होता है कि यह प्रथम दृष्टि का मामला है अथवा नहीं। यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : जब कुछ दिन पहले एक माननीय सदस्य ने कोई मामला उठाया तो उसे आपने विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। **(व्यवधान)** गृह मंत्री ने जानबूझ कर ऐसा वक्तव्य दिया है। **(व्यवधान)** आप अपने निर्णय को बदलें।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

श्री मोरारजी देसाई : अध्यक्ष के विनिर्णय पर कैसे व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री वसन्त साठे : उठाया जा सकता है। सभा सर्वोपरि है न कि अध्यक्ष **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने श्री उन्नीकृष्णन् तथा श्री रवि को यह मामला उठाने की अनुमति दी तो मैं ने यह नहीं कहा कि यह प्रथम दृष्टि में विशेषाधिकार का मामला है। अब निदेश 115 के अधीन गृह मंत्री स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): I do not want to say anything, because my friends are not ready to listen to me.

श्री सी० एम० स्टीफन : हम उनसे कुछ नहीं सुनना चाहते **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय नहीं बदल रहा। निदेश 115 के अधीन मैं गृह मंत्री को स्पष्टीकरण देने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)।

श्री बसंत साठे : आप पूरी तरह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(व्यवधान)।

श्री मोरारजी देसाई : पता नहीं माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं। जब तक वे स्पष्ट रूप से नहीं कहते तब तक हम उनकी बात नहीं समझ सकते **(व्यवधान)** ।

श्री जे० रामेश्वर राव : जब आपने यह मामला नियम 222 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति देदी है तो फिर आप निदेश 115 बात क्यों कर रहे हो ?

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम 222 के अन्तर्गत सूचना देने का कोई प्रश्न नहीं है । **(व्यवधान)** ।

श्री मोरारजी देसाई : हर एक को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है । किन्तु अध्यक्ष के निर्णय पर विवाद नहीं किया जाना चाहिए। हम समुचित प्रक्रिया का पाल न नहीं कर रहे हैं । **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे। **(व्यवधान)** ।

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक

THE NATIONAL HIGHWAYS (AMENDMENT) BILL

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) वर्तमान अधिनियम की धारा 7क ा संशोधन करने का यह एक साधारण विधान है, जिससे कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने स्थाई पुलों पर शुल्क लगा सके। यद्यपि यह विधेयक साधारण है तथापि इसमें कुछ जटिलता भी है । क्योंकि इसमें कराधान या शुल्क लगाने का मामला आता है इसका अधिकार क्षेत्र यह है कि जब बहुत बड़ी लागत से इन पुलों का निर्माण किया गया है तो उस धन का भुगतान करना भी आवश्यक है । अन्य देशों में ऐसा ही होता है । राज्य सरकारें भी पुलों पर मार्गकर लगवाने के लिए कह रही हैं । लेकिन हम मार्गकर नहीं लगा सकते क्योंकि यह राज्य का विषय है । इसीलिए हम शुल्क लगा रहे हैं और उसमें से राजस्व एकत्र करने का खर्च निकाल कर शेष राशि राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के लिए ही उपयोग में लाई जाएगी । हम यह सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकार लेना चाहते हैं कि क्या किसी पुल को इस शुल्क से मुक्त करना अनिवार्य है । यदि जनहित में ऐसा करना अनिवार्य हो जाये तो हम ऐसा अवश्य करेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 45 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fortyfive minutes past two of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 47 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fortyseven minutes past two of the Clock.

श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

नाशीकीटमार (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : श्रीमान् मुझे, राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे नाशीकीटमार (संशोधन) विधेयक, 1977, जिसे राज्य सभा द्वारा अपनी 18 जुलाई, 1977 की बैठक में पारित किया गया है, की एक प्रति संलग्न करनी है।"

मैं, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में नाशीकीटमार (संशोधन) विधेयक, 1977 को सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक—जारी

NATIONAL HIGHWAYS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

डा० बी० ए० सईद मोहम्मद (कालीकट) : इस विधेयक का आशय राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करने हेतु कुछ सेवाओं के लिए स्थायी पुलों का उपयोग करने, जो अधिनियम की धारा 7 में मूल रूप से सम्मिलित नहीं हैं, के लिए शुल्कों में वृद्धि करना है। राजमार्गों, पुलों, किश्तियों आदि का उपयोग करने वालों के लिए सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से ऐसा करना तथा अतिरिक्त शुल्क या राजस्व बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन इनका प्रयोग करने वालों के लिए कुछ कठिनाइयां अवश्य ही हो जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद यह कठिनाई और बढ़ जाएगी और राजस्व प्राप्ति के लिए उसका परोक्ष रूप में प्रयोग किया जायेगा। दर निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि की गई सेवा तथा सेवा पर हुए खर्च के बीच तालमेल रखा जाये। दर निर्धारित करते समय चुंगी, शुल्क तथा ऐसे अन्य प्रभारों को दृष्टि में रखा जाये जिनका भार राजमार्गों का प्रयोग करने वालों को उठाना पड़ता है।

जहां तक विधेयक के प्रारूप का संबंध है, खंड (2) के परन्तुक के अनुसार कुछ स्थाई पुल इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर ही हो जायेंगे। बेहतर होता यदि इस परन्तुक को लाने की बजाय

[डा० बी० ए० सईद मोहम्मद]

मुख्य खंड में उपयुक्त शब्दावलि प्रयोग की जाती, जिससे उन्हें इससे सीधी छूट मिल जाती । जब छूट दी ही गई है तो इसे स्पष्ट रूप में छूट क्यों नहीं कहा जा रहा । इस परन्तुक में "जनहित में", "ऐसा करने के लिए" शब्दों के बाद की अभिव्यक्ति पूर्णतया अनावश्यक है । इसमें यह कहा जा सकता है यदि जनहित में यह आवश्यक हुआ तो ऐसा किया जाएगा । फिर "अधिसूचना जैसे" अभिव्यक्ति से भी अनावश्यक कठिनाई पैदा होती है ।

खंड 3 का उद्देश्य वर्तमान अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 (ख) का स्थानापन्न करना है । लेकिन उपधारा 1 (ख) के अन्तर्गत अधिक अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं । मेरी आपत्ति उदाहरणों को अनावश्यक रूप से व्यापक किए जाने के बारे में है, जो नियम बनाने के अधिकारों में निहित है ।

अनेक वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलों के निर्माण के लिए जन आन्दोलन चल रहे हैं । इसके लिए सर्वेक्षण किया गया है लेकिन पता नहीं फिर किस कारण स्थगित किया गया है । इसका परिणाम यह निकला है कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और अधिक घनत्व वाले क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पा रहा है । इसके फलस्वरूप वहां बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि लम्बे समुद्र तटीय मार्ग को मिलाने वाले पुल का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है ।

इस राजमार्ग पर इस पुल का इतना अधिक प्रयोग होगा और इस पर इतना अधिक परिवहन चलेगा कि इस विधेयक को कार्यरूप देते ही इस पर होने वाले व्यय का बहुत अधिक भाग इसी से पूरा हो जाएगा और इसको जोड़ने वाले मार्गों तथा अर्नाकुलम, गुरुवयूर एवं उत्तर की ओर जाने वाले अन्य मार्गों एवं स्थानों का भी काफी सुधार हो जाएगा ।

मूल अधिनियम में केवल अस्थाई पुलों पर ही शुल्क लगाने का उपबन्ध है । अस्थाई पुलों के बारे में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है, जबकि इनका निर्माण किया जाएगा । इनकी लागत पर 25,000 रुपए की सीमा भी लागू नहीं होती । वर्तमान विधेयक में 25 लाख रुपए से भी अधिक लागत से बने स्थाई पुलों जिन्हें 1 अप्रैल, 1976 को या बाद में यातायात के लिए खोला गया है, पर शुल्क लगाने की व्यवस्था है । पुल की लागत 4.25 लाख रुपए निर्धारित किए जाने और 1 अप्रैल, 1976 की तिथि नियत करने के पीछे मुझे तर्क समझ में नहीं आ रहा है । फिर भी मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस विधेयक में एक पुल की लागत 25 लाख रुपए उल्लिखित की गई है । बेहतर तो यह होता यदि शुल्क का भी उल्लेख किया गया होता । सरकार को अधिकतम और न्यूनतम दरों का उल्लेख करना चाहिए ताकि कहीं भ्रष्टाचार न हो । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैदल चलने वाले, बैल गाड़ियां, साईकिलें और अत्यावश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले वाहन किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से मुक्त रहें ।

पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस सरकार एक राष्ट्रीय समेकित और समेकित परिवहन नीति की घोषणा नहीं कर सकी । यह सरकार ऐसा करे । देश के अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों का कहीं अस्तित्व ही नहीं है । हमें आशा नहीं है कि उत्पादक को उसके उत्पादों का तब तक लाभप्रद मूल्य मिलेगा जब तक उसके लिए सभी मौसम में चलने वाली सड़कें नहीं बनाई जायें । परिवहन और नौवहन मंत्रालय तथा योजना आयोग के कार्यालय में एक सेल (कक्ष) खोला जाए जो यह देखे और सुनिश्चित करे कि ग्रामीण सड़कों का उचित विकास हो । ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर हम कुछ सीमा तक बेरोजगारी की समस्या हल कर लेंगे । साथ ही हम कृषकों को अपने उत्पादन मण्डियों में ले जाने का

भी अवसर देंगे। अतः इस विधेयक को समाज के पिछड़े वर्गों पर शुल्क लगाने का 'दण्ड' नहीं बनाना चाहिए। पैदल चलने वालों, बैलगाड़ियों, साईकिलों और पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक वस्तुएं लाने ले जाने वाले वाहनों को अतिरिक्त शुल्क भार से छूट दी जानी चाहिए।

Shri Durga Chand (Kangra): This Bill propose to amend section 7 of the National Highways Act of 1956 so as to levy fees on those permanent bridges which were opened to traffic on or after 1st April, 1976. But there are certain deficiencies in this Bill. It should have include a schedule stating the amounts of fees levied on different vehicles. Further, though the Financial Memorandum has made a reference to the expenditure, it does not mention the income that is likely to accrue. Then this Bill has provided for exemption of certain bridges, but it has not been explained as to what will be the criteria for that exemption.

There can be no two opinions about the importance of national highways in our economy. But people should not be put to any hardships on account of the methods to be adopted for realising this levy.

Any road which connects the two States should be connected into a national highway. Sometime back it was recommended that Pathankot-Mandi State Highway should be converted into a national highway, but it was said that the Border Road Development Board will construct it. In view of its importance and heavy traffic on it, it should be converted into national highway.

श्री ए० मुरुगेशन (चिदाम्बरम) : इस विधेयक से केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों पर शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। 25 लाख रुपए से अधिक लागत से तैयार किए गए तथा 1 अप्रैल, 1976 अथवा बाद में खुले सभी स्थाई पुलों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। यह बताया गया है कि प्रस्तावित शुल्क के अन्तर्गत आने वाले सभी पुलों पर आरम्भ में कर्मचारी तैनात करने तथा अन्य आकस्मिक मामलों पर लगभग 52 लाख रुपए खर्च होंगे। यदि सरकार ने इस शुल्क से अनुमानित वार्षिक राजस्व दिया तो इसका औचित्य ठहराने में हमें सहायता मिलेगी।

तमिलनाडु के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पूर्वी तटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग अनिवार्य है और केन्द्रीय सरकार को इस मुख्य मार्ग का विकास करने के लिए सामने आना चाहिए। यह राजमार्ग मछली पकड़ने और कृषि को बढ़ावा देगा। इससे ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख नगर एक दूसरे से जुड़ जायेंगे। इतना ही नहीं पूर्वी तट के प्रमुख पत्तनों को भी यह राजपथ जोड़ेगा।

यह सर्वविदित है कि हिन्द सागर अन्तर्राष्ट्रीय विद्वेष का अड्डा बन गया है। बंगला देश के युद्ध के समय में सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ गया था। ऐसी स्थिति में पूर्वी तटवर्ती राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि उसके द्वारा टैंक आदि आसानी से वहां भेजे जा सकेंगे। यातायात में गति लाने के लिए इसे दोहरा बनाना और भी आवश्यक है। इस पर लगभग 44 करोड़ रुपया व्यय होगा। सरकार इसकी तुरन्त स्वीकृति दे, क्योंकि राज्य सरकार के लिए इतना रुपया देना कठिन है।

राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग के आर-पार पुल या नाला नहीं बना सकती। कभी कभी कृषि कार्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है। प्रधान मंत्री इस ओर ध्यान दें और विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करें।

श्री बी० पी० कदम (कनारा) : इस विधेयक का कोई ठोस सिद्धान्त नहीं है। केवल उन्हीं पुलों पर शुल्क लगाया गया है जिनकी लागत 25 लाख से अधिक है। इससे कम लागत वाले पुलों को

(श्री बी०पी०कदम)

छोड़ने के पीछे क्या औचित्य है। फिर 1-4-76 से बाद खोले गए पुलों को ही इसमें क्यों रखा गया है। इस संबंध में कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है। उदाहरणत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काली नदी का पुल पिछले 20 साल से बन रहा है और पता नहीं अभी कितना समय और लगे।

सरकार को किसी भी पुल को शुल्क से छूट देने का अधिकार होने पर उस पर इसके लिए दबाव डाला जाएगा।

इस बात को ठोस रूप में नहीं रखा गया कि इससे होने वाली आय का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। राजमार्गों का इतना अधिक महत्व होते हुए भी कई राज्यों में इनकी दशा बड़ी खराब है। उनके रख रखाव के लिए उचित व्यवस्था की जाए तथा इस शुल्क से होने वाली आय का उचित उपयोग किया जाए।

Chowdhury Balbir Singh (Hoshiarpur): Through you I will request the Prime Minister to take back this amendment, because it is a law of 18th century. On one hand, Government propose to do away with Octroi duty and on the other they are imposing fees on the use of bridges on National Highways. This is not fair. It will cause difficulties to the passengers. I will therefore suggest to withdraw the Bill.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानोर) : इस नए शुल्क के सम्बन्ध में मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के इस मत से सहमत हूं कि जनसाधारण पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत से पुल पिछले लम्बे समय से बन रहे हैं पर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण राजमार्ग हैं। केरल में तमिलनाडु सीमा से लेकर कन्याकुमारी तक की सभी पहाड़ियों को जोड़ने वाला एक राजमार्ग बनाने की योजना है। इस प्रकार के राज मार्गों की ओर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। इनके निर्माण से चाय, रबड़, इलायची आदि की खेती करने वालों को लाभप्रद मूल्य मिल सकेगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : इस विधेयक के लाने के लिए मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। आंध्र प्रदेश में हमने यह शुल्क पहले ही से लगा रखा है और इससे राज्य को एक वर्ष में 10 करोड़ रुपये की आय हुई है।

20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों से गुजरने वाले राजमार्गों के रख-रखाव का भार नगरपालिकाओं को सौंपा गया है। इससे उन नगरों की सड़कों के रख-रखाव पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अत: विधेयक में इस आशय का एक संशोधन और किया जाए कि यह काम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों को सौंपा जाए।

इन राजमार्गों पर लगे वृक्षों को काटने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था करने वाला एक संशोधन भी लाया जाए अथवा इन पेड़ों के रख-रखाव का काम पास के खेत वालों को पट्टे पर सौंपा जाए और उसका उनसे कोई शुल्क न लिया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग का अनेक जगहों पर अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा करने वालों पर मुकदमा चलाया जाए। रेलवे क्रासिंग आदि पर अनावश्यक समय तक इन्तजार करना पड़ता

है । रेल मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय मिल कर इसका कोई हल निकाले । नगरों के बीच से गुजरने वाले राजमार्गों पर होने वाली भीड़ से बचाने के लिए बचा कर सड़कें बनाई जाएं ।

Shri Laxmi Narayan Nayak (Khajuraho): The proposed tax should be levied in such a way that its burden many fall on the rich. It should not be shifted on common people.

Other thing I want to say that this tax should be realised to the extent of the realisation of the cost of the bridge. A track plying from Indore to Bombay has to pay taxes on all the bridges coming on the way. It should be specifically mentioned that tax has to the paid only on a particular bridge or a particular number of bridges.

It should also be made clear whether this tax is to be recovered by the State or Central Government. The construction cost on Betwa river was borne by the Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Central Government. The U.P. Government has imposed tax on this bridge. Income from this tax should be distributed between two States and the Central Government.

श्री टी० ए० पाई (उदोपी): मैं इस संशोधन का पुरजोर समर्थन करता हूं । पुलों की निर्माण लागत बहुत बढ़ गई है । इन पर ट्रक, बसें और कारें चलती हैं । अतः कोई कारण नहीं है कि इन पुलों की लागत वसूल न की जाये । इससे अतिरिक्त संसाधन पैदा होंगे और नये कार्य आरम्भ किये जायेंगे । पैदल चलने वालों पर कोई कर लगाना नहीं चाहता है । राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के कारण लोगों को हानि उठानी पड़ी है और समस्याएं आई हैं । पहले इन पुलों के पूरा होने में आवश्यकता से अधिक समय लगा है । हमें समयावधि निश्चित करनी चाहिए कि इस समय के भीतर यह कार्य पूरा हो सकता है ।

जहां नये पुल बनाये गये हैं, पुराने पुल समाप्त कर दिए जाने चाहियें । उनसे लोहा और गर्डर जैसा वहुमूल्य सामान निकाला जाना चाहिए तथा उनका उपयोग अन्य पुलों के लिए किया जाना चाहिए ।

परिवहन का सुधार करने की आवश्यकता है । पिछली सरकार ट्रक-टेलर व्यवस्था का विकास करना चाहती थी । लेकिन उसे यह बताया गया था कि अधिकांश पुल कमजोर हो गये हैं । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि डीजल और इन वाहनों का मूल्य बहुत बढ़ गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ किया जाए जिससे ट्रक-टेलर व्यवस्था का उपयोग किया जा सके । ट्रक चालकों को राष्ट्रीय परमिट जारी करने की प्रणाली को उदार बनाया जाये ।

अत्यन्त हानिकर चुंगी प्रणाली, जो अब तक हमारी कराधान व्यवस्था का एक अंग रही है, को बदल कर तर्कसंगत और युक्तियुक्त बनाया जाये जिससे विलम्ब न हो और डीजल की बचत हो ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): इस नये उपाय द्वारा कुछ ही करोड़ रुपये की वसूली होगी । लेकिन इस विधेयक से सड़क परिवहन का उपयोग करने वालों को बहुत कठिनाइयां हो जायेंगी और उन्हें तंग किया जायेगा । हमारा अनुभव है कि जहां

(प्रो०पी०जी०मावलंकर)

अवरोधक लगे होते हैं वहां कर समाहर्ता अधिकारियों का व्यवहार न केवल अभद्र है बल्कि वे बहुत विलम्ब भी करते हैं जिससे लोग उनको रिश्वत के रूप में कुछ राशि देकर इस परेशानी से दूर होना ही श्रेयस्कर समझते हैं । चुंगी समाप्त करने और इस नये शुल्क लगाने का क्या औचित्य है । इससे क्या राजस्व की प्राप्ति होगी ।

इस विधेयक में यह ब्यौरा नहीं दिया गया है कि सम्बन्धित राज्यों का कितना हिस्सा होगा और उसकी अधिस्थापना व्यय कितना होगा । प्रधानमंत्री सदन को आश्वासन दें कि भ्रष्टाचार दूर करने और अभिस्थापना व्यय कम करने के लिए कोई समुचित व्यवस्था की जायेगी ।

नर्मदा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर हाल ही में एक नया पुल बनाया गया है । जब वहां पुराना पुल था तो यातायात के भारी जमाव के कारण उसके निर्माण में बहुत विलम्ब हुआ है । लेकिन नया शुल्क लगाने से यातायात के आवागमन में फिर से विलम्ब होने लगेगा । मुझे आशा है कि इस पहलु पर ध्यान दिया जायेगा । राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 8 को अनेक स्थलों पर चौड़ा करना अनिवार्य हो गया है । इसके अलावा वहां दो तरफी नहर की भी व्यवस्था की जाये ताकि वहां यातायात सुगमता पूर्वक चले और दुर्घटनायें न हों ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि इस विधेयक को कार्यान्वित करते समय चुंगी समाप्त कर दी जाये । धन प्राप्त करने के लिए स्वचालित मशीनों का प्रयोग करना चाहिये । इससे विलम्ब नहीं होगा ।

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : एक माननीय सदस्य ने विधेयक के मसविदे में त्रुटि निकाली है । लेकिन यह विधेयक पिछली सरकार के समय तैयार किया गया था । फिर भी मुझे इसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती है । कई सदस्यों ने इन पुलों से गुजरने वाले लोगों को होने वाले विलम्ब के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । मैं इस बारे में ध्यान दूंगा । पैदल चलने वालों या बैलगाड़ियों पर कर नहीं लगाया जायेगा । केवल मशीन से चलने वाले वाहनों पर ही शुल्क लगाया जायेगा । साईकलों पर भी शुल्क नहीं लगाया

शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने स्थाई पुलों पर ही लगाया जायेगा । राज्य राज मार्गों पर नहीं । अतः राजस्व को राज्यों में बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता । लेकिन केन्द्र तो ग्रामीण सड़कों के मामले में राज्यों को सहायता देता है । हम यह सहायता देना चालू रखेंगे । राज्यों और केन्द्र के हितों में किसी प्रकार का टकराव नहीं है । वे एक दूसरे के समान हैं । अतः दोनों को आपस में सहयोग करना है । केन्द्र का सुदृढ़ होना राज्यों की सुदृढ़ता के हित में है ।

दोहरे किस्म के कराधन का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह कर राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों पर ही लगाया जायेगा तथा महानगरीय क्षेत्रों को छूट दी जायेगी ।

इस विधान से प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान है । इस पर लगभग 12 प्रतिशत व्यय होगा । हम इसे भी कम करने का प्रयास करेंगे । यह

सारा धन राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करने, इनका विस्तार करने तथा उन पर और अधिक पुल बनाने पर खर्च किया जायेगा ।

इस प्रकार के उदाहरण भी दिये गये हैं कि जहां पुलों के निर्माण में असाधारण विलम्ब हुआ है । कर्नाटक में काली नदी पर पुल बनाने में कुछ विलम्ब हुआ है । इस पुल का निर्माण करने वाली कम्पनी घाटे में आ गई थी । इसलिये इसके निर्माण में विलम्ब हुआ । अब इस पर ठीक कार्य हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक पुल के बारे में प्रश्न उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि इन दोनों राज्यों ने मिलकर धन लगाया था लेकिन अब आय उत्तर प्रदेश प्रशासन प्राप्त कर रहा है । यह मामला क्षेत्रीय परिषद के समक्ष पड़ा हुआ है ।

Shri Mahi Lal (Bijnaur): Will the tax be stopped on the realisation of cost of construction on a bridge.

Shri Morarji Desai: It will be stopped.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करते हैं । खंड 2 के बारे में दो संशोधन आये हैं ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 तथा 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री के० लकप्पा : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : जिन पुलों पर से गाड़ियां आदि आती जाती हैं, उन पर 1 अप्रेल 1976 के बजाय 1 अप्रैल, 1977 से कर लगाया जाए ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : बहुत से राजपथों को अभी पूरी तरह विकसित नहीं किया गया है तथा उन पर बाजार और यातायात सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं । सीमावर्ती क्षेत्र में विशेषकर यह कमी है ।

दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक के राजपथ संख्या 30 पर बहुत से धन का गोलमाल हुआ है । इस राजपथ को जो रुपया दिया गया था, उसका उचित उपयोग नहीं हुआ है ।

मंगलौर-कोचीन राजपथ के 400 कि० मी० के टुकड़े को भी अभी तक धन की कमी के कारण पुरा नहीं किया जा सका है । 50 करोड़ रुपये में से इसके लिये केवल 2 करोड़ रुपये रखे गये है । कार्य को पूरा करने के लिये अधिक धन दिया जाये । कम पैसा दिए जाने के कारण कर्नाटक में लम्बे समय से पुलों का निर्माण रुका पड़ा है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री के० लकप्पा]

वर्तमान विधेयक राजपथों के विकास के लिये सरकार को आय कराने की दृष्टि से लाया गया है तथा यह बहुत ही उत्तम उपाय है ।

राष्ट्रीय राजपथों के विकास हेतु वित्तीय आवंटन उचित रूप से नहीं हुआ है । प्रधान मंत्री यह आश्वासन दें कि राजपथों के लिये धन आवंटित करने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं बरता जाएगा तथा सभी राज्यों को समान आधार पर लिया जायेगा।

प्रधान मंत्री : जहां तक सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार का प्रश्न है तो ऐसा ही किया जायेगा और किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा तथा सब को पूरा न्याय मिलेगा। परन्तु सम्पन्न राज्यों को निर्धन राज्यों के सम्बन्ध में उदारता बरतनी होगी। किसे अधिक सहायता दी जाए और किसे कम इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिये।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मेरा संशोधन संख्या 2 उचित ही है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हू कि वे इसे स्वीकार करे।

श्री मोरारजी देसाई : महानगरीय पुलों को इस को इस कर से छूट होगी। इसलिये नौका सेवा अथवा अन्य ऐसी किसी बात का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये इन्हें खण्ड 2 के उपबन्ध में शामिल नहीं किया गया है। परन्तु यदि किसी अवसर पर किसी नौका सेवा अथवा सुरंग के मामले पर यदि आवश्यक हुआ तो सरकार उसे छुट देने के सम्बन्ध में विचार अवश्य करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप संशोधन सख्या 1 तथा 2 पर जोर दे रहे हैं ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : जी नहीं। मैं वापस लेता हू ।

संशोधन संख्या 1 तथा 2 सभा को अनुमति से वापस लिया गया

The Amendments were, by leave withdrawn.

श्री के० लकप्पा : मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The Amendment was, by leave withdrawn. ..

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 तथा 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title, were added to the Bill.

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : द्वितीय हुबली परियोजना अनेक वर्षों से रुकी पड़ी है। उसका काम रुका पड़ा है। दूसरे बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ सुंदरवन के संवेदनशील प्रदेश में संचार साधनों की अत्यंत कमी है। दियागो गार्सिया के अड्डे के बनने से सुंदरवन का महत्व बहुत बढ़ गया है। सरकार उपचारात्मक उपाय करे।

श्री वयालार रवि : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 की ओर दिलाता हूं। यह 1972 से रुका पड़ा है।

श्री ए० सी० जार्ज : राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 सबसे महत्वपूर्ण है। 9 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना की स्वीकृति दी गयी थी। इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके कार्य में गति लायी जाये।

Shri Ramjiwan Singh (Balia): Attention should also be paid towards National Highway No. 31 in Bihar which remain completely damaged during floods.

श्री मोरारजी देसाई : सदस्यों ने जो कुछ कहा है, उस सब पर पूरी तरह विचार करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इलायची (संशोधन) विधेयक

Cardamom (Amendment) Bill

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इलायची अधिनियम, 1965 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

इस समय यथामूल्य 2 प्रतिशत उपकर लगता है। विधेयक में सरकार को 5 प्रतिशत तक उपकर लगाने का अधिकार देने की बात है।

[श्री मोहन धारिता]

समूचे बागानों पर ध्यान देने के लिये बोर्ड के पास पर्याप्त निधि होनी चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन लाया गया है जिससे सरकार 5 प्रतिशत तक उपकर लगा सके।

हम 5 प्रतिशत लगाना नहीं चाहते। इस समय हम केवल 3 प्रतिशत वृद्धि करना चाहते हैं। हर बार संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिये। इसीलिये हम यह अनुमति ले रहे हैं। हम सावधानी रखेंगे कि समूचा उपकर उत्पादकों तक पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि इलायची संशोधन अधिनियम, 1965 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे (अहमदनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अब समय आ गया है कि सरकार कुछ वस्तुओं के उपकर के सम्बन्ध में नए सिरे से विचार करे क्योंकि उन पर उपकर लगाते समय बड़े तदर्थ रूप से सोचा गया है। मेरा विचार है कि बहुत सी वस्तुओं के सम्बन्ध में, जिनका निर्यात भी होता है, समान दृष्टिकोण अपनाना होगा।

जहां तक इलायची का सम्बन्ध है पहले विश्व में हम इसके मुख्य निर्यातक थे लेकिन अब हमें छोटे से देश गोअतमाल की प्रतिस्पर्द्धा में मात खानी पड़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय विश्व मंडी में लंका भी हमारे हाथ से मंडी छीन रहा है। इलायची अधिनियम, 1965 में बनाया गया था। 12 वर्ष बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इलायची के निर्यात की सभावनाएं अत्यधिक हैं विशेषकर जबकि 60 से 65 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया जाता है। इतने अधिक निर्यात द्वारा हमारे स्थानीय बाजार पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये इसके सम्बन्ध में उत्पादन और निर्यात प्रधान समन्वित नीति अपनानी होगी।

दुर्भाग्यवश इलायची का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। कुछ सर्वेक्षणों द्वारा पता चला है कि कुछ विशेष पौधों में उत्पादन 300 किलो प्रति हैक्टेयर तक हो सकता है लेकिन हमारे देश में औसतन 40–45 किलो प्रति हैक्टेयर उत्पादन होता है। उपलब्ध प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पादन 125 किलो प्रति हैक्टेयर किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ हम अपना उत्पादन तिगुना कर सकते हैं। इससे न केवल हम घरेलू आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकेंगे अपितु इसे भारी मात्रा में निर्यात करके अमूल्य विदेशी मुद्रा कमाने में भी समर्थ होंगे। अतः हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि उत्पादिता कम होने के क्या कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इलायची की खेती छोटे-छोटे जोतों में होती है।

इलायची के 60 प्रतिशत उत्पादक छोटे खेत वाले हैं उन्हें समुचित ऋण नहीं मिलता और न ही समय पर खाद, बीज इत्यादि मिलते हैं। विस्तार योजनाए भी दमदार नहीं हैं। इलायची बोर्ड एक बहुत ही अशक्त संस्था है। यह आवश्यक विस्तार सहायता देने की स्थिति में नहीं है। अब हमें केवल सिंचाई और उर्वरकों के सम्बन्ध में ही व्यय

नहीं करना है अपितु किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी कुछ धन व्यय करना होगा। जब तक उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता तब तक प्रति हैक्टेयर उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

इस संदर्भ में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।

इलायची के सम्बन्ध में अनुसन्धानात्मक सहायता भी पर्याप्त नहीं मिल रही है। यदि उपकर अपर्याप्त है तो मंत्री महोदय इलायची के विकास के लिए और सहायता दें। यह 77,000 एकड़ क्षेत्र में उगाई जाने वाली छोटी फसल है लेकिन इसके द्वारा देश के लिए अथाह विदेशी मूल्य अर्जित की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों को समग्र स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए कहा जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का इलायची सम्बन्धी अनुसन्धान के सम्बन्ध में और अधिक सहयोग लिया जाए।

इलायची के 90 प्रतिशत बागान कट्टे रोग से ग्रस्त हैं। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। बागानों में पुराने पौधों के स्थान पर बड़ी संख्या में नए पौधे लगाना आवश्यक है। इस पौधे की उम्र केवल 15 वर्ष होती है और तीसरे वर्ष से यह फसल देने लगता है मेरा विचार है कि यह कट्टे रोग केवल उन्हीं पौधों को लगता है जो काफी पुराने हैं। अतः उन पुराने पौधों को हटा दिया जाए। इस रोग को पूरी तरह जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए।

इलायची के विकास के लिए समुचित ऋण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यदि इलायची बोर्ड किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देने में असमर्थ है तो वाणिज्य बैंकों को इलायची के उत्पादकों को ऋण देने के लिए कहा जाए।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है मध्य-पूर्व में इसकी बड़ी सम्भावनाएं हैं। व्यापक स्तर पर विज्ञापन देना अच्छा बाज़ार बनाया जा सकता है। स्केनडेनेविया के देशों में इलायची का काफी प्रयोग होता है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। फ्रांस आदि देशों में इलायची के तेल की काफी मांग है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इन देशों को इलायची के निर्यात की बजाय इलायची के तेल का ही देश से निर्यात किया जाए। लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या हम उनकी मर्जी का तेल यहां बना भी सकते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्र खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान से सहायता लेनी बहुत आवश्यक है।

मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह उन कारणों का पता लगाए जिनके कारण इलायची की उत्पादिता गिरी है और उन कारणों का पता लगाने के बाद ही हम इलायची का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने में समर्थ होंगे।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : (चिकमगलूर) : मन्त्री महोदय द्वारा लाया गया यह विधेयक उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य और विधेयक में रखे गए उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है।

मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य में कहा है इलायची के निर्यात में कमी हुई है उत्पादन भी गिरा है और उसका मूल्य कम मिल रहा। इसलिए मेरा विचार था कि मंत्री महोदय उपकर समाप्त करने वाला विधेयक लाएंगे लेकिन उन्होंने तो इसे और बढा दिया है।

यद्यपि यह विधेयक देखने में साधारण लगता है लेकिन सभी इलायची उत्पादकों पर इसका दूरगामी प्रभाव होगा।

1965 में जो इलायची बोर्ड बनाया गया वह इसीलिए बनाया गया कि किसानों को उत्पाद का लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो। इलायची बोर्ड के प्रस्ताव में यह पास किया गया था कि इलायची को मूल बाजार प्रणाली में शामिल किया जाए। आज इलायची उत्पादक निर्यातकों की दया पर निर्भर है।

कुछ समय पहले इलायची पर 50 रुपये प्रति किलो निर्यात शुल्क लगाया गया था। बाद में इसे घटा कर 10 रुपये कर दिया गया लेकिन केवल निर्यात शुल्क को घटाने से उसकी कीमत में काफी अन्तर आ गया। पहले इलायची 180 से 200 रुपये प्रति किलो तक बिकती थी बाद में यह 50–60 रुपये किलो बिकने लगी।

देश के भीतर भी इलायची की कीमतों में काफी अन्तर है। कश्मीर में यह 120 से लेकिर 150 रुपये किलो तक बिक रही है और दिल्ली में इसका भाव 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है। अतः जब तक विपणन को अनुशासित नहीं किया जाता तब तक उत्पादक को उचित लाभ नहीं होगा।

कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने इलायची के बारे में उपयुक्त बातें कहीं हैं। सरकार उन पर विचार करे। इलायची बोर्ड के प्रस्ताव में यह पास किया गया था कि इलायची को पूल बाजार प्रणाली में शामिल किया जाए। यह सुझाव पिछले तीन चार साल से दबा पड़ा है। मंत्री महोदय इस पर विचार करे और 10 से 15 किलोग्राम इलायची पैदा करने वाले किसानों को उनसे बचाएं जो 35,000 या 50,000 किलो ग्राम पैदा करते हैं।

सरकार इलायची के व्यापार को समाप्त प्रायः करने जा रही है। क्योंकि इस समय विपणन लाभांश दिए बिना किया जा रहा है। उत्पादक हानि उठा रहे हैं।

1965 से लेकर 1970–71 तक सरकार ने इलायची के माध्यम से 11.24 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई लेकिन अब निर्यात में कमी हो रही है। प्रति हैक्टेयर उत्पादन में भी कमी हुई है। इसका एक मुख्य कराण तो कट्टे रोग हैं दूसरा है मण्डी में अनुशासन का अभाव जब तक मण्डी को अनुशासित नहीं किया जाता और उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तब तक इसका उत्पादन बढ़ेगा नहीं।

उपकर लगाने पर विचार करने के बजाय सरकार को इलायची उत्पादकों के समुदाय के बारे में सोचना चाहिए। विपणन सुविधाओं को अनुशासित किया जाए तथा उसे पूल प्रणाली में लाया जाए। 5 प्रतिशत यथामूल्य उपकर का वर्तमान परिस्थितियों में उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इस अधिनियम से उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। इलायची बोर्ड को भी काफी बोर्ड के समान सुदृढ करना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : इलायची का व्यापार सट्टेबाजों और बिचौलियों के लिए स्वर्ग के समान है। समझ में नहीं आता, इसका सारा व्यापार राज्य व्यापार निगम अपने हाथ में क्यों नहीं लेता। काफी बोर्ड अधिनियम में यह स्पष्ट कहा गया है। काफी एक बार तोड़ने के बाद वह सरकार की हो जाती है। इलायची के सम्बन्ध में अलग नियम क्यों सरकार इसके तोड़े जाने के तुरन्त बाद इसे सरकारी सम्पत्ति बनाने का कानून क्यों नहीं बनाती।

इस दिशा में कोई उल्लेखनीय अनुसंधान नहीं हुआ है। कोई तकनीकी जानकारी लोगों को इसके सम्बन्ध में नहीं है। इलायची को कोई स्थायी फसल पद्धति नहीं है। उत्पाद का उचित मानकीकरण नहीं है। वर्षा के कारण उत्पाद की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। यदि प्रकृति की दया रहे तो फसल अच्छी होती है अन्यथा नहीं।

इलायची पैदा करने वाले राज्यों में मजदूरी की स्थिति अच्छी नहीं है न तो उन्हें अच्छी मजूरी मिलती है और न ही उन्हें आवास, चिकित्सा तथा रोजगार सम्बन्धी अच्छी सुविधाएं प्राप्त है। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इलायची की बिक्री से सट्टेबाजों को बहुत लाभ होता है। मजदूरों को कुछ नहीं मिलता।

इलायची बोर्ड ने कर्मचारियों की कठिनाइयों की ओर बहुत कम ध्यान दिया है।

समूचे अधिनियम की फिर से जांच की जानी चाहिए तथा इसे उद्देश्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए। चाय, काफी, रबड़ और इलायची बोर्ड की उपलब्धियों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए। इस प्रकार के परीक्षण किए जाएं जिससे इलायची का उत्पादन उड़ीसा से उत्तर-पूर्व क्षेत्र तक किया जा सके।

पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसकी खेती में प्रयोग किए जा सकते हैं। मंत्री महोदय हमें स्पष्ट आश्वासन दें कि इन क्षेत्रों में इलायची के उत्पादन करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani): Cardamom is not merely a spice, it has very important place in Ayurveda. It is an essential ungredient of many Ayurvedic medicines. Since the Government now wants to encourage Aurveda it is necessary that its production is increased. If production increases it will be available at cheaper price and the Ayurvedic medicines will also become cheaper. It is time, Government pay attention to this aspect.

It has been our experience that whenever Government levied any cess although it is said that the amount collected will be spent on development works, it is actually spent on luxury of the officers. In the present case when the rate of cess is being increased from 2 per cent to 5 per cent Government should ensure that the amount is actually spent on development.

If we want to increase the consumption of cardamom abroad it is necessary to take some steps to propagate its qualities. The more the advertisement, the greater will be the area of our trade.

In the past, we have seen that whenever a cess was imposed, the trader passed on its burden to the farmer by paying a less price to him. Government

[Shri Hukamdeo Narain Yadav]

should take case that this do not happen in the case of cardamom and that the amount collected is spent on expansion of Cardamom cultivation.

Shri Durga Chand (Kangra): Under this Bill the rate of cess on Cardmom export is being increased from 2 per cent to 5 per cent and the amount collected will be spent on Cardamom plantation. This is being done with a view to promote its export.

At the same time Government should also pay attention to its domestic use. It is an essential ingradient of many Ayurvedic medicines which are in great demand in the rural areas. Ever since Government has started export of Cardamom its price has gone up. Therefore it is very necessary to increase its productions so that the price comes down.

It is also necessary to undertake research in connection with Cardamom production and the agricultural universities should be asked to see how its production can increase. At present per hectare production of Cardamom is 27 Kilogram. If proper steps are taken, it can easily be increased to 100 Kilograms. A national programme should be undertaken to increase Cardamom production.

सभापति महोदय : हमें अभी आधे घंटे की चर्चा पर विचार करना है। अभी 5 सदस्यों को उक्त विधेयक पर विचार प्रगट करने हैं। यदि सदस्य पांच पांच मिनट का समय लें तो सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

श्री एस० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : इलायची ही एक ऐसा उत्पाद है जिसके उत्पादन में गत छह सात वर्षों में काफी कमी हुई है। हमारा चाय, काफी और रबड़ का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है लेकिन इलायची का उत्पादन बहुत गिरा है। 1968-70 के 32000 टन की तुलना में गत वर्ष केवल 21,000 टन इलायची का उत्पादन हुआ। इसका उत्पादन मुख्यता तीन राज्यों में होता है। 70 प्रतिशत उत्पादन केरल में, 20 प्रतिशत कर्नाटक में और 10 प्रतिशत तमिलनाडु में होता है भारत, तंजानिया और गोअतमाल में विश्व उत्पादन का 90 प्रतिशत भाग उत्पादित होता है जिसमें 70 प्रतिशत इलायची का उत्पादन केवल भारत में होता है। एक समय यह प्रस्ताव किया गया था कि भारत तंजानिया और गोअतमाल मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करे बाद में बाकी सदस्यों का समर्थन प्राप्त करके एक अंतर्राष्ट्रीय इलायची समुदाय का निर्माण करे। एक समय इस प्रस्ताव के अनुरुप कार्य भी किया गया। मूल्यों में काफी उतार चढ़ाव होता रहता है तथा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत तथा उत्पादक को वास्तव में प्राप्त होने वाली कीमत में भारी अन्तर होता है। इसी अन्तर को कम करने के लिए तथा उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत का अधिकतम लाभ उत्पादको तक पहुंचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। मंत्री महोदय को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस संबंध में समुचित अधारभूत कार्यवाही हो चुकी है तीनों देशों की आपस में कुछ सहमति भी हो गई है। इसमें उत्पादकों को बहुत लाभ होगा।

इस पदार्थ के विपणन की बहुत संभाव्यता है। इसकी अन्य विशेषता यह है कि इसकी पैकिंग अथवा परिष्करण के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादकों को अधिकतम लाभ हो। इलायची की फसल की स्थिति हर दृष्टि से खराब है मंत्री महोदय को तत्काल उपाय करने चाहिए ताकि देश के 60,000 छोटे उत्पादकों को और कष्ट न सहना पड़े।

यदि हम प्रयास करें तो इसकी खती का सुधार किया जा सकता है, खेती की क्षेत्र में भी विस्तार सम्भव है। हमें केरल तथा कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र के उत्पादन की ओर भी ध्यान देना चाहिए उत्पादन में काट्टे की बीमारी से भी काफी कमी आ रही है। अतः सरकार तथा समाज दोनों का ही यह कर्तव्य है कि इस क्षेत्र में सुधार किया जाये तथा इस बीमारी को रोका जाये।

आम लोगों की धारणा है कि यह इलायची एक धनी व्यक्ति की फसल है। लेकिन 80 प्रतिशत फसल का उत्पादन लगभग 42000 छोटे उत्पादकों द्वारा किया जाता है और उसके उत्पादन के निर्यात से 80 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है।

विपणन व्यवस्था को नियमित किया जाना चाहिए तथा इसकी खेती में सुधार किया जाना चाहिए। भयावह कोट्टे बीमारी को रोका जाना चाहिए। तभी इस उपकर का किसानों को कुछ लाभ होगा।

श्री सी० के० चन्द्रपन्न (कन्नानूर): माननीय मंत्री महोदय ने इलायची उद्योग की इन चार मुख्य समस्याओं तथा उत्पादन में कमी अधिकांश चौर्धा की बीमारी लगना निर्यात में कमी तथा पूरी तरह मौसम की दया पर निर्भर होना को स्वीकार किया है। इन्हीं कारणों के परिणामस्वरूप इलायची उद्योग संकट में हैं। अतः इस उद्योग को गम्भीरता से देखा जाना चाहिए और इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि उपकर में कितनी वृद्धि से निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इलायची बोर्ड को सशक्त बनाने तथा विकासीय गतिविधियों के विस्तारहेतु सरकार उपकर की दर बढ़ा रही है। बोर्ड को अधिक शक्तियां देकर तथा इसमें इलायची उद्योग के विभिन्न हितों को शामिल करके बोर्ड को मजबूत बनाया जाना चाहिए। बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान करके सशक्त बनाया जाए तथा इलायची उद्योग के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। पौधों की बीमारी को रोकने के लिए तथा छोटे उत्पादकों को पौधों के पुनरोपण के लिए सहायता प्रदान करने के लिय बोर्ड द्वारा अधिक निश्चित कार्यवाही करने की जरूरत है। उत्पादनों के लिए बोर्ड की सहायता की आवश्यकत है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं

श्री वयालार रवि (चिरयिकील): मुख्य प्रश्न यह है कि इस सरकार का काफी, इलायची और रबड़ जैसी नगद फसलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न यह है कि एकत्रित होने वाले धन का नियंत्रण कौन करेगा। इलायची बोर्ड को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए और इसे अधिक सशक्त बनाया जाए। बोर्ड की गतिविधियों के परिणामस्वरूप मण्डी का विस्तार हुआ है। यदि बोर्ड को अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्ता दी जाएगी तो हम अधिक विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त करने में समर्थ होंग।

अनुसन्धान के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सहायता ली जा सकती है। हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र में अधिक अनुसंधान किया जाएगा तथा छोटे उत्पादकों को अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० ननजेश गोंडा (हसन): काट्टे बीमारी की वजह से हसन जिले के सैकड़ों किसनों ने इलालायची का उत्पादन छोड़कर काफी का उत्पादन शुरु कर दिया है। इस काट्टे बीमारी पर अभी तक किसी भी प्रकार के अनुसंधान द्वारा काबू नहीं पाया गया है। इसलिए इस बीमारी के भय

से इलायची उत्पादक इलायची उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार करने में घबराते हैं। सरकार को इस दिशा में कुछ अनुसंन्धान कराना चाहिए तथा छोट उत्पादकों को सहायता देनी चाहिए ।

जहां तक मूल्यों का उतार चढ़ाव का संबंध है इसका मूल्य अब 60 रुपए किलों है और एक समय में इसका मूल्य 180 रुपए प्रति किलों से लेकर 200 रुपय प्रति किलों तक रहा। मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण छोटे उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसके लिए इलायची बोर्ड को भी काफी बोर्ड की भांति उत्पादकों के लिए मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। कर्नाटक के हसन जिले के छोट इलालायची उत्पादकों को काटटे बीमारी के कारण तथा बाजार में मूल्यों के उतार चढ़ाव के कारण काफी हानि हुई है इसलिए मंत्री महोदय को इलायची की फसल की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

नायिरल के लिए भी एक बोर्ड की स्थापना की जाए, क्योंकि इसके मूल्यों में भी काफी उतार-चढ़ाव होता रहता है। नारियल उत्पादकों के हितों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): जहां तक इलायची के उत्पादन का संबंध है केवल अनुसंधान ही पर्याप्त नहीं है। अनुसंन्धान, प्रशिक्षण और विस्तार इन तीनों गतिविधियों को साथ साथ लना चाहिए। इलायची बोर्ड के द्वारा की गई संवधनात्मक और विकासीय गतिविधियों के बावजूद भी इलायची का उत्पादन 30,000 टन से गिरकर 21,000 टन हो गया है। बोर्ड के कार्यकरण के सुधार हेतु मैंने यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे थे।

इलायची का उत्पादन और न गिरने पाए इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे तथा जो नुकसान हो चुका है उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जो बीमारी इस फसल को खा रही है उसे भी रोकने की कोशिशे की जाएगी। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय इलायची समुदाय का पुनरुत्थान किया जाए। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत इस मामले में अगवानी करेगा।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस बोर्ड को काफी बोर्ड अथवा चाय बोर्ड की भांति काम करना चाहिए। मैं बोर्ड की वर्तमान कार्यकरण से खुश नहीं हूं और मैं चाहता हूं केवल विपणन के मामले में ही नहीं अपितु उत्पादन व्यवस्था से लेकर विपणन और निर्यात तक के मामलों में बोर्ड को सुचारु बनाया जाए। ।

जहां तक कर नीति का संबंध है विशेषकर जहां तक इन पदार्थों का निर्यात शुल्क लगाने का संबंध है मैं यह चाहता हूं कि सरकार की इस संबंध में तदर्थ उपाय न अपनाकर उसे उचित रूप से विनियमित करने का प्रयास करे। यदि अंतर्राष्ट्रीय मंडी में मूल्य बहुत ऊंचे हैं तो हमें स्वदेशी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए अधिकाधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करनी चाहिए।

अतिरिक्त कराधान के कारण अधिक राशि और कम राशि के बीजक बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में भी सावधानी बरतनी होगी।

बोर्ड का पुनगर्ठन करते समय मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

बागानों के संबंध में एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। सरकार ने उपकर की दर को बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया है लेकिन मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि उपकर लगाने के मामले में

मैं तंग दिली से काम लूगा । और विकासीय गतिविधियों के संवर्धन के प्रति उदार रवैया अपनाऊंगा ।

मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदये : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे । खण्ड 2 के लिए श्री लकप्पा का संशोधन है ।

श्री के० लकप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पष्ठ 1 पंक्ति 6--

Five percent (पांच प्रतिशत) के स्थान पर Four percent (चार प्रतिशत प्रतिस्थापित किया जाये ।

मैं अब इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इलायची की विपणन के बारे में चर्चा करते समय मैं काफी कुछ कह चुका हूं । मुझे इलायची बोर्ड का सदस्य रहने का अवसर प्राप्त हुआ ।

बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिए । इस समय बोर्ड की उत्पादन, विपरण और निर्यात संबंधी समूची गतिविधियों पर बड़े उत्पादकों का नियंत्रण है । उन्होने छोटे उत्पादकों के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा कर रखी हैं और छोटे उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा । एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि विपणन का पूल बना लिया जाना चाहिए यदि विपणन में पूल की व्यवस्था की जाती है तो इस से छोटे उत्पादकों को बेहतर मूल्य की प्राप्ति होगी ।

खाड़ी के देशों में इलायची की बहुत मांग है । अधिकतम मुनाफा कमाने की दृष्टि से हमें अपनी मंडी और इलायची के निर्यात को उचित रूप में संगठित करना होगा ।

इलायची के वैकल्पित प्रयोगों के संबंध में अनुसन्धान कराया जाना चाहिए । यदि अनुसन्धानके द्वारा अन्य योगों का पता लगाया जाता है तो इस से हमें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा तथा छोटे उत्पादकों को भी लाभ होगा । काटटे बीमारी कर्नाटक में इलायची की फसल को तबाह कर रही है । इस बीमारी का सामना करने के लिए उत्पादकों को वित्तीय और वैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है । निर्धन कृषकों को रियायती दरों पर कीटनाशी दवाइयों की सप्लाई की जानी चाहिए ।

मैं आशा करता हूं इलायची पर इस उपकर को लगाने के परिणामस्वरूप विकासीय गतिविधियों पर अधिक धनराशि व्यय की जाएगी ।

मंत्री महोदय को एक विशिष्ट आश्वासन देना चाहिए और पूल विपणन पद्धति को शुरु किया जाना चाहिए तभी एकाधिकारियों को समाप्त किया जा सकता है ।

श्री मोहन धारिया : मैं इसकी जांच करूंगा ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment was by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये ।

Clause 1, the Enacting and the Title were added to the Bill.

श्री मोहनधारीया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

आधे घण्टे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

देश में मलेरिये का फैलना

Shri Om Pradash Tyagi (Bahraich): Sir, of late the incidence of malaria has increased in the country. In 1965, the number of malaria cases was only one lakh. In 1976, this number had gone upto 50 lakhs. According to W.H.O. if the incidence of malaria continued like this, the figure may reach 1 crore and 20 lakhs after ten years or so. In Delhi to there has been considerable increased in the number of malaria cases. It is all the more paifull to note that the basic medicines required for fighting Malaria are not available in Delhi. This should be looked into by the Government.

In 1976, a plan to eradicate Malaria was drawn up by Government and accordingly instructions were issued to state Governments but these instructions have not been headed. Secondly, the attention of Indian Council of Medical Research has not been drawn towards Malaria although it has been carrying research on family planning and birth control. So my submission is that I.C.M.R. should be directed to work in collaboration with W.H.O. for the eradication of Malaria. More test laboratories should be opened. The mass-media such as Radio and Television should be used to educate the people against the menace of Malaria.

One reason for increase of Malaria cases in Delhi is that there is lot of water logging in Delhi. The Sanitary Inspectors should be asked to perform their responsibilities more honestly. I hope hon. Minister will look into all these things.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : जब श्री राज नारायण स्वास्थ्य मन्त्री बने थे तो उस समय हमने यह सोचना शुरू कर दिया था कि अब तो इस देश से रोगों का अन्त हो जायेगा तथा देश के लोग तन्दुरुस्त हो जायेंगे । परन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । आज भी 10 प्रतिशत लोग बीमारी का शिकार है । देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है । अगर आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने की बात को हम भूल भी जायें तो इस समय तो हमें मलेरिये के प्रकोप की ओर तुरन्त ध्यान देना होगा । मेरे अपने ही चुनाव क्षेत्र में 3–4 ताल्लुक ऐसे हैं जहां 30 प्रतिशत से भी अधिक लोग मलेरिया के शिकार हैं । हस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं हैं तसी न ही उपचार की सुविधायें उपलब्ध हैं । अतः यह रोग दिन प्रतिदिन भयानक रूप धारण करता जा रहा है । अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस समस्या से निपटने के लिए युद्ध-स्तर पर कार्यवाही आरम्भ करने का जा रही है ? मैं समझता हूं कि जब तक युद्धस्तर पर कार्य नहीं किया जाता तब तक यह समस्या सुलझाई नहीं जा सकती । अतः मन्त्री महोदय को इस बारे में आश्वासन देना चाहिये कि वह कब तक इस बीमारी पर पूरा काबू पा लेंगे ।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुर) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि देश में से मलेरिया समाप्त कर दिया जायेगा ? दूसरे क्या देश में कुनीन उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी उस पौधे से कुनैन तैयार होती है और उसी को हम निर्यात कर देते हैं । इसलिए यह दवाई देश में उपलब्ध नहीं । सरकार को सिनकोना की पैदावार बढ़ानी चाहिये ताकि यह औषधि प्रचुर मात्रा में मिल सके ।

मलेरिया की समस्या नगरों की अपेक्षा ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत गम्भीर है । अधिकारी भी इन क्षेत्र में जाने से घबराते हैं । इसीलिए इस बीमारी पर नियन्त्रण नहीं हो रहा । आप मलेरिया उन्मूलन के लिए कैसे ही उपाय करने की कोशिश करें जैसे कि पिछली सरकार ने चेचक उन्मूलन के लिए किये थे । कांग्रेस सरकार ने चेचक का उन्मूलन कर दिया था ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : पिछली दशाब्दी में सरकार ने मलेरिया के उन्मूलन का दावा किया था लेकिन अब वह फिर फैल गया है । मच्छरों को समाप्त करने के प्रयास किये जाने चाहियें । कुछ कीटनाशी दवाइयों के मच्छर अभ्यस्त हो गये हैं । उनका प्रभाव नहीं होता । सरकार को इस बारे में उपाय करने चाहियें ।

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): Sir, I think most of the hon. Members have sought information on three points *i.e.* (i) what is the malaria eradication programme (ii) the warning sounded by the World Health Organisation and (iii) the steps being taken by the Government to eradicate malaria. Shri Lakappa has asked about the special programme. About special programme I may tell him the we have given a new slogan to the citizens of this country—One hour for the country. Every body should devote one hour for the uplightment of the country.

First of all we should take up the task of malaria eradication. This disease had assumed alarming proportions after the partition causing 8 lakh deaths every year. The National Malaria Eradication Programme was launched in 1953 which was subsequently converted into Eradication Programme. The number came down to one lakh deaths every year. In 1976 there was an increas of 11 per cent in malaria cases.

In Gujarat, Maharashtra, colonies of Rajashthan and Bihar, U.P. and Orissa the malaria carrying mosquitoes have developed immunity and D.D.T. is no more effective. In Assam, Meghalya and Mizoram also malaria problem is accute. So I suggest that people should take preventive measures before the emergences of malaria.

The previous Government failed to take these preventive measures for 11 long years as a result of which we are suffering. They were over confident that malaria has been eradicated for ever and no measures for spraying of D.D.T. etc. were taken in sufficient quantity.

Secondly, malaria is back in almost all the countries in the world. We find this problem in all the countries of South-East Asia and Latin America. The Ambassador of America has also sought information about our programme to fight malaria because his country is also confronted with this problem. I am telling you all these things because the Janata Party does not want to conceal anything from the Lok Sabha.

The Government of India have approved an improvised work plan which has been enforced from 1-4-77. The present units of the National Malaria Eradication Programme have been reconstituted in accordance with the geological conditions of different districts. Previously Chief Medical Officers were not associated with this programme but after the reconstitution they have been made responsible. In States where the mosquitoes have developed immunity we are supplying alternative medicines and other medicines in large quantities. These medicines are distributed free not only by workers engaged in malaria eradication but by Panchayats and School teachers also.

Shrimati P. Chavan (Karad): The hon. Minister has given on account of the medicines supplied by the Government but I think these have not reached the people. What steps do you propose to take in this regard ?

Shri Raj Narain: If the hon. Member gives any specific instance, I will certainly try to remove the shortage. About 50 crore tablets have been supplied to the Chemists and we are taking steps to make them available at small shops also.

Under the Urban Malaria Programme anti-malaria measures have been stepped up 38 more villages have been covered under this Scheme in addition to the 28 villages where this Scheme is already going on.

Basic and operational research is also being carried on. Laboratory facilities have been provided in Primary Health Centres also.

The number of malaria patients increased at a terrific speed between 1975 and 1976. We think that because of the meaures taken by the Present Government the number of patients will decease considerably.

Shri Rajindra Kumar Sharma (Ranpur): At present D.D.T. is sprayed only at those places where malaria cases are detected. Infact it should be sprayed at all placs so that this desease is controlled effectively.

Shri Raj Narain: I am in agreement with you. We will make these arrangements also.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 20 जुलाई, 1977/ 29 आषाढ़, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 20, 1977|Asadha 29, 1899 (Saka)